डाक पंजीयन क्र. MP/Bhopal/186/2021-2023
लाइसेंस क्र. WPP/Tech/23-04/08/2021-2023
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

रोज़गार और निर्माण

टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

प्रति सोमवार को प्रकाशित, भोपाल 2[illegible]2021 [illegible]2.0[illegible]2[illegible] वर्ष-3[illegible] अंक-3[illegible] मूल्य ₹ 00.00

प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाने

नीति आयोग के सुझावों पर होगा अमल - मुख्यमंत्री

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में तेजी से कार्य करेंगे

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश को तेज गति से विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत बनाने के मंत्र में मध्यप्रदेश का पूरा योगदान रहेगा। नीति आयोग के सुझावों पर अमल कर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने में कमी नहीं रहने देंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में नीति आयोग के सहयोग से प्रदेश में नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भोपाल स्थित मंत्रालय में नीति आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान नीति आयोग के साथ हुई बैठक को संबोधित करते हुये।

मुख्यमंत्री द्वारा नीति आयोग द्वारा कोरोना काल में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के निर्माण के लिए मध्यप्रदेश सरकार की सराहना की गई। इसी तरह कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में मध्यप्रदेश के अच्छे कार्यों की भी सराहना की गई।

श्री चौहान ने कहा कि किसानों को फसलों के उत्पादन का ठीक दाम मिले इस पर समग्र रूप से विचार किया जाएगा। हमने किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू की है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। दूध के उत्पादन में भी प्रदेश में अच्छी वृद्धि हुई है। सिंचाई के क्षेत्र एवं पेयजल की योजनाओं में मध्यप्रदेश ने काफी उन्नति की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गांवों में भूमिगत जल के स्रोत नहीं हैं, वहां नये जल स्रोत विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में स्वच्छता संबंधी सुविधाओं में वृद्धि हुई है। श्री चौहान ने कहा कि गोवर्धन योजना में प्रदेश में निरंतर कार्य चल रहा है। इससे सीएनजी गैस बनाने का कार्य भी चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई क्षमता में काफी बढ़ोत्तरी हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में वनों के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक में अभी काफी कार्य किया जाना है। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में आकांक्षी जिलों के साथ आकांक्षी विकासखण्ड भी बनाने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कहां हैं इस विषय में नीति आयोग ने हमें अवगत कराया है। इसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। जहां सुधार की जरूरत होगी, वहां सुधार करेंगे। प्रदेश के कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ायेंगे, उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ायेंगे, व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे और जो गैप है, उसकी भरपाई करेंगे। योजनाओं को आगे बढ़ायेंगे। जरूरत के अनुसार संवाद करेंगे। वैभवशाली, गौरवशाली और शक्तिशाली भारत बनाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। श्री चौहान ने कहा कि लक्ष्यों को ध्यान में रखकर प्रदेश का बजट बनाया है।

बैठक में मंत्रीगण, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष श्री सचिन चतुर्वेदी, नीति आयोग के सदस्य भी मौजूद थे।

नीति आयोग राज्यों में बेहतर क्रियान्वयन करेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग ने हमें हर संभव सहयोग दिया है। देश की ताकत राज्यों में है। प्रधानमंत्री की मंशानुसार राज्यों को बेहतर क्रियान्वयन करना होगा। कोविड काल में प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। तभी से हमने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण किया जाना तय किया।

किसानों की आय बढ़ाना जरूरी है

नीति आयोग के सदस्यों ने विभिन्न योजनाओं पर केंद्रित प्रस्तुतिकरण दिया। सदस्यों ने कहा कि मध्यप्रदेश में विकास दर अच्छी रही है। कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य हुआ है। राज्य को आगे ले जाने के लिए किसानों की आय बढ़ाना जरूरी है। पशुपालन, बानिकी और बांस की खेती को बढ़ावा देना भी जरूरी है। दालों का उत्पादन और बढ़ाने की जरूरत है।

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय

एक सौ सैंतालिस शैक्षणिक पदों की स्वीकृति

भोपाल, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय में 147 शैक्षणिक पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित साधारण परिषद की बैठक में लिया गया। कार्यपरिषद ने यूजीसी द्वारा शैक्षणिक पदों की स्वीकृति के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय में 21 विषयों के लिए प्रत्येक विषय में एक प्राध्यापक, दो सह-प्राध्यापक तथा चार सहायक प्राध्यापक के आधार पर कुल 21 प्राध्यापक, 42 सह-प्राध्यापक एवं 84 सहायक प्राध्यापक के पदों की स्वीकृति दी है।

साधारण परिषद ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए अटल शोधपीठ की स्थापना, अत्याधुनिक एवं सर्व-सुविधायुक्त लैंग्वेज लैब की स्थापना की स्वीकृति भी दी। साथ ही अटल बिहारी हिन्दी विश्वविद्यालय के नवीन अध्ययन केंद्रों के प्रारंभ करने, विश्वविद्यालय स्तर पर अखिल भारतीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कार्ययोजना तथा भारत सरकार की कौशल विकास योजना में निरोग केंद्र योजना विश्वविद्यालय में प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त कार्य परिषद के लिए साधारण परिषद के दो सदस्य श्री राकेश दांगी और श्री आनंद कुमार सिंह को मनोनीत किया गया।

प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन, अपर आयुक्त श्री दीपक सिंह, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुनील कुमार, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति श्री के.जी. सुरेश, भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति श्री जयंत सोनवलकर सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।

खास खबर

जेम पोर्टल से खरीदी बढ़ाने टास्क फोर्स गठित

भोपाल, राज्य सरकार ने प्रदेश में जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद को बढ़ावा देने तथा अगले साल दोगुना किये जाने की दृष्टि से किये जाने वाले उपायों के संबंध में अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिये टास्क फोर्स का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष मो. सुलेमान अपर प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण होंगे। सदस्यों में श्री मनोज गोविल प्रमुख सचिव वित्त विभाग, श्री नीरज मंडलोई प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, श्री संजय कुमार शुक्ला प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन होंगे। श्री पी. नरहरि सचिव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग समिति के सदस्य सचिव बनाए गये हैं।

ग्लोबल स्किल्स पार्क

पहला शासकीय भवन, जहां बायो डायवर्सिटी पार्क का निर्माण होगा

भोपाल, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने नरेला संकरी स्थित ग्लोबल स्किल्स पार्क (जीएसपी) के निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

श्रीमती सिंधिया ने कहा कि जीएसपी के निर्माण कार्यों को और गति दें। कोरोना के कारण कुछ महीने काम प्रभावित जरूर हुआ है। अब तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर यह आवश्यक हो गया है कि हम निर्माण स्थल पर कार्य कर रहे श्रमिकों को भी सुरक्षित करें। उन्होंने अधिकारियों को श्रमिकों के दोनों डोज के टीकाकरण की व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि सम्भव हो तो कैम्प लगाकर श्रमिकों का आरटीपीसीआर करवाया जाये। उन्होंने कहा कि जीएसपी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस भवन के निर्माण में अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाये। श्रीमती सिंधिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर स्तर पर गुणवत्ता की जांच की जाए। ग्लोबल स्किल पार्क पहला ऐसा शासकीय भवन होगा, जिसमें बायो डायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि 645 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस पार्क की सुविधाएं उच्च स्तरीय होनी चाहिए।

संचालक कौशल विकास, श्री जितेन्द्र सिंह राजे ने बताया कि जीएसपी निर्माण कार्य में श्रमिकों की संख्या को 300 से बढ़ाकर 600 कर दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय वन मेला

वनोपज विक्रय कार्य का होगा विकेन्द्रीकरण - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वनोपज विक्रेताओं से बातचीत करते हुये।

भोपाल, मध्यप्रदेश में वनोपज के विक्रय के वर्तमान प्रचलित कार्य का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत वनवासियों और वन समितियों द्वारा प्रोडक्ट बनाओ और बेचो के कार्य को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। लघु वनोपजों के प्रसंस्करण पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। वन-धन केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उनकी उत्पादित सामग्रियों की पुख्ता विपणन व्यवस्था की जाएगी। इन उत्पादनों के साथ ही चंदन की खेती, बांस उत्पादन, औषधियों के निर्माण में उपयोगी वनोपज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यावरण के लिए वनों को बचाना भी आवश्यक है और वनों से वनवासियों को आय भी हो, इसके प्रयास किए जाएंगे। मेले में बायर-सेलर मीट के आयोजन प्रशंसनीय हैं। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित लाल परेड ग्राउंड में वन विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री ने विंध्या हर्बल के उत्पाद उपयोग में लाने का आग्रह किया। श्री चौहान ने कहा हर्बल चाय, शहद, चिरौंजी हमारे ब्रांड हैं। इन्हें खरीदें और प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री ने कहा ये शुद्धता से भरपूर उत्पाद हैं।

अंदर के पृष्ठों पर

- **खेल चर्चा-** प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- **सामयिकी-** देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं
- **चर्चा में-** प्रमुख चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **पिछला सप्ताह-** देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण

पाठकों और एजेन्टों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेन्सी क्षेत्र, इंदौर

राज्य सेवा परीक्षा-2021, राज्य वन सेवा परीक्षा-2021

रोज़गार और निर्माण के इस अंक में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा, 2021 और राज्य वन सेवा परीक्षा, 2021 का विस्तृत विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है।

प्रबंधक, प्रसार एवं विज्ञापन, रोज़गार और निर्माण
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल, मध्यप्रदेश, पिनकोड - 462011
फोन : 0755- 2760006 (प्रसार), 0755-4281330, 2551330 (पीबीएक्स)

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

कौटिल्य एकेडमी

2022 नया वर्ष

नई वेकेंसी
नया सिलेबस
नई रणनीति

अनिश्चितता की धुंध हट चुकी है और लक्ष्य भी स्पष्ट हो गया है. कामयाबी का रिक्त स्थान आप ही की प्रतीक्षा कर रहा है. आवश्यकता है सिर्फ आपके वहां पहुँचने की !

तो आइये एक सही और विश्वसनीय मार्गदर्शक के साथ कामयाबी की ओर कदम बढ़ाएं।

प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी में देश के नं. 1 संस्थान कौटिल्य एकेडमी में हमेशा से टॉपर्स की परंपरा रही है, यहाँ के मेंटर्स की पूर्ण समर्पित टीम और एडवांस्ड स्टडी मटेरियल से विद्यार्थियों की सफलता का रास्ता आसान होगा.

MPPSC 2021

नई बैचेस में प्रवेश प्रारंभ

सफलता चाहिए तो कौटिल्य आइये

टीम कौटिल्य

Mr. Shridhant Joshi, Managing Director
Mr. Ashendra Mishra, Director
Mr. Manmohan Joshi, CEO
Mr. Sunil Tiwari, National Co-Ordinator
Mr. Devendra Mishra, CRM
Mr. Rishi Bhosle, HOD English Medium

हमारी विशेषताएं

- नियमित सघन कक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम
- फुल लेंथ टेस्ट (FLT) के माध्यम से हर सप्ताह अपनी All MP Ranking जानिए
- विषय विशेषज्ञों व अनुभवी फैकल्टी द्वारा अध्यापन
- नए परीक्षा पैटर्न के अपडेटेड नोट्स
- Special Batch for English Medium Students
- Join the success legacy of 2 decades
- टॉपिकवाइज़ टेस्ट पेपर. एग्जाम से 15 दिन पूर्व कोर्स समाप्त
- मैराथन क्लास की सहायता से Pre के सिलेबस का सम्पूर्ण रिविज़न

MPPSC में लगातार टॉपर्स की परंपरा

पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध

स्पेशल ईवनिंग बैचेस

IAS • IPS • MPPSC • CJ-II • ADPO • NDA-CDS • MPSI • SSC • BANK • RAILWAY • ENGINEERING • RANGER

कौटिल्य एकेडमी

VISIT OUR WEBSITE
DOWNLOAD KAUTILYA APP

PANKAJ

HO: BHANWARKUA SQUARE INDORE. Ph. : 0731-4266821, 4226615, Mob.: 94250 68121, 98939 29541

OUR BRANCHES :

JABALPUR 96300 93350, 96300 93360	CHHINDWARA 77710 08826, 27, 28	TIKAMGARH 77710 47291, 77710 47391	SEHORE 77710 10351, 77710 10361
BHOPAL 70241 05230-31-32	SHAHDOL 91110 21811	KHANDWA 88899 11531, 88899 11631	BETUL 91110 21131, 91110 21141
GWALIOR 91110 10946, 91110 10947	BALAGHAT 77710 78631, 32, 33	BARWANI 94250 68121	NARSINGHPUR 88190 72888, 88190 73888
SAGAR 91110 10981, 91110 10982	UJJAIN 91110 21105, 91110 21106	KATNI 91110 10521	BURHANPUR 95225 79111, 95225 97111
CHHATARPUR 91110 10951	SHIVPURI 94250 68121, 91114 78681	RATLAM 91110 13151, 9111013251	BHURHAR 88188 86471
REWA 91110 10721, 91110 10921	DHAR 96441 07111, 96441 08111	DAMOH 91110 11261, 91110 11251	SIDHI 88188 86461
SATNA 91110 12281	VIDISHA 91110 19511, 91110 19611	HOSHANGABAD 91110 21171, 9111021181	4 राज्य. 37+ शाखाएं

R-46373/2021

सम्पादकीय

बैंकर्स स्व-रोज़गार योजनाओं का लक्ष्य समय-सीमा में पूरा करें

बैंकर्स स्व-रोज़गार योजनाओं का लक्ष्य समय-सीमा में पूरा करें, भारत सरकार की स्व-रोज़गार योजनाओं के क्रियान्वयन में जिम्मेदारी से काम करें। उपरोक्त बातें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहीं। मुख्यमंत्री भोपाल स्थित मंत्रालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के क्रियान्वयन एवं बेहतर परिणाम लाने के संबंध में निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि रोज़गार सबसे बड़ी प्राथमिकता है। विशेष रूप से स्व-रोज़गार योजनाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता से करें, आर्थिक गतिविधियां तेजी से चलें, स्व-रोज़गार के लिये व्यवस्थित ढंग से जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ऋण शिविरों का आयोजन सुरक्षित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 12 जनवरी, 2022 को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राज्य स्तरीय स्व-रोज़गार मेले का आयोजन किया जाये। उन्होंने कहा कि मेले में अधिकाधिक प्रकरणों में ऋण स्वीकृत करें। जिला स्तर पर भी शिविर आयोजित किये जायें। उन्होंने कहा कि विगत 9 नवम्बर से 26 नवम्बर तक 117 क्रेडिट कैंप आयोजित कर 51 करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण स्वीकृत किये गये। इसी तरह प्रगति बढ़ाने के निरंतर प्रयास जारी रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में लक्ष्य के मुताबिक प्रगति बढ़ाएं। योजना में 5 लाख हितग्राहियों को लाभ पहुचाने का लक्ष्य है। इसके लिये बैंक गंभीरता से कार्य करें। निजी बैंक ठीक से क्रियान्वयन करें। अभी तक लगभग 2 लाख 82 हजार प्रकरणों में ऋण स्वीकृति जारी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह स्व-रोज़गार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करूंगा। सभी बैंकर्स गंभीरता से कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी बैंकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। भारत सरकार की योजनाओं में लापरवाही न बरतें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना में प्रगति अच्छी है। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अच्छा कार्य किया है। इस योजना में हम देश में अव्वल हैं। योजना के अंतर्गत लक्ष्य की 115 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है। भारत सरकार द्वारा 4.05 लाख का लक्ष्य दिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7 हजार 22 परियोजनाओं एवं 211 करोड़ मार्जिन मनी स्वीकृति का लक्ष्य है, जिसे समय पर पूरा करें। प्राइवेट बैंक हर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पीछे हैं, वे अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से करें। हर हालत में लक्ष्य पूरा करने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की इस तरह की प्रगति अच्छी है। निजी बैंक बेहतर ढंग से कार्य कर लक्ष्य पूरा करें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में तेजी से प्रगति बढ़ाई जाये। राष्ट्रीय निजी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने लक्ष्य समय पर पूरा करें। लक्ष्य हर माह के लिये तय किये जाएं और उसे उसी माह में पूरा करें। वार्षिक या त्रैमासिक लक्ष्य होने से समय पर पूरा करने में कठिनाई होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में। महीने में अच्छी प्रगति हुई है। योजना का लक्ष्य समय-सीमा में पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में 300 दिन से अधिक समय तक लंबित शिकायतों का तेजी से निराकरण हो। शिकायतें आना बैंकों की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। ऐसी स्थिति बनायें कि सबको आनंद और प्रसन्नता हो। संतुष्टि के साथ निराकरण करें। पात्र नहीं होने पर ही फोर्स क्लोज करें। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा समय-समय पर बैंकों द्वारा स्व-रोज़गार योजनाओं पर किये गये कार्यों की समीक्षा की जाती है।

दिल पर भी असर डालती है, विटामिन 'डी' की कमी

विटामिन 'डी' को अक्सर हड्डियों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन एक अध्ययन में यह बात सामने आयी है कि विटामिन 'डी' की कमी दिल को भी नुकसान पहुंचा सकती है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय की तरफ से किये गये एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। यूएनआईएस के ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर प्रिसिजन हेल्थ के शोधकर्ताओं ने पहली बार विटामिन 'डी' की कमी की वजह से दिल की बीमारी के पीछे के आनुवांशिक प्रमाण की पहचान की है। अध्ययन से पता चला है कि विटामिन 'डी' की कमी वाले लोगों में विटामिन 'डी' के सामान्य स्तर वाले लोगों की तुलना में हृदय रोग और उच्च रक्तचाप से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक विश्व स्तर पर दिल की बीमारी (सीवीडी) दुनियाभर में मृत्यु का प्रमुख कारण है। इस वजह से प्रति वर्ष अनुमानित 1.79 करोड़ लोगों की जान जाती है। ऑस्ट्रेलिया में प्रत्येक चार में से एक मौत के लिये सीवीडी जिम्मेदार हैं। दुनिया के कई हिस्सों में लोगों में विटामिन 'डी' की कमी आम है। यूके बॉयो बैंक आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में 23 फीसदी लोगों में विटामिन 'डी' की कमी है। अमेरिका में 24 प्रतिशत लोगों में विटामिन 'डी' की कमी है। वहीं कनाडा में करीब 37 प्रतिशत लोगों में विटामिन 'डी' का निम्न स्तर दर्ज किया गया है। मुख्य शोधकर्ता एलिना हाइपोनन के अनुसार विटामिन 'डी' का स्तर कम से कम 50 एनएमओएल/एल से बढ़ाने पर हम अनुमान लगाते हैं कि दिल की बीमारियों में 4.4 प्रतिशत दर की कमी की जा सकती है। हम भोजन से भी विटामिन 'डी' प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मछली, अंडे जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं। हालांकि खाद्य पदार्थ दुर्भाग्य से विटामिन 'डी' का अपेक्षाकृत खराब स्रोत हैं, हमें सूर्य के जरिये विटामिन 'डी' लेना चाहिये।

- देवेश तिवारी

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर लिखते हैं)

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसम्बर

प्रवासियों को भी मिले सम्मान और समानता का जीवन

"हमें हिजरत समझ में इतनी आई
परिंदा आब-ओ-दाना चाहता है।"

ओवैदुर रहमान की यह पंक्तियां बताती हैं कि हर व्यक्ति जीवन में कुछ हासिल करने की चाह में ही अपनी जमीन को छोड़ने का निर्णय लेता है। यानी उसे भविष्य और नई जमीन से बेहतरी की उम्मीद होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के पूर्व महानिदेशक विलियम एल स्विंग के शब्दों में, "प्रवास सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए मानवीय आकांक्षा की अभिव्यक्ति है। यह सामाजिक ताने-बाने का हिस्सा है, एक मानव परिवार के रूप में हमारे चरित्र का हिस्सा है।" प्रवासी से आशय किसी भी देश का नागरिक जब काम की तलाश में, किसी संघर्ष की वजह से अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाता है, तो उसे प्रवासी कहा जाता है जैसे- यदि कोई भारतीय नागरिक अमेरिका, सऊदी या किसी और देश में जाकर वहां बस जाता है तो प्रवासी भारतीय कहा जाता है। एक तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी इच्छा से, अपना जन्म देश या मूल निवास देश छोड़कर किसी अन्य देश में बसते हैं, जबकि अन्य बहुत से लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने की खातिर ये कदम उठाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों या उनके जन्म के देश के अलावा किसी अन्य देश में रहने वाले लोगों की संख्या 2019 में 272 मिलियन तक पहुंच गई थी। वर्ष 2020 में, दुनियाभर में लगभग 28 करोड़ 10 लाख अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे, जो कुल वैश्विक आबादी का लगभग 3.6 प्रतिशत हिस्सा हैं। अमेरिका, चीन, रूस, जापान समेत कुछ ऐसे विकसित देश हैं, जहां बड़ी संख्या में दुनियाभर से आए प्रवासी बसते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल 18 दिसम्बर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए शिक्षित करना है कि हर प्रवासी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। 1990 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने सभी प्रवासी कामगारों के अधिकारों और उनके परिवारों के सदस्यों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया था। 4 दिसम्बर 2000 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दुनिया में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को मान्यता दी और 18 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। सितंबर 2016 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए एक उच्च-स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस शिखर सम्मेलन में मानवीय और समन्वित दृष्टिकोण के साथ देशों को एक साथ लाने का लक्ष्य तय किया गया था।

वर्ष 2021 की थीम : मानव गतिशीलता की क्षमताओं का लाभ उठाना

इस वर्ष की थीम HARNESSING THE POTENTIAL OF HUMAN MOBILITY है। प्रवासियों के ज्ञान, नेटवर्क और कौशल किसी भी समुदाय के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक आदर्श वैश्विक सामाजिक और आर्थिक माहौल प्रवासियों की समस्याएं, चुनौतियों के साथ ही उनके लिए अवसरों संबंधी लिए गए प्रभावशील फैसलों से ही बन सकता है। अगर प्रवासियों को भी बेहतर सुविधाएं और जीवन मिले तो वह अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करते हुए समाज की बेहतरी में अपना अच्छा योगदान दे सकेंगे। यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश के अनुसार, दुनिया को ये लक्ष्य हासिल करने के लिए, ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्यादा सहानुभूति की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट

करते हुए कहा, 'इसका मतलब है कि सीमाओं का प्रबन्धन ज्यादा मानवीय तरीके से करना होगा, हर किसी के मानवाधिकारों और मानवीय जरूरतों का सम्मान करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रवासियों को भी कोविड-19 निरोधक वैक्सीन के राष्ट्रीय टीकाकरण अभियानों में शामिल किया जाए।' इसका ये मतलब है कि नियमित प्रवेश के रास्तों को मान्यता दी जाए और प्रवास के लिए जिम्मेदार मूल कारणों के समाधान निकाले जाएं। उन्होंने कहा, 'प्रवासी महिलाओं और लड़कियों को तो लिंग आधारित हिंसा के और ज्यादा तथा गम्भीर जोखिम का सामना करना पड़ता है और उनके पास मदद की पुकार लगाने के भी बहुत कम अवसर होते हैं।' उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण सीमाओं पर लगी पाबन्दियों ने बहुत से प्रवासियों को ऐसे हालात में फंसा हुआ छोड़ दिया, जहां उनकी ना तो कोई आमदनी है और ना उन्हें आश्रय उपलब्ध है, वो अपने घरों को भी वापस नहीं लौट सकते हैं, वो अपने परिवारों से बिछड़े हुए हैं और अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं।

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ऐतिहासिक ब्रसेल्स सम्मेलन के 70 वर्ष पूरे होने के मौके पर मनाया जा रहा है। ब्रसेल्स सम्मेलन में से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) वजूद में आया था। उन्होंने कोविड-19 के कारण हुई आर्थिक तबाही को याद करते हुए कहा है कि वैश्विक महामारी ने, प्रवासियों के विरुद्ध धारणाओं एवं भावनाओं की एक नई लहर को फिर से जन्म दे दिया है। इनमें प्रवासियों को राजनैतिक मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करने का चलन शामिल है। उन्होंने कहा, 'दोनों ही अस्वीकार्य हैं।'

प्रवासियों संग न हो अपराधियों सा व्यवहार

संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृति संगठन यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्री अजूले का कहना है कि वायरस के फैलाव को रोकने की जरूरतों को, एक बेहतर जीवन की सुलभता को खतरे में नहीं डालना चाहिए। उन्होंने याद करते हुए कहा कि जबरन प्रवासन के लिए जिम्मेदार कारक, संघर्षों में बढ़ोत्तरी, बढ़ती खाद्य असुरक्षा और जलवायु आपदा के कारण, और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। ऑड्री अजूले ने यूएन शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) द्वारा नवम्बर 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट की तरफ ध्यान आकर्षित किया जिसमें दिखाया गया है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान, जबरन विस्थापन का शिकार हुए लोगों की संख्या दो गुना बढ़ गई है। उनकी नजर में, ये आंकड़े दिखाते हैं कि कमजोर हालात वाली आबादियों की हिफाजत के लिए, कार्रवाई करने की कितनी तत्काल जरूरत है। दुनिया भर में लाखों-करोड़ों प्रवासियों को सिर्फ प्रवासी होने की वजह से बन्दी बनाकर रखा गया है जिनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने सदस्य देशों से इस चलन को बन्द करने और बच्चों को बन्दी बनाने पर तुरन्त रोक लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है, 'केवल किसी देश की सीमा पार करने या उनके पास समुचित दस्तावेज नहीं होने के कारण, लोगों के साथ, अपराधियों जैसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। इन लोगों को व्यापक पैमाने पर बन्दी बनाने के चलन को अप्रवासन नियंत्रण का केवल अनौपचारिक उपाय नहीं माना जा सकता।' विशेषज्ञों के अनुसार, वर्ष 1990 के बाद से अप्रवासन बन्दीकरण के प्रयोग में खासी बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून में ये प्रतिबन्धित है।

दुनिया में इन्हें भी छोड़नी पड़ी थी अपनी जमीन

फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह भी विभाजन के समय एक शरणार्थी के रूप में ही भारत आए थे। दुनिया को एप्पल की ताकत देने वाले स्टीव जॉब्स असल में सीरिया के प्रवासी माता-पिता की संतान थे, जो बाद में शरणार्थी बने। किसान माता-पिता की संतान पांच साल के बच्चे को जब बौद्धों का सर्वोच्च गुरू चुना गया तो उन्होंने सोचा नहीं था कि उनका जीवन उस जमीन पर नहीं बीतेगा जहां कि उन्होंने कल्पना की थी। 24 साल की उम्र में दलाई लामा ने भारत में शरण ली और उसके बाद शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी जीता। पूरे विश्व में अपनी भौतिकी का लोहा मनवाने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को यहूदी होने के कारण जर्मनी को छोड़ना पड़ा। जैकी चेन जरूर चीन में पैदा हुए हों लेकिन देश में गृह युद्ध के कारण उन्हें अपने माता-पिता के साथ ऑस्ट्रेलिया में शरण लेनी पड़ी। चेन ने अपना फिल्मी कॅरियर स्टंटमैन से शुरू किया था, लेकिन आज वे दुनिया का जाना-पहचाना नाम हैं। दुनिया को समाजवाद का पाठ पढ़ाने वाले जर्मन चिंतक कार्ल मार्क्स को 1884 में पेरिस से निकाल दिया गया और फिर बाद में वे ब्रसल्स चले गए, जहां उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विचार को दुनिया के आगे रखा जिसे लाखों लोगों ने सुना। दुनिया को अपना मनोविश्लेषण देने वाले सिगमंड फ्रॉयड, हिटलर के हमले के बाद ऑस्ट्रिया भाग गए। बाद में वह लंदन में रहने लगे जहां उनकी मौत एक शरणार्थी के रूप में हुई। महान आयरिश कवि और लेखक ऑस्कर वाइल्ड को भी अपने जीवन का अंतिम समय एक प्रवासी के रूप में ही पेरिस में बिताना पड़ा।

हिंदी साहित्य में जमीन छोड़ने का दर्द

कृष्णा सोबती के उपन्यास 'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान' के रूप में सामने आया, जिसमें उनके पाकिस्तान-स्थित पंजाब के गुजरात से विस्थापित होकर पहले दिल्ली में शरणार्थी के रूप में आने और फिर भारत-स्थित गुजरात के सिरोही राज्य में वहां के राजकुमार की गवर्नेंस के रूप में नौकरी करने की कहानी है। प्रख्यात उपन्यासकार यशपाल का दो खंडों में प्रकाशित उपन्यास 'झूठा सच' विभाजन की त्रासदी पर हिन्दी में लिखा गया पहला ऐसा उपन्यास है जो इसे विराट ऐतिहासिक-राजनीतिक फलक पर प्रस्तुत करता है और विभाजन के बाद स्वाधीन भारत में शुरू होने वाली राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा स्वाधीनता संघर्ष के मूल्यों में होने वाले क्षरण को यथार्थवादी ढंग से चित्रित करता है। विभाजन को लेकर लिखा गया भीष्म साहनी का उपन्यास 'तमस' भी यशपाल के 'झूठा सच' की तरह ही आधुनिक क्लासिक की श्रेणी में रखा जाता है।

वसुधैव कुटुम्बकम का भी ध्येय यही है कि दुनिया में रहने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन में बेहतर ढंग से आगे बढ़ सके, किसी के साथ कोई भेद न हो और सब एक परिवार की तरह ही पृथ्वी पर रह सकें और इसी की आशा में प्रवासी भी निवास करते हैं।

सर्जना चतुर्वेदी

(लेखिका, समसामयिक विषय पर लेखन कार्य करती हैं)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक 10/2021 दिनांक 22.12.2021 **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 09.02.2022**

राज्य सेवा परीक्षा 2021

प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 24.04.2022 (रविवार)

प्रथम प्रश्न पत्र : सामान्य अध्ययन **प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

द्वितीय प्रश्न पत्र : सामान्य अभिरुचि परीक्षण **अपरान्ह 02:15 बजे से 04:15 बजे तक**

महत्वपूर्ण

1. राज्य सेवा परीक्षा 2021 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदक ऑनलाइन आवेदन-पत्र में राज्य सेवा परीक्षा अथवा राज्य वन सेवा परीक्षा अथवा दोनों परीक्षाओं हेतु विकल्प सावधानीपूर्वक चयन करें। चयनित विकल्प के अनुसार ही अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा और इस संबंध में आवेदन-पत्र अंतिम रूप से Submit होने के पश्चात कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. राज्य सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थी, राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु भी एक ही कामन ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर सकेंगे बशर्ते कि वे राज्य वन सेवा परीक्षा में भी बैठने की अर्हता रखते हों। इस संबंध में आयोग का राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 का विज्ञापन क्रमांक 11/2021 दिनांक 22.12.2021 भी देखें।
3. राज्य सेवा परीक्षा 2021 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। **आयु की गणना 01 जनवरी 2022 के संदर्भ में की जाएगी।**
4. **उपरोक्त परीक्षा के लिए आवेदक द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**
5. उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.01.2022 को (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 09.02.2022 (रात्रि 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर भरे जा सकेंगे। इसके पश्चात ये लिंक बंद हो जाएगी।
6. **आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 15.01.2022 से 11.02.2022 तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र, रु. 50/- त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।**
   आवेदक यह ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा अतः वे प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
   त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
7. ऑनलाइन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/भूतपूर्व सैनिक/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्ति होने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे एवं आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
8. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 24.04.2022 को दो सत्रों में सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा के 10 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी SMS/E-mail द्वारा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 15.04.2022 से **www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे।
9. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए **E-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर **E-mail** तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

पात्रता : 1. राज्य सेवा परीक्षा 2021 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र हैं।
2. रोज़गार कार्यालय में पंजीयन : अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

10. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्यत सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
11. **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों को संधारित नहीं किया जाता है। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षा सूची में नामांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है जिनके सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा तथा सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।**
12. **उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 एवं इससे संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।**
13. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

1. भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से राज्य सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। वर्गवार पदों की संख्या विभागों द्वारा प्रेषित मांगपत्रों के अनुसार दर्शायी गयी है। भरी जाने वाली रिक्तियाँ निम्नाननुसार हैं :-

स. क्र.	विभाग एवं पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद संख्या					मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या				कुल	वेतनमान
		UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	VH	HH	OH	MD		
	द्वितीय श्रेणी राजपत्रित																					
	सामान्य प्रशासन विभाग																					
1.	राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष	8	4	5	7	3	3	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	गृह (पुलिस) विभाग																					
2.	राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक (जी.डी.)	4	2	3	4	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	वाणिज्यिक कर विभाग																					
3.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
4.	जिला पंजीयक	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	स्कूल शिक्षा विभाग																					
5.	सहायक संचालक	6	3	4	5	2	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	20	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	सहकारिता विभाग																					
6.	सहायक आयुक्त, सहकारिता एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें	3	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	56100-177500
	श्रम विभाग																					
7.	श्रम पदाधिकारी (मुख्य निरीक्षक, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम)	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे

क्र.	विभाग एवं पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद संख्या					मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या				कुल	वेतनमान
		UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	VH	HH	OH	MD		
	नगरीय विकास एवं आवास विभाग																					
8.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी "ख"	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	56100-177500
	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग																					
9.	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत)	3	2	3	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	9300-34800+ 4200 ग्रेड पे
10.	विकास खण्ड अधिकारी	4	2	3	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	14	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक																					
	राजस्व विभाग																					
11.	नायब तहसीलदार	11	7	9	12	4	4	2	3	4	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	43	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
	श्रम विभाग																					
12.	सहायक श्रम पदाधिकारी	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
	नगरीय विकास एवं आवास विभाग																					
13.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी "ग"	1	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	36200-114800
	वाणिज्यिक कर विभाग																					
14.	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	0	4	5	9	2	0	1	2	3	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	20	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
15.	उप पंजीयक	0	1	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
	सहकारिता विभाग																					
16.	सहकारिता निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी	5	3	4	4	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	18	36200-114800
	वित्त विभाग																					
17.	मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा	20	2	23	33	9	7	1	8	11	3	2	0	2	3	1	1	2	1	1	87	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
	कुल पद	**68**	**32**	**65**	**89**	**29**	**23**	**10**	**21**	**28**	**9**	**3**	**0**	**3**	**5**	**1**	**4**	**6**	**3**	**2**	**283**	

Abbreviations UR - Unreserved, SC - Scheduled Caste, ST - Scheduled Tribe, OBC - Other Backward Classes, EWS - Economically Weaker Section, OH - Orthopedic Handicapped, VH - Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped, MD - Multiple Disability

आरक्षण प्रकिया - आरक्षण प्रकिया "मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994" के उपबंधों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु मध्यप्रदेश शासन के अनुदेशानुसार होगी।

टीप : अ. तालिका में दर्शाए गए निर्धारित वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

ब. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक नियमों का अवलोकन कर स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

स. प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र तथा बाद में प्रस्तुत होने वाले मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों में भिन्नता पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।

द. समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को देय आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगे। जिन पदों हेतु किसी श्रेणी/वर्ग हेतु पद आरक्षित नहीं है उन पदों हेतु संबंधित श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित के रूप में ही विचारित किए जाएंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदकों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य लाभ देय नहीं होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के नानक्रीमीलेयर के आवेदकों को ही आरक्षण तथा अन्य लाभ देय होंगे। मध्यप्रदेश के ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के मूल निवासी जो क्रीमीलेयर में आते हैं, आवेदन-पत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग भरने पर भी अनारक्षित वर्ग के समान ही मान्य किए जाएंगे तथा इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व "परिशिष्ट-ख" बिन्दु 5 में उल्लेखित यह घोषणा-पत्र (Declaration) देना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित अद्यतन मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आते हैं।

इ. **आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों एवं अन्य आरक्षित वर्गों के आवेदकों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व का होना चाहिए।**

फ. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शासन द्वारा 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी (परिवीक्षा के संदर्भ में व्यवस्था संबंधित विभागों के भर्ती नियमों के अनुसार रहेगी)।

अत्यंत महत्वपूर्ण :

विज्ञापन तिथि	:	22.12.2021
ऑनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि	:	10.01.2022
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	:	09.02.2022
ऑनलाइन आवेदन में त्रुटिसुधार करने की प्रारम्भ तिथि	:	15.01.2022
ऑनलाइन आवेदन में त्रुटिसुधार करने की अंतिम तिथि	:	11.02.2022
प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि	:	15.04.2022
परीक्षा तिथि	:	**24.04.2022**

नोट - प्रवेश-पत्र में परीक्षा शहर की जानकारी 15 दिवस पूर्व e-Mail/SMS के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

- आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें।
- त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी यथा जन्मतिथि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक, शासकीय सेवक, विक्रम अवार्ड, लिंग (महिला/पुरुष) एवं परीक्षा केन्द्र से संबंधित विवरण में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा।

2. यदि किसी भी अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिए अग्रणित (Carry Forward) नहीं किए जाएंगे। ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे।

3. **विज्ञापन में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 एवं उसमें यथासमय किए गए संशोधन में अधिसूचित अन्य पदों को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक शुद्धिपत्र के माध्यम से जोड़ा जा सकेगा। विज्ञापित पदों की संख्या राज्य शासन के द्वारा पुनरीक्षण किए जाने पर परिवर्तित हो सकती है। पदों की संख्या में परिवर्तन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषणा के पूर्व तक शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जा सकेगी, परन्तु ऐसे पदों के लिए पृथक से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किए जाएंगे तथा विज्ञापन के संदर्भ में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों के आवेदक पात्र रहेंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकती है।**

4. अ. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु कोई अभ्यर्थी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा यदि उसके पूर्व में एक जीवित संतान है और आगामी प्रसव 26.01.2001 को या उसके पश्चात होता है जिसमें दो या दो से अधिक जीवित संतानों का जन्म होता है।

5. **परीक्षा योजना** :-

(1) राज्य सेवा परीक्षा निम्नलिखित तीन चरणों में होगी -

(अ) मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रश्न ओ.एम.आर. आधारित)

(ब) सेवाओं तथा पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित विवरणात्मक)

(स) साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षण

राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर इस विज्ञापन के साथ ही प्रकाशित किया जा रहा है। अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट से परीक्षाओं की योजना तथा पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं।

(2) प्रारंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेटर/मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रावधिक उत्तर-कुंजी आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपए शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क (रुपए 40/-) पृथक से देय होगा। आपत्ति

सही पायी जाने पर आपत्ति शुल्क वापस किया जाएगा किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जाएगी :-

1. ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर-कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है तब प्रावधिक उत्तर-कुंजी को संशोधित किया जाएगा।
2. प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिन्दी अनुवाद ही मान्य होगा।
3. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा।
4. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जाएगा।
5. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर-कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति/पत्र-व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा।
6. **उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।**

6. प्रारंभिक परीक्षा के प्रस्तावित शहर :-

कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर
01	इन्दौर	10	छिंदवाड़ा	19	नीमच	28	मुरैना	37	श्योपुर	46	बुरहानपुर
02	उज्जैन	11	जबलपुर	20	पन्ना	29	रतलाम	38	सतना	47	डिण्डोरी
03	उमरिया	12	झाबुआ	21	बड़वानी	30	राजगढ़	39	सागर	48	अनूपपुर
04	कटनी	13	टीकमगढ़	22	बालाघाट	31	रायसेन	40	सिवनी	49	अलीराजपुर
05	खण्डवा	14	दतिया	23	बैतूल	32	रीवा	41	सीधी	50	सिंगरोली
06	खरगौन	15	दमोह	24	भिण्ड	33	विदिशा	42	सीहोर	51	आगर मालवा
07	ग्वालियर	16	देवास	25	भोपाल	34	शहडोल	43	हरदा	52	निवाड़ी
08	गुना	17	धार	26	मण्डला	35	शाजापुर	44	होशंगाबाद		
09	छतरपुर	18	नरसिंहपुर	27	मंदसौर	36	शिवपुरी	45	अशोकनगर		

शहर केंद्र आवंटन के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

अभ्यर्थियों को परीक्षा के शहर केंद्र का आवंटन उनके निवास के पते के आधार पर होगा। शहर केंद्र आवंटन में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

- **केवल मध्यप्रदेश के निवासियों हेतु**
  - वर्तमान पता - इसका प्रमाण आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाए।
  - परीक्षा शहर - यह आटोमेटिक निम्नानुसार भरे जाएंगे :-
    - प्रथम आवंटन - वर्तमान पते का जिला
    - द्वितीय आवंटन - वर्तमान पते का संभाग मुख्यालय
    - तृतीय आवंटन - स्थायी पते का जिला
    - चतुर्थ आवंटन - स्थायी पते का संभाग मुख्यालय

टीप :- आवेदक को उपरोक्त क्रम में परीक्षा केन्द्र आवंटित किए जाएंगे किन्तु परीक्षा केन्द्र की क्षमता तथा प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप अन्य केन्द्र आवंटित किए जा सकेंगे। केन्द्र परिवर्तन हेतु कोई भी पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा।

- **अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर में से दो विकल्पों का चयन करना होगा। परीक्षा केन्द्र का आवंटन आयोग द्वारा प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिगत किया जाएगा।**

नोट :- आवेदक परीक्षा शहर का चयन सावधानीपूर्वक करें। परीक्षा शहर के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अग्रमान्यता को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा।

7. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

अभ्यर्थी, केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 (अधिसूचना क्रमांक 03 सन् 1956) के अधीन समझे गए विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक होना चाहिए या समतुल्य अर्हता रखता हो।

1. ऐसे अभ्यर्थी, जो किसी ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों जिसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे किन्तु जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है तथा ऐसे अभ्यर्थी भी जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखते हों, प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह घोषित किए गए हों, **मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अन्तिम तारीख तक स्नातक/समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।** ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिन तक या उसके पूर्व स्नातक/समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन पत्र के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. ऐसे अभ्यर्थी भी, जिनके पास ऐसी व्यावसायिक या तकनीकी अर्हताएं हों, जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी उपाधि के समकक्ष हों, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।
3. जिला/क्षेत्र संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग के पद हेतु उन अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में लिया है। अधिमान्यता से तात्पर्य यह है कि समान अंक होने की स्थिति में अंतिम चयन में उस अभ्यर्थी को गुणानुक्रम में पहले चयनित किया जाएगा जिसने स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में लिया है।

8. आयु सीमा :

गैर वर्दीधारी पदों हेतु	21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
वर्दीधारी पदों हेतु	21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 33 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
आयु संगणना तिथि	**01.01.2022**

अधिवार्षिकी आयु : 62 वर्ष

आयु सीमा में देय छूट हेतु **परिशिष्ट- "एक"** देखें।

9. शारीरिक मापदंड :- गृह (पुलिस) विभाग, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, जेल विभाग तथा परिवहन विभाग के वर्दीधारी पदों हेतु निम्नानुसार शारीरिक मापदंड निर्धारित है:-

लिंग	ऊंचाई से.मी. में	सीने का घेरा	
		बगैर फुलाए से.मी. में	पूर्णतः फुलाने पर से.मी. में
1	2	3	4
पुरुष	168	84	89
महिला	155	अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं

वर्दीधारी पदों हेतु अग्रमान्यता भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद हेतु निर्धारित उपरोक्त शारीरिक मापदण्डों को पूर्ण करते हैं। यदि अभ्यर्थी अपनी अग्रमान्यता के आधार पर किसी वर्दीधारी पद हेतु चयनित होते हैं तथा शारीरिक परीक्षण में असफल होते हैं तो उन्हें पद के अभाव में उनकी अग्रमान्यता के शेष पदों हेतु विचारित नहीं किया जाएगा।

10. **विनष्टीकरण :-** इस परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाएं/दस्तावेज (घोषित अंतिम चयन परिणाम तथा लम्बित न्यायालयीन प्रकरणों को छोड़कर) अंतिम चयन परिणाम की घोषणा तिथि के एक वर्ष पश्चात विनष्ट कर दी जाएंगी।
11. राज्य सेवा परीक्षा 2021, **राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015** (यथा संशोधित सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-6-4-2015-एक(1), दिनांक 20.12.2021) के अनुसार आयोजित की जाएगी। उक्त नियम आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित किए गए हैं।
12. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
13. **कोविड-19 के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।**
14. **परिशिष्ट :-**
    (1) आयु सीमा में छूट हेतु परिशिष्ट-एक देखें।
    (2) ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश हेतु परिशिष्ट-दो देखें।
    (3) आप्टिकल स्केनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेशों हेतु परिशिष्ट-तीन देखें।

सचिव

परिशिष्ट-एक
आयु सीमा में छूट

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

गैर वर्दीधारी पदों हेतु

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/दिव्यांगजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।

वर्दीधारी पदों हेतु

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-14/2019/एक/3, दिनांक 19 दिसंबर 2019 के अनुसार महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग), पुरुष/महिला आवेदक (अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।
(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट - (01) उपरोक्त परिशिष्ट - "एक" में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। वर्दीधारी पदों के संदर्भ में यह आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी।

परिशिष्ट - दो
राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैः-

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट पर **www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in** पर उपलब्ध है। जिसे ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं।
2. उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त आवेदक निम्न माध्यमों से भी शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं :-
   अ. स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं।
   ब. ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
3. अभ्यर्थी MPONLINE के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से शुल्क का नगद भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। MPONLINE के अधिकृत कियोस्कों की सूची **www.mponline.gov.in** पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व अपने अद्यतन पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर की 25 KB से 200 KB तक की स्केन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय Upload करना होगा। **www.mponline.gov.in** के KIOSK पर स्कैनिंग की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें, जिस पर अभ्यर्थी का नाम एवं फोटो खींचने का दिनांक अंकित हो जो तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टतः दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
6. कृपया सेल्फी द्वारा ली गयी फोटो का प्रयोग न करें।

5. **ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में वही नाम/उपनाम/जन्म तिथि को उल्लेखित करें जो उनकी हाईस्कूल की अंकसूची में उल्लेखित है। यदि अभ्यर्थी द्वारा नाम परिवर्तन करवाया गया है तब भी ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाईस्कूल की अंकसूची में उल्लेखित उक्त विवरण ही मान्य होंगे।**
6. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिए गए निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
7. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गयी जानकारी ही प्रामाणिक जानकारी मानी जाएगी। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन Submit करें।
8. आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले pop up window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Pop up window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।
   अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed to payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें। आवेदक उक्त आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि का प्रयोग कर प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी "Payment Done" उल्लेखित आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा माने।
9. **त्रुटि सुधार सुविधा** :- आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक **15.01.2022** से **11.02.2022** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र **रु. 50/-** शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए ऐसे अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
   ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई भी पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।
   महत्वपूर्ण :- त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात अभ्यर्थी से प्राप्त अभ्यावेदनों के द्वारा अथवा आयोग को प्राप्त शिकायतों से यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की गयी है तो उसके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकेगी।
10. आवेदक उक्त आवेदन पत्र को सुरक्षित रखें। आवेदन पत्र में अंकित आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक की प्रविष्टि कर इंटरनेट के माध्यम से वे प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले सकेंगे।
11. **अत्यावश्यक** :-
    यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में वर्टिकल श्रेणी (अना./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) गलत भरी गयी है तो उसे अनारक्षित (ओपन) के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर अनारक्षित (ओपन) श्रेणी में उम्मीदवारी मान्य होगी और यदि होरीजोंटल आरक्षण (महिला/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांगजन) में गलत श्रेणी भरी है तो उसी वर्ग के ओपन के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर उस वर्ग के ओपन में उम्मीदवारी मान्य की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश और विधि :-

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदन पत्र दिनांक **10.01.2022** को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक **09.02.2022** को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
2. आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक **10.01.2022** को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक **11.02.2022** को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- शुल्क के भुगतान के पश्चात आवेदन पत्र में वांछित सुधार किया जा सकेगा।
3. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग करने की मांग की जाती है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. **आवेदन एवं परीक्षा शुल्क** :-

म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी एवं मध्यप्रदेश से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
250/-	500/-

सभी श्रेणी के आवेदकों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रु. **40/-** (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा। जो अभ्यर्थी राज्य सेवा तथा वन सेवा दोनों हेतु आवेदन करेंगे उन्हें भी उपरोक्त अनुसार ही शुल्क एक बार ही देना होगा।

टीप:- 1. प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन माड्यूल की सहायता से रु. 50/- शुल्क का भुगतान कर अभ्यर्थी उनकी OMR शीट Download कर सकेंगे।
2. प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान निर्धारित तिथि तक अलग से करना होगा।
3. सूचना के अधिकार के तहत परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अंतिम चयन परिणाम के पश्चात ही प्रदान की जा सकेगी। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद आवेदक द्वारा आवेदन करने पर कराया जा सकेगा। किन्तु उत्तरपुस्तिका की फोटोकापी प्रदान नहीं की जाएगी।

आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

हेल्पलाइन नं. 0755-6720210 तथा 0755-6720211

केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा, किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

5. **ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी** :-
   म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित **राज्य सेवा परीक्षा 2021** के लिए आवेदन पत्र वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** एवं **https://www.mponline.gov.in** पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आवेदक परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लाक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता है। एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए **https://www.mponline.gov.in** पर **locateKiosk/CSCsLink** देखें। **आवेदक हेल्पलाइन नं. 0755-6720210 तथा 0755-6720211** से भी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
6. **परीक्षा दिनांक :- 24.04.2022 (रविवार)**
7. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म/परीक्षा शुल्क भरने की विधि :-

आवेदक **https://www.mponline.gov.in** वेबसाइट के माध्यम से **होम पेज पर CitizenServices पर क्लिक करें।** इसके उपरांत Application लिंक पर जाकर MPPSC बटन को क्लिक करें। अब उसे यहां निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे।

Click here to Apply

Pay for unpaid Application/DuplicateReceipt

Click here to Edit

Download Admit Card Duplicate Receipt/ View Application Status

Click Here to View Advertisement

आवेदक फार्म भरने से पहले **Click here to View Advertisement** को क्लिक कर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत ही आवेदक **Click here to Apply** को क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Upload Image दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना फोटो-हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के दाहिनी ओर आवेदक को फोटो-हस्ताक्षर के **(प्रारूप हेतु इस लिंक्स)** दिखाई देंगी। Links. को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर jpg फार्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक Upload Image बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।
आवेदक फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई हैं वह सही हैं। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही Submit बटन दबाएं। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए Proceed to Payment बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे :-
1. इंटरनेट बैंकिंग (सभी राष्ट्रीयकृत बैंक)
2. क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड

इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग से कर सकता है। आवेदक फार्म भरने के उपरांत Proceed to Payment का बटन दबाएगा। यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग आप्शन दिखाई देखा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई डी पासवर्ड डालकर लागिन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नम्बर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें एवं संभालकर रखें।
क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए **Proceed to Payment** का बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर बैंक का पेमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कंफर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के पश्चात कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।
सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नंबर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें। **अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो।**

8. **एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म/परीक्षा शुल्क भरने की विधि** :-
   आवेदक आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाएगा। कियोस्क संचालक **https://www.mponline.gov.in** वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लागिन टाइप में कियोस्क सिलेक्ट कर लागिन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में MPPSC सिलेक्ट कर सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां आवेदक को उपलब्ध कराएगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जाएं। कियोस्क संचालक आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदक सभी जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहे। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। **आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो।**
   जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का ही होगा।
9. यदि आवेदक के पास क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गए फार्म का कियोस्क के माध्यम से **Pay for unpaid Application/Duplicate_Receipt** लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है :-

इसके लिए आवेदक को उपरोक्त बताए गए बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गए फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक **Pay for unpaid Application/Duplicate Receipt** लिंक पर क्लिक कर उक्त जानकारियां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक द्वारा भरी गई समस्त जानकारियां अंकित होंगी। **अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो।**

- आवेदकों से निवेदन है कि "ऑनलाइन आवेदन" की पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
- ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा या एम.पी. ऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

नोट :- यदि आपको ऑनलाइन फार्म में भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए एम.पी. ऑनलाइन के हेल्प लाइन नंबर पर संपर्क करें

हेल्पलाइन नं. 0755-6720210 तथा 0755-6720211

2. अन्य निर्देश/जानकारी :-

1. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में आवेदक का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है, क्योंकि आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता/जन्मतिथि/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर/मूल निवासी प्रमाण पत्र/दिव्यांगता/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र आदि की मांग नहीं की गयी है। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न न करें। समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा में सफल आवेदकों द्वारा व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं अनुप्रमाणन-पत्रक के साथ संलग्न कर आयोग को भेजना आवश्यक होगा, आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत अभ्यर्थियों की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
2. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए केवल अनुवीक्षण [Screening] परीक्षा होती है। उम्मीदवारों के अंतिम चयन में इस परीक्षा में प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाएगा।
3. **आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।**
4. आवेदक को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र, पूर्ण पता तथा मोबाइल नंबर लिखना चाहिए।
5. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. पर ही SMS या ई-मेल द्वारा आवश्यक होने पर सूचनाएं दी जाएंगी।
6. परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक व प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, आपस में बातचीत करना, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुंचाना, धौंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुंचाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण, परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका को क्षति पहुंचाना एवं उत्तर पुस्तिका को जमा न करना आदि को दण्डनीय माना जाएगा।
7. **पहचान चिन्ह** :- ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अन्य अंक अपना नाम या अन्य नाम या किसी प्रकार का चिन्ह लगायेंगे तो उसे पहचान चिन्ह बनाया माना जाएगा। ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी।
8. परीक्षा परिसर तथा साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्जित हैं।
9. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि सभी स्थानों अर्थात उनके आवेदन पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किए गए समस्त पत्र व्यवहार में उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

3. आवेदन की अंतिम तिथिः-

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि **09.02.2022** है। अंतिम तिथि को रात्रि 12.00 के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4. नियोक्ता की अनापत्ति :-

जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवक के रूप में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है) या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं, उनको यह अभिवचन [Undertaking] (जैसा कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की घोषणा में छपा है) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को चयन के किसी भी स्तर पर उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

5. आवेदक को प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण-पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य परीक्षा में साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा के परिणाम में निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं अनुप्रमाणन-पत्रक के साथ निम्न अभिलेख संलग्न कर आयोग को प्रस्तुत करना होगा :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए - केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र - हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की स्वसत्यापित अंकसूचियां। **उपाधि संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा।**

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु मध्यप्रदेश शासन के विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

जाति प्रमाण-पत्र - उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण अथवा अन्य किसी रियायत के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, अनुप्रमाणन-पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न करना चाहिए। विवाहित महिलाओं के मामले में उसके पिता के नाम का उल्लेख करने वाला जाति प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्रों में यह प्रमाणन आवश्यक है कि आवेदक क्रीमीलेयर में नहीं आता है। जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे किसी भी प्रकार की छूट हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को अनुप्रमाणन पत्रक के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों में निम्न प्रारूप में घोषणा-पत्र (Declaration) प्रस्तुत करना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित नवीनतम मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आतेः-

क्रीमीलेयर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में मान्य किए जाएंगे।

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ..... आयोग के विज्ञापन क्रमांक 10/2021 दिनांक 22.12.2021 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/ ..... जिला ..... मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं ..... जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूं।

दिनांक :- .....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
रोल नंबर .....

यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय मूल जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति मूलतः प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत कर दी जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के किसी वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा। वांछित प्रमाण-पत्रों के अभाव में किसी शिथिलीकरण/रियायत की पात्रता के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र - दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-01-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मंडल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। **अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।** बहु-विकलांगता युक्त दिव्यांगजन को दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण अधिनियम में प्रावधानित प्रारूप में बहु-विकलांगता का स्थायी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

शासकीय सेवकों/भूतपूर्व सैनिकों को देय छूट हेतु नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत देय छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।

विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को देय छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

महत्वपूर्ण टीप :- उपरोक्त में से आवेदक द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

यदि आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदकों के अभिलेख आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऐसे आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। डाक विभाग अथवा अन्य किसी भी माध्यम से निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त अभिलेख मान्य नहीं किए जाएंगे। अतः आवेदक अंतिम निर्धारित तिथि के पूर्व स्वयं के अभिलेख आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. कदाचरण और उसके लिए कार्यवाही :- कोई अभ्यर्थी, जो आयोग द्वारा निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है:-

01. जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो या वैसा करने का प्रयास किया हो; या
02. प्रतिरूपण किया हो; या
03. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05. ऐसे कथन किए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो; या
06. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लिया हो; या
07. परीक्षा कक्ष में अथवा अन्य किसी भी स्थातन पर अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
08. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृन्द को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
09. उनके प्रवेश-पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृन्द द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
10. परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो; या
11. परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात यदि अभ्यर्थी कर्तव्यरत अधीक्षणकर्ता (इनविजिलेटर) के पास उसकी ओ.एम.आर. शीट जमा करने में असफल रहता है या ओ.एम.आर. शीट को क्षति पहुंचाता है; या
12. परीक्षा के पूर्व किसी भी रीति से प्रश्नपत्र अभिप्राप्त करता है या उसके लिए प्रयास करता है, तो आयोग-
    (एक) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा, ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
    (दो) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।
    (तीन) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

7. प्रवेश पत्र -

01 अभ्यर्थी को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यदिः-

(क) वह, आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र धारण न करता हो; और

(ख) वह, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन/प्रवेश-पत्र में उल्लिखित फोटो परिचय-पत्रों की कोई एक मूल फोटो परिचय-पत्र धारण न करता हो; और

(ग) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र के संलग्न फोटो से उसके चेहरे का मिलान न होता हो; और

(घ) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो का, आयोग द्वारा विहित उसके द्वारा लाए गए फोटोयुक्त परिचय-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो से मिलान न होता हो।

02 प्रवेश पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा के 15 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी e-Mail/SMS द्वारा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 15.04.2022 से **www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे। आवेदकों को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश पत्र प्राप्त करना होंगे। **इस संबंध में किया गया**

कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। प्रवेश पत्र एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से डाउनलोड करने पर पांच रुपए पोर्टल शुल्क देय होगा।

03 यदि प्रवेश पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग अथवा एम.पी. ऑनलाइन से संपर्क करें।

04 यदि किसी आवेदक का नाम नॉमिनल रोल में सम्मिलित नहीं है परन्तु उसे प्रवेश पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करें। केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे।

05 **अत्यंत महत्वपूर्ण** - आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्न मान्य मूल फोटो युक्त पहचान प्रमाण-पत्र में से कोई एक प्रस्तुत करने एवं उससे आवेदक की पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी:-

1	आधार कार्ड	6	शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र
2	मतदाता पहचान पत्र	7	बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
3	ड्रायविंग लायसेंस	8	शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र
4	पैन कार्ड	9	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र
5	पासपोर्ट		

मुख्य परीक्षा में सफल आवेदकों को साक्षात्कार के समय भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। फोटो परिचय पत्र द्वारा आवेदक की पहचान की पुष्टि न होने पर आवेदक को साक्षात्कार देने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

06 आयोग द्वारा अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के पश्चात लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंक सूची आवेदकों को ऑनलाइन उपलब्ध करायी जाएगी। आयोग द्वारा पहचान चिन्ह प्रकरण एवं अनुचित साधन प्रयोग करने वाले आवेदकों की परीक्षा निरस्त की जाएगी। अतः ऐसे आवेदकों की अंक सूची ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी का प्रदाय :-

1. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि सूचना के अधिकार के तहत उक्त परीक्षा से संबंधित जानकारियाँ केवल अंतिम चयन परिणाम के पश्चात ही प्रदान की जा सकेंगी।
2. प्रारंभिक परीक्षा की OMR Sheet परीक्षा परिणाम के बाद ऑनलाइन उपलब्ध करायी जा सकेगी। अतः इस हेतु सूचना के अधिकार के तहत आवेदन न करें।
3. अभ्यर्थी को सूचना के अधिकार के तहत केवल स्वयं की जानकारी प्रदान की जाएगी, अन्य अभ्यर्थियों की नहीं।

07 विज्ञापित पदों का अग्रमान्यता पत्रक साक्षात्कार के समय आवेदकों से प्राप्त किया जाता है तथा इसी अग्रमान्यता पत्रक के अनुसार गुणानुक्रम में आवेदकों का चयन किया जाता है। आवेदकों द्वारा अग्रमान्यता पत्रक प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे अग्रमान्यता पत्रक भरते समय विशेष सावधानी बरतें। अग्रमान्यता पत्रक में केवल जिन पदों पर अग्रमान्यता दी गयी है, आवेदक को उन्हीं पदों पर विचारित किया जाएगा। जिन आवेदकों द्वारा नियत अवधि तक अग्रमान्यता प्रस्तुत नहीं की गयी है, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा निर्धारित क्रम में अग्रमान्यता मान्य की जाएगी।

08 मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं ऐसे आवेदक जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हों (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित आवेदक मान्य नहीं होंगे) उन्हें भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। नमूना निम्नानुसार है:-

अभिवचन (Undertaking) का प्रारूप

मैंने राज्य सेवा परीक्षा-2021 के विज्ञापन क्रमांक 10/2021 दिनांक 22.12.2021 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है तथा मैं भूतपूर्व सैनिक हूं। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाए। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर.....
नाम .....
रोल नंबर .....

8. राज्य सेवा परीक्षाओं के पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

(अ) राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा

01. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम केवल "रोज़गार और निर्माण" समाचारपत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जाएगा। आवेदक को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

02. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनायें प्रकाशित की जाएंगी। अतः सफल आवेदक उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप मुख्य परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन पत्र राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में उल्लेखित मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन Submit करें।

03. मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र जमा न करने पर आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

(ब) राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा

01. राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा का परिणाम केवल "रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जाएगा। आवेदक को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

02. राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा के परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनायें प्रकाशित की जाएंगी। परीक्षा परिणाम में ही साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि भी निर्धारित रहेगी। अभ्यर्थी निम्नानुसार निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेख आयोग को प्रेषित करेंगे :-

अ. आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** में "Download Format" लिंक पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक Download करें।

ब. अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक की प्रविष्टियों की पूर्ति करें। एक सेट के साथ अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र तथा निम्न अभिलेखों की छायाप्रतियां अधोलिखित क्रम में अनिवार्यतः संलग्न करें :-

1. मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र
2. प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन पत्र
3. हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियां।
4. मूल निवास/स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, अपिव के अभ्यर्थियों के क्रीमीलेयर में न आने संबंधी घोषणा-पत्र (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु)
5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र की प्रति।
6. दिव्यांगजन श्रेणी होने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु)
7. भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र की प्रति।
8. अनुप्रमाणन-पत्रक की तीन मूल प्रति प्रस्तुत करें
9. व्यक्तिगत विवरण-पत्रक की एक मूल प्रति एवं 05 छायाप्रति प्रस्तुत करें
10. उपस्थिति पत्रक की एक मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।
11. पहचान प्रमाण-पत्र हेतु आधार कार्ड की प्रति।
12. अन्य अनुसंगत अभिलेख।

स. उक्त अभिलेखों के सेट की एक प्रति स्वप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग को निम्नांकित पते पर प्रस्तुत करें :-

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया,
इंदौर, मध्यप्रदेश 452001

टीप-1. लिफाफे के शीर्ष पर 'राज्य सेवा परीक्षा 2021 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख' तथा प्रेषक के स्थान पर अभ्यर्थी के मुख्य परीक्षा के रोल नम्बर, नाम एवं पते का उल्लेख अनिवार्यतः करें।

2. अभिलेखों के दो सेट सुरक्षित रखें। उक्त सेट मूल अभिलेखों के साथ साक्षात्कार के समय अनिवार्यतः साथ लाएं।

03. केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाएगा जिन्हें अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात अर्ह पाया जाएगा।

10. यात्रा व्यय का भुगतान -

(अ) निम्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी :-

1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।
2. मध्यप्रदेश के मूल निवासी 40% या अधिक दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. दिव्यांगता के प्रमाणन हेतु जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

(द) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ एवं आधार कार्ड की स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(फ) जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु देय यात्रा भत्ता का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त नहीं होता है वे इस संदर्भ में कलेक्टर/कमिश्नर कार्यालय से पत्र व्यवहार करें। इस संदर्भ में आयोग से कोई पत्र व्यवहार न करें। इस संदर्भ में आयोग में प्राप्त पत्र बिना किसी कार्यवाही के नस्तीबद्ध किए जाएंगे।

(ज) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

परिशिष्ट-तीन

आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

टीप - ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जाएगा अतः ओ.एम.आर. शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानी पूर्वक करें।

1. आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल पाइन्ट पेन अवश्य लाएं।
2. गोले भरने के लिए केवल काला बाल पाइन्ट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा, अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा नहीं जांची जा सकेगी।
3. ओ.एम.आर. शीट पर किसी प्रकार का रफकार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्नपत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें।
4. ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।
5. उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियाँ सही रूप से की गई हैं। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न पत्र सेट ए, बी, सी, डी अंकन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
6. आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (×) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी।
7. **ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिए - सामान्य निर्देश -**

(अ) प्रश्नों के उत्तर : ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए, बी, सी, डी बने है। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए, बी, सी, डी दिए हैं। इनमें से एक सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल पाइन्ट पेन से गहरा काला करें। एक से अधिक गोलों को काला करने पर प्रश्ने का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे काटने/मिटाने/वाइटनर लगाने से उक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

(ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्न पत्र कोड आदि भरने के लिए बने खानों में प्रविष्टि के लिए काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A, B, C, D set में से कोई एक ही सेट दिया जाएगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।

(स) हस्ताक्षर - ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर वाल पेन से हस्ताक्षर करें।

(द) **ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्नपत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिए काला बाल पाइन्ट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (ABCD के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाएगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गए सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आवश्यक प्रविष्टियां सही स्थान पर उचित रूप से न भरने पर अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य नहीं किया जाएगा।**

8. रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)

रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ हैं। पहला स्तम्भ लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़े का, पांचवां स्तम्भ दहाई का एवं छठा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाइन में चौकोर खानों में दर्शाए अनुसार रोल नम्बर काला बाल पाइन्ट पेन से लिखें तत्पश्चात पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवें स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल पाइन्ट से गहरा काला करें। अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

रोल नं. चित्र 1

6	8	4	0	2	1
0	0	0	●	0	0
1	1	1	1	1	●
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	●	4	4	4
5	5	5	5	5	5
●	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	●	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

एक - प्रवेश

01 परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है।

02 परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

03 परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटो युक्त परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।

04 परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जांच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले वाल पाइन्ट पेन, प्रवेश पत्र एवं मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएं। इसके अतिरिक्त मोबाइल, केलक्युलेटर, पेजर एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

दो - निर्गमन

01 सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।

02 किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।

03 प्रश्नपत्र हल करने के पश्चात केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किए जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।

04 निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा (केवल दृष्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे आवेदकों को प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा में 20 मिनिट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

तीन - नाम और अनुक्रमांक

चित्र - चार

A	○
B	●
C	○
D	○

ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिए गए A, B, C, D प्रश्न पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्नपत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें। आपके द्वारा प्रश्नपत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट-B को काला किया है।

चार - अनुचित साधन

परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित करें कि उनकी सीट के निकट, उनके पास कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या अनावश्यक कागज Electronic Gadget इत्यादि जो परीक्षा में प्रश्नपत्र हल करने में सहायक हो, न हों। परीक्षार्थी अनुचित साधन के प्रयोग से बचें। परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएं आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर. शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जाएगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

परीक्षा की गोपनीयता :- परीक्षा पूर्व/दौरान/पश्चात प्रश्न-पत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों/व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पांच - प्रश्न संबंधी शिकायत

प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क (100 रुपए प्रति प्रश्न तथा रुपए 40 प्रति त्रुटि सुधार सत्र पोर्टल चार्ज) जमा कर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज कराए। परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा। इसके पश्चात एवं अन्य किसी पद्धति से प्रस्तुत आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। जिन प्रश्नों पर अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति, विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा सही पायी जाएगी उस प्रश्न हेतु दिया गया आपत्ति शुल्क आपत्तिकर्ता अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा। इस हेतु आपत्तिकर्ता अभ्यर्थियों को आपत्ति मॉड्यूल में उसके बैंक खाते की जानकारी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा।

छः - ओ.एम.आर. शीट का लौटाना -

परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जाएगा और इस हेतु उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

सात - ओ.एम.आर. शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियाँ

1. ओ.एम.आर. शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरें। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें। इस संबंध में दिए गए निर्देशों को गम्भीरता पूर्वक पढ़ने के पश्चात ही आवश्यक प्रविष्टियां की जाएं।
2. ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/चिन्ह न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

आठ - प्रश्नपत्र पर अंकन

परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिखें तथा रफ कार्य प्रश्नपत्र में दिए गए पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्नपत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

नौ - उपस्थिति पत्रक

प्रत्येक प्रश्नपत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

दस - दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम

अ. अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तम (स्पेस्टिक) डाइसलेक्सिक पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हों, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

ब. प्रदान की जाने वाली सुविधाएं :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगी ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जाएगा।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिये जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिये। उदाहरण के लिये यदि किसी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए। (अर्थात स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए) यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है, तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट

स. इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जाएगा।

द. अभ्यर्थी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

टीप :-

1. उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त दिव्यांगजन सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिये जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।
2. दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें सहलेखक एवं भूतल पर बैठने की व्यवस्था की आवश्यकता है वे अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त आवश्यकताओं की प्रविष्टि करेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आकस्मिक दुर्घटना एवं बीमारी के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अभ्यर्थियों को उक्त सुविधाएं उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही देय होंगी।

ग्यारह-विविध

1. परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे।
2. परीक्षार्थियों को अपने साथ डिजीटल डायरी, वॉच, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित है।

बारह -परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व अनिवार्यता से उनका पालन करें।

तेरह - अनुशासन व शालीनता

1. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना/अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
2. परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
3. परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।
4. यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परीक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किए जाएं। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

जी-20575/46356/2021

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेन्सी क्षेत्र इंदौर

राज्य वन सेवा परीक्षा-2021

राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि
24.04.2022

विज्ञापन क्रमांक 11/2021/22.12.2021
वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 09.02.2022

महत्वपूर्ण

1. राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवार कृपया यहां नोट करें कि राज्य वन सेवा (लिखित एवं साक्षात्कार) परीक्षा के दूसरे चरण में शामिल होने के लिए उन्हें राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित होना एवं अर्ह होना अनिवार्य होगा। राज्य सेवा परीक्षा 2021 के विज्ञापन हेतु आयोग के विज्ञापन क्रमांक 10/2021, दिनांक 22.12.2021 का अवलोकन करें।
2. राज्य सेवा तथा वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार एक ही कॉमन ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं वशर्ते वे पात्रता संबंधी आवश्यक मापदण्ड पूरे करते हों।
3. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र दिनांक 10.01.2022 (दोपहर 12:00) से दिनांक 09.02.2022 (रात्रि 12:00) बजे तक **www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर भरे जा सकते हैं।
4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में दिनांक 15.01.2022 से 11.02.2022 तक त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
आवेदक यह ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा अतः वे प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें। त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि 250/- का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आयु/जन्म तिथि, शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
6. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएं तथा परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in**, तथा **www.mppsc.com** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए Email Address तथा मोबाइल नंबर पर Email तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते, मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
7. **अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।**
8. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।
9. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों को संधारित नहीं किया जाता है। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतिक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है जिनके सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा तथा सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
10. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 एवं इससे संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

एक - भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के अन्तर्गत सहायक वन संरक्षक (Assistant Conservator of Forest) तथा वन क्षेत्रपाल (Forest Ranger) के स्थायी पदों की भर्ती संयुक्त परीक्षा द्वारा किए जाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों की वर्गवार संख्या विभाग द्वारा प्रेषित मांगपत्र के अनुसार दर्शाई गई है :-

पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या				
		अना.	अनु.जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.	EWS
सहायक वन संरक्षक	08	03	01	02	02	00
वन क्षेत्रपाल	40	05	14	14	05	02
परियोजना क्षेत्रपाल	15	05	02	03	04	01

टीप :- (1) शासन द्वारा पदों का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है किन्तु पदों की संख्या में वृद्धि केवल राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित होने के पूर्व तक ही की जा सकेगी। पदों में वृद्धि की स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे तथा सभी पदों हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया है। चयन के किसी भी स्तर पर पदों की संख्या में कमी की जा सकती है।

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 में अधिसूचना क्रमांक सी 3-10-12- एक-3, दिनांक 26 सितम्बर 2015, द्वारा महिला आरक्षण वन विभाग को छोड़कर प्रावधानित किया गया है।

(3) सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल/परियोजना क्षेत्रपाल के पदों हेतु किसी भी श्रेणी के दिव्यांगजन आवेदक आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है। उक्त पद हेतु शारीरिक मापदंड निर्धारित है आवेदक आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शारीरिक मापदंड पूरा करते हैं। (देखें विज्ञापन की कंडिका-3)

दो- पद का विवरण-

(A) पद का नाम : **सहायक वन संरक्षक**
(B) विभाग का नाम : मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
(C) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
(D) पदस्थिति : स्थायी
(E) वेतनमान (7वें वेतनमान अनुसार) : रुपये 56,100-1,77,500/- तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
(F) अर्हता :
1. शैक्षणिक
अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्न विषयों में से कम से कम एक के साथ विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक (या समकक्ष) होना चाहिए:- प्राकृतिक विज्ञान (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणि शास्त्र) गणित, सांख्यिकी, भू-विज्ञान, कृषि, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा, विज्ञान (वैटिनरी साइंस), कम्प्यूटर एप्लीकेशन/साइंस, इंजीनियरिंग (कृषि/रसायन/सिविल/कम्प्यूटर/ इलेक्ट्रिकल /इलेक्ट्रॉनिक्स/ मैकेनिकल) में स्नातक उपाधि धारण करता हो, या समतुल्य विदेशी अर्हता धारण करता हो, परन्तु विशुद्ध गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक की दशा में उसने हायर सेकेन्ड्री/ मेट्रीकुलेशन या समतुल्य परीक्षा में निम्नलिखित विषयों में से कोई एक विषय लिया हो :-
1. जीव विज्ञान
2. भौतिक शास्त्र
3. रसायन शास्त्र

2. प्रशिक्षण -
दो वर्ष की पत्रोपाधि लेने हेतु वन महाविद्यालय देहरादून अथवा शासन द्वारा निर्धारित उसके समकक्ष भारतवर्ष के किसी भी अन्य प्रशिक्षण, वन विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा दो वर्ष का प्रशिक्षण विभाग में प्राप्त करना होगा एवं नियमानुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
3. शारीरिक मापदण्डव एवं क्षमता परीक्षण -
बिन्दु तीन में उल्लेखित शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण के प्रावधानों को पूर्ण करना होगा।
(G) कर्तव्य : वानिकी संबंधी समस्त कार्य।

(A) पद का नाम **वन क्षेत्रपाल/परियोजना क्षेत्रपाल**
(B) विभाग का नाम मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
(C) श्रेणी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
(D) पदस्थिति स्थायी
(E) वेतनमान रुपये 36200-114800/- तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
(F) अर्हता :
1. शैक्षणिक
उम्मीदवार के पास भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान/ यांत्रिकी/कृषि/वानिकी में स्नातक उपाधि अथवा समतुल्य विदेशी अर्हता होनी चाहिए तथा (2) उसने स्नातक उपाधि में निम्नलिखित में से कम से कम एक विषय लिया हो :-
भौतिक शास्त्र/रसायन शास्त्र/प्राणी शास्त्र/वनस्पति शास्त्र/भू-गर्भ शास्त्र/गणित/ सांख्यिकी/वानिकी/कृषि/उद्यानिकी/यांत्रिकी (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/ केमिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर)
2. प्रशिक्षण
18 माह की प्रशिक्षण अवधि होगी। प्रशिक्षण भारतवर्ष के किसी भी वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय में प्राप्त करना होगा।
3. शारीरिक
बिन्दु तीन में उल्लेखित शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण के प्रावधानों को पूर्ण करना होगा।
(G) कर्तव्य : वनों का प्रबंधन, विकास एवं सुरक्षा।

(A) पद का नाम **परियोजना क्षेत्रपाल**
(B) विभाग का नाम मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
(C) श्रेणी राजपत्रित तृतीय श्रेणी
(D) पदस्थिति स्थायी
(E) वेतनमान **रुपये 9300-34800+3600/-** तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
(F) अर्हता :
1. शैक्षणिक
उम्मीदवार के पास भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान/ यांत्रिकी/कृषि/वानिकी में स्नातक उपाधि अथवा समतुल्य विदेशी अर्हता होनी चाहिए तथा (2) उसने स्नातक उपाधि में निम्नलिखित में से कम से कम एक विषय लिया हो :-
भौतिक शास्त्र/रसायन शास्त्र/प्राणी शास्त्र/वनस्पति शास्त्र/भू-गर्भ शास्त्र/गणित/ सांख्यिकी/वानिकी/कृषि/उद्यानिकी/यांत्रिकी (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/ केमिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर)

2. प्रशिक्षण
18 माह की प्रशिक्षण अवधि होगी। प्रशिक्षण भारतवर्ष के किसी भी वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय में प्राप्त करना होगा।

3. शारीरिक
बिन्दु तीन में उल्लेखित शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण के प्रावधानों को पूर्ण करना होगा।

(G) कर्तव्य : वनों का प्रबंधन, विकास एवं सुरक्षा।

टीप - उपर्युक्त पदों के लिए आवेदक के पास निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं, राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। इसके पश्चात् किसी भी दिनांक को उक्त अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे। परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित किए जाने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आवेदक को पद के योग्य मान लिया गया है। **चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अयोग्य पाए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।**

तीन - शारीरिक मापदंड

		पुरुष	महिला
1.	ऊंचाई अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	163 से.मी.	150 से.मी.
2.	ऊंचाई अनुसूचित जनजाति	152 से.मी.	145 से.मी.
3.	सीने की परिधि	79 से.मी.	74 से.मी.
	●न्यूनतम विस्तार	5 से.मी.	5 से.मी.
	●पूर्ण विस्तारित	84 से.मी.	79 से.मी.
4.	शारीरिक क्षमता परीक्षण चार घंटे पैदल चलना	25 कि.मी.	सहायक वन संरक्षक हेतु : 14 कि.मी. वन क्षेत्रपाल/परियोजना क्षेत्रपाल हेतु : 16 कि.मी.

टीप- (1) चिकित्सा मंडल द्वारा उम्मीदवारों की ऊंचाई एवं सीने के मापदंड लिए जाएंगे तथा उम्मीदवारों की श्रवण शक्ति, दृष्टि एवं वन विभाग में बाह्य सेवा (आउट डोर वर्क) हेतु न्यूनतम शारीरिक मापदंड का परीक्षण किया जाएगा।
(2) शारीरिक क्षमता परीक्षण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।
(3) जो अभ्यर्थी शारीरिक मापदण्ड को पूरा करने में अथवा शारीरिक क्षमता परीक्षण अथवा मेडिकल परीक्षण में असफल होते हैं, उनका चयन शासन द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

चार- (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जाएगा।
(2) मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

पांच - मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अन्तर्गत अनर्हता -
(अ) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु जहां किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
(ब) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

छ- आयु सीमा -
- **सहायक वन संरक्षक हेतु** - 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो।
- **वन क्षेत्रपाल/परियोजना क्षेत्रपाल हेतु**- 21 की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 33 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो।

आयु संगणना तिथि 01.01.2022 होगी।
आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट-1** देखें।

सात- महत्वपूर्ण- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

आठ -अधिवार्षिकी आयु - 62 वर्ष

नौ - परिवीक्षा- सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल के पदों पर आवेदकों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

दस - अनुबंध निष्पादन- चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण संस्थान में जाने से पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित अनुबंध निष्पादित करना होगा -
1. चयनित अधिकारी बीच में प्रशिक्षण छोड़ता है तो प्रशिक्षण पर होने वाला समस्त व्यय चयनित अधिकारी को राज्य सरकार को देना होगा।
2. प्रशिक्षण उपरांत विभाग में सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के पद पर नियुक्ति प्राप्त हो जाने पर चयनित अधिकारी को विभाग में 5 वर्ष सेवा करना अनिवार्य होगा।

ग्यारह- चयन प्रक्रिया -
चयन प्रक्रिया के पांच क्रमिक चरण होंगे -
(अ) राज्य वन सेवा (मुख्य परीक्षा) के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार ओ.एम.आर. शीट आधारित)
(ब) राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार से ऑनलाइन परीक्षा पद्धति द्वारा)
(स) साक्षात्कार- लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा।
(द) शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता का परीक्षण-राज्य शासन द्वारा (पुरुष आवेदकों को 25 कि.मी. की दूरी चार घंटे में पैदल चलकर तथा महिला आवेदकों को सहायक वन संरक्षक हेतु 14 कि.मी. तथा वन क्षेत्रपाल/परियोजना क्षेत्रपाल हेतु 16 कि.मी. की दूरी चार घंटे में पैदल चलकर तय करनी होगी।)
(इ) स्वास्थ्य परीक्षण- मध्यप्रदेश शासन के चिकित्सा मंडल द्वारा।
(फ) परीक्षा योजना -
प्रारंभिक परीक्षा- राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2021 ही राज्य वन सेवा परीक्षा-2021 हेतु आयोजित अर्हकारी परीक्षा होगी। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के (बहुविकल्पीय प्रश्न) दो प्रश्न पत्र होंगे। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गुणानुक्रम सूची केवल प्रथम प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जाती है तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में अनारक्षित श्रेणी में 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है। किन्तु राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की गुणानुक्रम सूची बनाते समय प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों में ही प्राप्त अंकों के योग के आधार पर गुणानुक्रम सूची वर्गवार, श्रेणीवार बनाई जाएगी। क्योंकि राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु केवल विज्ञान संकाय के अभ्यर्थी ही पात्र है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अनारक्षित 40 प्रतिशत अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 30 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक होगा। यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण के रूप में ली जाएगी। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य/अर्ह घोषित किया जाएगा। अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कुल रिक्त स्थानों के 20 गुना अभ्यर्थियों को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जावेगा। **Negative Marking** नहीं होगी।

मुख्य परीक्षा :-
प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा एक प्रश्न पत्र की होगी जिसके दो खण्ड 'अ' तथा 'ब' होंगे तथा परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से ली जाएगी। मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के साथ ही आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जा रहा है।

परीक्षा परिणामों के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-
प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेटर/मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रावधिक उत्तर-कुंजी आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क (रुपये 40/-) पृथक से देय होगा। आपत्ति सही पायी जाने पर आपत्ति शुल्क वापस किया जाएगा किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जाएगी :-
1. ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर-कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है तब प्रावधिक उत्तर-कुंजी को संशोधित किया जाएगा।
2. प्रश्न के हिन्दी तथा अँग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिन्दी अनुवाद ही मान्य होगा।
3. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा।
4. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जाएगा।
5. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट **www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com** पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर-कुंजी के प्रकाशन के पश्चात् कोई भी आपत्ति/पत्र-व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा।
6. **उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।**
मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित पदों की संख्या के 3 गुने तथा अंतिम चयनित आवेदक के समान अंक पाने वाले आवेदक साक्षात्कार के लिए अर्ह घोषित किए जाएंगे। सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल हेतु मुख्य परीक्षा में अर्ह आवेदकों की दो पृथक गुणानुक्रम सूची बनाई जाएगी तथा दोनों पदों हेतु अर्ह आवेदक दोनों ही सूची में सम्मिलित रहेंगे।

बारह- चयन विधि
(1) आवेदक सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल में से किसी एक पद के लिए अथवा दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदक इस विज्ञापन में दर्शित अर्हता का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं, तत्पश्चात ही आवेदन करें।
(2) मुख्य परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पत्र में पद चयन हेतु तीन विकल्प हैं (A) सहायक वन संरक्षक हेतु (B) वन क्षेत्रपाल हेतु तथा (C) दोनों पदों हेतु। दोनों पदों हेतु वे आवेदक ही आवेदन करें जो दोनों पदों हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हों।
(3) राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के पंद्रह गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा। समान रूप से मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा। **इस हेतु सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल/परियोजना क्षेत्रपाल हेतु पृथक-पृथक गुणानुक्रम सूची वर्गवार, श्रेणीवार बनाई जाएगी।**
(4) साक्षात्कार के पश्चात् अंतिम मेरिट सूची A+C (सहायक वन संरक्षक) B+C (वन क्षेत्रपाल/परियोजना क्षेत्रपाल) के आधार पर बनाई जाएगी। A+C (सहायक वन संरक्षक) का चयन परिणाम बनाने के बाद उसमें चयन हेतु सफल उम्मीदवारों के अतिरिक्त C श्रेणी के जो आवेदक होंगे वे वन क्षेत्रपाल के पद हेतु भी विचारित किए जाएंगे।

तेरह- महत्वपूर्ण :-
- आयोग में परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- **चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।**

चौदह - आवेदन प्रक्रिया - उक्त पद हेतु आवेदन पत्र मात्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-दो** का अवलोकन करें।

पंद्रह - प्रवेश पत्र प्राप्ति प्रक्रिया - अभ्यर्थियों को परीक्षा के 10 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी E-mail/SMS द्वारा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 15.04.2022 से (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर डाउनलोड हेतु उपलब्धि रहेंगे। अर्हताधारी आवेदक अपने प्रवेश-पत्र उक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकेंगे। पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु आवेदक को वेबसाइट में विहित स्थान पर उसके आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि करनी होगी। एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु 5 रुपये पोर्टल शुल्क देय होगा।

सोलह - अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान ई-मेल आई.डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र-व्यवहार किया जाएगा। अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. में परिवर्तन की दशा में अभ्यर्थी को तत्काल नए ई-मेल आई.डी. की सूचना आयोग को आवश्यक पत्र व्यवहार हेतु लिखित में देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा ई-मेल आई.डी. परिवर्तन की स्थिति में नए ई-मेल आई.डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने ई-मेल आई.डी. पर ही किया जाएगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को सूचना प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक अपने वर्तमान डाक पते में परिवर्तन के संबंध में भी आयोग को

तत्काल लिखित में सूचना प्रेषित करें।

सत्रह - राज्य वन सेवा परीक्षा 2021, **राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015** (यथा संशोधित सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसुचना क्रमांक एफ-6-4-2015-एक (1), दिनांक 20.12.2021) के अनुसार आयोजित की जाएगी। उक्त नियम आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित किए गए हैं।

अठारह- **कोविड-19 के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।**

उन्नीस- **अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें -**

(1) आयु सीमा की छूटें **परिशिष्ट - एक**

(2) आवेदन पत्र भरने तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट - दो**

(3) आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश हेतु राज्य सेवा परीक्षा 2021 के **परिशिष्ट-तीन** का अवलोकन करें।

(4) प्रारंभिक परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम राज्य सेवा परीक्षा 2021 के विज्ञापन के साथ तथा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के साथ आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित किए जा रहे हैं।

सचिव

परिशिष्ट-एक
आयु सीमा में छूट

(01) वन क्षेत्रपाल/परियोजना क्षेत्रपाल हेतु -

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-14/2019/एक/3, दिनांक 19 दिसंबर, 2019 के अनुसार महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग), पुरुष/महिला आवेदक (अनु.जा./अनु.ज.जा./ अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी।

सहायक वन संरक्षक हेतु -

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/दिव्यांगजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।

(02) भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गई सेवा के आधार पर अधिकतम 03 वर्ष की छूट होगी जो कि अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष के अध्यधीन होगी।

स्पष्टीकरण

(1) भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985" के नियम 2 (ग) में अद्यतन संशोधन द्वारा यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक।

(2) ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को जो सैनिक सेवा में हैं उन्हें भूतपूर्व सैनिक का लाभ नहीं दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(03) प्रोत्साहन स्वरूप देय छूट :-

(1) अधिकतम 5 वर्ष तक :- यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित अन्तर्जातीय विवाह योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त सवर्ण पार्टनर हो;

(2) अधिकतम 5 वर्ष तक :- यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी- 3/8/85/3/1, दिनांक 3 सितम्बर, 1985 के अनुसार 'विक्रम अवॉर्ड' से सम्मानित खिलाड़ी हों :

परन्तु उक्त शिथिलीकरण के मामले में अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् अधिकतम लाभ वाली किसी एक छूट का ही हकदार होगा।

टिप्पणी :-

(1) समस्त छूटों को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित अधिकतम आयु सीमा (45 वर्ष) से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष या अधिक होगी वे सहायक वन संरक्षक के पद हेतु आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। वन क्षेत्रपाल के पद हेतु यह आयु सीमा 38 वर्ष होगी।

(2) आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट के समस्त लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य के सन्दर्भ में उपलब्ध होंगे, अतएव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट तथा अन्य लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को अनुज्ञेय होंगे। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में माने जाएंगे।

(4) अभ्यर्थी को शासकीय सेवक के तौर पर आयु सीमा मे छूट तभी प्रदाय की जाएगी जब वह प्रारंभिक परीक्षा से साक्षात्कार तक निरंतर शासकीय सेवक हो।

(छः) उक्त उपबंध, इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधिक्रमण में है।

उक्त रियायतों के सिवाय आयु सीमा में कोई भी अन्य छूट अनुज्ञेय नहीं होगी। अभ्यर्थियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आयोग केवल वही जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र में या उसके समकक्ष समझी गई परीक्षा के प्रमाण पत्र में अभिलिखित की गई हो। मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ साथ हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के प्रमाण पत्र/अंक सूची जिसमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो अनिवार्य रूप से अपलोड की जाना चाहिए, इसमें असफल रहने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आयु से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे जन्मपत्री, शपथ पत्र, नगर निगम सेवा अभिलेखों इत्यादि से लिए गए जन्म संबंधी उद्धरण और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र में उक्त प्रक्रिया के अनुसार एक बार जन्म तिथि सत्यापित होने तथा अभिलिखित हो जाने के बाद इसमें परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा तथा सभी अभ्यावेदन अमान्य होंगे। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों में विसंगतियां पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।

परिशिष्ट- दो
राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट पर **www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in** पर ऑनलाइन उपलब्ध है। आवेदक MPonline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भर कर कियोस्क पर ही परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

2. उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त आवेदक निम्न माध्यमों से भी शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:-

1. स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड (Master card/VISA/Maestro अथवा Rupay) के माध्यम से कर सकते हैं।

2. ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।

3. MPonline के अधिकृत कियोस्कों की सूची **www.mponline.gov.in** पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।

4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व अपने अद्यतन पासपोर्ट साइज की फोटो ग्राफ तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। **www.mponline.gov.in** के KIOSK पर स्कैनिंग की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

5. **ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में वही नाम/उपनाम/जन्म तिथि को उल्लेखित करे जो उनकी हाईस्कूल की अंकसूची में उल्लेखित है। यदि अभ्यर्थी द्वारा नाम परिवर्तन करवाया गया है तब भी ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाईस्कूल की अंकसूची में उल्लेखित उक्त विवरण ही मान्य होंगे।**

6. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिए गए निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।

7. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ही आवेदन Submit करें।

8. आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले pop up window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात् **उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग, आधार कार्ड आदि की जानकारी दी जाएगी,** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Pop up window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed to payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें। आवेदक उक्त आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्मतिथि का प्रयोग कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

9. **त्रुटि सुधार सुविधा** :- आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 15.01.2022 से 11.02.2022 तक** प्रति त्रुटि सुधार सत्र **रु. 50/-** शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीवद्ध किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/निःशक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई भी पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीवद्ध किया जाएगा।

10. आवेदक उक्त आवेदन पत्र को सुरक्षित रखें। आवेदन पत्र में अंकित आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक की प्रविष्टि कर इंटरनेट के माध्यम से वे प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले सकेंगे।

11. **अत्यावश्यक** :-

यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में वर्टिकल श्रेणी (अना./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) गलत भरी गयी है तो उसे अनारक्षित (ओपन) के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर अनारक्षित (ओपन) श्रेणी में उम्मीदवारी मान्य होगी और यदि होरीजोंटल आरक्षण (महिला/भूतपूर्व सैनिक/निःशक्तजन) में गलत श्रेणी भरी है तो उसी वर्ग के ओपेन के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर उस वर्ग के ओपन में उम्मीदवारी मान्य की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश और विधि :-

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदन पत्र दिनांक 10.01.2022 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 09.02.2022 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।

2. आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 15.01.2022 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 11.02.2022 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटि सुधार शुल्क के भुगतान के पश्चात आवेदन पत्र में वांछित सुधार किया जा सकेगा।

3. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग करने की मांग की जाती है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि रु. 250/- का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

4. आवेदन एवं परीक्षा शुल्क :-

म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी एवं मध्यप्रदेश से बाहर के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
रु. 250/-	रु. 500/-

सभी श्रेणी के आवेदकों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रु. 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा। जो अभ्यर्थी राज्य सेवा तथा वन सेवा दोनों हेतु आवेदन करेंगे उन्हें भी उपरोक्त अनुसार ही शुल्क एक बार ही देना होगा।

टीप:-	1.	प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन माड्यूल की सहायता से रु. 50/- शुल्क का भुगतान कर अभ्यर्थी उनकी OMR शीट Download कर सकेंगे।
	2.	सूचना के अधिकार के तहत प्रारंभिक परीक्षा की OMR शीट की फोटोकॉपी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात प्रदान की जाएगी किन्तु राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के संदर्भ में ऑनलाइन परीक्षा संबंधी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में जानकारी हेतु परिशिष्ट-चार देखें।
	3.	प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान अलग से करना होगा

आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्नांकित दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

हेल्पलाइन नं. 0755-6720210 तथा 0755-6720211

किसी भी स्थिति में आयोग को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के किसी भी दावे पर न तो विचार किया जाएगा और ना ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा/चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा।

5. **ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी :-**
म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित **राज्य वन सेवा परीक्षा 2021** के लिए आवेदन पत्र वेबसाइट **https://www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** एवं **www.mppsc.com** पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आवेदक परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लाक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता है। एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए **https://www.mponline.gov.in** पर **locateKiosk/CSCsLink** देखें। **आवेदक हेल्पलाइन नं. 0755-4019400** से भी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

6. **प्रारंभिक परीक्षा दिनांक :- 24.04.2022**

7. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म/परीक्षा शुल्क भरने की विधि :-
आवेदक **https://www.mponline.gov.in** वेबसाइट के माध्यम से **होम पेज पर CitizenServices** पर क्लिक करें इसके उपरांत Application लिंक पर जाकर MPPSC बटन को क्लिक करें। अब उसे यहां निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे।

Click here to Apply
Pay for unpaid Application/Duplicate Receipt
Click here to Edit
Download Admit Card Duplicate Receipt/View Application Status
Click Here to View Advertisement

आवेदक फार्म भरने से पहले **Click here to View Advertisement** को क्लिक कर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत ही आवेदक **Click here to Apply** को क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन **Upload Image** दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना फोटो-हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के दाहिनी ओर आवेदक को फोटो-हस्ताक्षर के **(प्रारूप हेतु इस लिंक्स)** दिखाई देंगी। **Links.** को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर **jpg** फार्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक **Upload Image** बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।

आवेदक फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही Submit बटन दबाएं। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए **Proceed to Payment** बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु निम्नानुसार ऑप्शन दिखाई देंगे :-

1. इंटरनेट बैंकिंग (सभी राष्ट्रीयकृत बैंक)
2. क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड (मान्य कार्ड जैसे Visa, Rupay, Master Card, Maestro card)

इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग से कर सकता है। इसके लिए आवेदक के पास स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अथवा युनियन बैंक ऑफ इण्डिया की नेट बैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक फार्म भरने के उपरांत Proceed to Payment का बटन दबाएगा। यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग आप्शन दिखाई देखा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई डी पासवर्ड डालकर लॉगिन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नम्बर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें एवं संभालकर रखें।

क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए Proceed to Payment का बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर आईसीआईसीआई बैंक का पेमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कंफर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के पश्चात कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।

सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नंबर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें।

8. **एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म/परीक्षा शुल्क भरने की विधि :-**
आवेदक आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाएगा। कियोस्क संचालक **https://www.mponline.gov.in** वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन टाइप में कियोस्क सिलेक्ट कर लॉगिन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में MPPSC सिलेक्ट कर सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां आवेदक को उपलब्ध कराएगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जाएं। कियोस्क आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदक सभी जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहे। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।

आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और तथा अपने पास संभाल कर रखें।
जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का ही होगा।

9. यदि आवेदक के पास क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गए फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid Application/Duplicate Receipt लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है :-
इसके लिए आवेदक को उपरोक्त बताए गए विन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गए फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक Pay for unpaid Application/Duplicate Receipt लिंक पर क्लिक कर उक्त जानकारियां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक द्वारा भरी गई समस्त जानकारियां अंकित होंगी।

- आवेदकों से निवेदन है कि "ऑनलाइन आवेदन" की पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
- ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा या एमपीऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

नोटः- यदि आपको ऑनलाइन फार्म में भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें -

एमपी ऑनलाइन लिमिटेड
निरुपम शॉपिंग मॉल
द्वितीय तल अहमदपुर, होशंगाबाद रोड,
भोपाल-422026, हेल्पलाइन नं. 0755-4019400

2. **अन्य निर्देश/जानकारी :-**
1. राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा में आवेदक का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है, क्योंकि आयोग ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता/जन्मतिथि/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ मूल निवासी प्रमाण पत्र/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र आदि नहीं मांग रहा है। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न न करें। समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा हेतु सफल आवेदकों द्वारा मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना है तथा साक्षात्काकर के समय मूलतः प्रस्तुत करना है।
2. राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए केवल अनुवीक्षण [Screening] परीक्षा होती है। उम्मीदवारों के अंतिम चयन में इस परीक्षा में प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाएगा।
3. राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की अंकसूचियां जारी नहीं की जाती हैं।
4. आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
5. आवेदक को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक परीक्षा केन्द्र, पूर्ण पता तथा मोबाइल नंबर लिखना चाहिए।
6. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान ई-मेल आई.डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक होने पर पत्र-व्यवहार किया जाएगा। अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. में परिवर्तन की दशा में अभ्यर्थी को तत्काल नए ई-मेल आई.डी. की सूचना आयोग को आवश्यक पत्र व्यवहार हेतु लिखित में देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा ई-मेल आई.डी. परिवर्तन की स्थिति में नए ई-मेल आई.डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र व्यवहार पुराने ई-मेल आई.डी. पर ही किया जाएगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक अपने वर्तमान डाक पते में परिवर्तन के संबंध में भी आयोग को तत्काल लिखित में सूचना प्रेषित करे।
7. परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक व प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, दी गई ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुंचाना, धौंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुंचाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण, परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका जमा न करना आदि को दण्डनीय माना जाएगा।
8. **पहचान चिन्ह :-** ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अन्य अंक, अपना नाम या अन्य नाम या किसी प्रकार का चिन्ह लगाएंगे तो उसे पहचान चिन्ह बनाया माना जाएगा। ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को नोटिस देना अनिवार्य नहीं होगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी।
9. परीक्षा परिसर तथा साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन या अन्य संचारी यंत्र वर्जित है।
10. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि सभी स्थानों अर्थात उनके आवेदन पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किए गए समस्त पत्र व्यवहार में उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए यदि विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
11. आवेदक की अर्हता/पात्रता हेतु देखिए राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 के नियम 6, 8, 9, 10 एवं 12 तथा दंड/शास्ति हेतु देखिए नियम 14

3. **आवेदन की अंतिम तिथि :-**
ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 09.02.2022** है। अंतिम तिथि को रात्रि 12.00 के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4. **नियोक्ता की अनापत्ति :-**
जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवक के रूप में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है) या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत है, उनको यह अभिवचन [Under taking] (जैसा कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की घोषणा में छपा है) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को चयन के किसी भी स्तर पर उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने से संबंद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

5. **आवेदक को प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। निम्नांकित समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने आवश्यक होंगे।**

आयु संबंधी प्रमाण के लिए - केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र - हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है। समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की सत्यापित अंकसूचियां। उपाधि संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा।

जाति प्रमाण-पत्र - उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण अथवा अन्य किसी रियायत के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपलोड करना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, अनुप्रमाणन पत्र के साथ अनिवार्यतः अपलोड करना चाहिए। विवाहित महिलाओं के मामले में उसके पिता के नाम का उल्लेख करने वाला जाति प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में जाति प्रमाण पत्रों में यह प्रमाणन आवश्यक है कि आवेदक क्रीमीलेयर में नहीं आता है। जिन प्रमाण पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे किसी भी प्रकार की छूट हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रारूप में घोषणा पत्र (Declaration) अपलोड करना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित नवीनतम मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आते :-
टीप : क्रीमीलेयर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।

(शेष पृष्ठ 19 पर)

आजाद पी 3 एकेडमी
सपनों की उड़ान आप भरें, उन्हे साकार हम करें।
UPSC | MPPSC | MPSI | PATWARI | SAMVIDA 1,2,3
प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट सेवा हेतु सम्मानित
MPPSC (PRE)
75 दिवसीय एग्जाम कोर्स
नोट्स, टेस्ट सीरीज फ्री
फीस 15500/-ONLY
ONLINE LIVE CLASSES उपलब्ध
ONLINE TEST सीरीज
26 TEST PAPER
2 जनवरी 2022 एवं 26 मार्च 2022
1250/- ONLY
MPSI NEW BATCH 27 दिसम्बर 21
MPPSC अपडेट नोट्स उपलब्ध पार्सल सुविधा
फ्री 10 मॉडल टेस्ट पेपर
1150/- ONLY
संविदा शिक्षक ग्रेड 3 क्लासेस प्रारंभ
करेंट अफेयर्स आजाद P3 एप्प पर उपलब्ध
GANGA
हेड ऑफिस : वेदा बिल्डिंग 211 द्वितीय मंजिल, एप्पल हॉस्पिटल के पास, भंवरकुंआ, इंदौर
0731-4966653 / 54, 97559-16644,
70244-86260, 91092-57973
R-46371/2021

प्रयासKSG
An institute for MPPSC Examination
Build Your Own Success Story
UPSC में 2000 से अधिक सलेक्शन देने के बाद
MPPSC को समर्पित KSG का प्रतिबद्ध संस्थान
Our Classroom Students

RACHNA SHARMA
RANK - 2
(MPPSC TOPPER 2018)

GAGAN BISEN
RANK - 7
(MPPSC TOPPER 2017)

TANMAY
RANK - 15
(MPPSC TOPPER 2018)
A Team of 18 Specialised and Academically Competent Teachers
तैयारी जीत की
MPPSC
PRE + MAINS (With Study Material)
ADMISSION OPEN
SPECIAL PRELIMS & FOUNDATION BATCH
FREE DEMO CLASSES
SEPARATE BATCH FOR ENGLISH AND HINDI MEDIUM
NOW IN INDORE 9893739446, 7725837474
111-117, 1st Floor, Veda Building, Bhawar Kuan Square, Indore
R-46374/2021

आप भी प्रशासनिक अधिकारी बन सकते है।
JADON'S IAS
MPPSC (PRE) 2021
TARGET BATCH 1 जन. 2022 से प्रारम्भ
Separate Hindi & English Medium
सर्वाधिक परिणाम देने वाले प्रदेश के सबसे अनुभवी
मार्गदर्शक आनन्द जादौन सर
एवं दिल्ली की टीम द्वारा
प्रतिदिन 6-8 घंटे का गहन प्रशिक्षण
1 घंटे का OT प्रशिक्षण
प्रिन्टेड नोट्स
रेगुलर टेस्ट सीरीज
उत्तर व्याख्या सहित
GANGA
PSC (MAIN) ! MPSI ! SSC
HO : Jhavar Estate Thatipur Gwalior
BO: Bholaram Square, Bhawarkua Indore
0731- 4021218, 9425121218
R-46372/2021

संबल योजना में अनुग्रह सहायता के आवेदन की समय-सीमा में वृद्धि

भोपाल, मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना में अनुग्रह सहायता के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को और अधिक सहज बनाया गया है। योजना में आवेदन देने की 90 दिवस की अवधि को बढ़ाकर 180 दिवस किया गया है। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा संभाग एवं जिलों को परिपत्र जारी किया गया है।

योजना के संचालन के लिए एनआईसी द्वारा निर्मित पोर्टल पर अनुग्रह सहायता राशि के प्रकरण दर्ज किये जाते हैं। मृतक के परिजन द्वारा मृत्यु से 7 दिवस में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अंत्येष्टि सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो अनुग्रह सहायता का प्रकरण दर्ज करने की कोई समय-सीमा नहीं है। लेकिन मृत्यु के 7 दिवस के भीतर अंत्येष्टि सहायता का प्रकरण पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जाता है तो अनुग्रह सहायता राशि के प्रकरण दर्ज करने के लिए मृत्यु दिवस से 90 दिवस के स्थान पर अब 180 दिवस की समय-सीमा में हितग्राही आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

संबल योजना संचालन में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के लिए जिला कलेक्टर को अपीलीय अधिकार दिये गये हैं। साथ ही भौतिक सत्यापन के लिए लंबित रह गये प्रकरणों में से सत्यापन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। इसी प्रकार मृत्यु के कारण अथवा अन्य कारणों से अपात्र घोषित किन्तु स्वीकृत प्रकरणों में पुनर्सत्यापन की कार्यवाही भी जिला स्तर से की जा रही है।

PEOPLE'S UNIVERSITY
(Established by M.P. Act No. 18 of 2011 & approved u/s 2 (f) of UGC act 1956)
ADMISSION OPEN 2021-22
PEOPLE'S COLLEGE OF PARAMEDICAL SCIENCES & RC
MPT Masters of Physiotherapy - (Ortho'/ Neuro'/ Cardio' & Sports) 2 yrs PG Degree Program, Eligibility : BPT
BPT Bachelor of Physiotherapy 4½ yrs Degree Course
BMLT Bachelor of Medical Lab Technology 3 yrs Degree Course
DMLT Diploma in Medical Lab Technology 2 yrs Diploma Course
DDT Diploma in Dialysis Technology 2 yrs Diploma Course
Eligibility : 12th with Physics, Chemistry & Biology
People's Institute of Hotel Management
BBA Bachelor of Business Administration In Hospitality & Hotel Administration 3 years Degree Course
International Placement Assistance
Industrial Training in Star Category Hotels of India /Abroad
Eligibility : 12th with Any Stream(Science/Arts/Commerce/Vocational)
Ph. - 0755-400 5203, 9538500200
People's Campus, Bhanpur, Bhopal (M.P.)-462037
R-46375/2021

संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से होगी दोगुनी वसूली - मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों से नुकसान की वसूली के लिये मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी का वसूली विधेयक में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया कानून सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों से उस नुकसान की दोगुनी भरपाई करवाने का कार्य करेगा।

श्री चौहान ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन, धरना और आंदोलन किसी का लोकतांत्रिक अधिकार हो सकता है, लेकिन इसकी आड़ में कुछ अराजक तत्व तोड़-फोड़, आगजनी, सरकारी या सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसे लोकतंत्र में कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए विधि अनुसार बाकी कार्यवाही तो होती है लेकिन अगर ऐसे आंदोलनों के दौरान भी अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सार्वजनिक सम्पतियों को नुकसान पहुंचाएगा, तोड़-फोड़ करेगा, आगजनी करेगा तो जितना नुकसान होगा उसकी दोगुनी भरपाई उससे करवाई जाएगी।

राज्य सरकार ने इस संबंध में नवीन दांडिक व्यवस्था लागू करते हुए नए कानून का मार्ग प्रशस्त किया है। यह विधेयक पारित होकर अब कानून बन गया है।

मध्यप्रदेश राज्य सेवा तथा विभिन्न परीक्षाओं की सफल तैयारी ...
प्रतियोगिता निर्देशिका
(ऑनलाइन मासिक पत्रिका, 1984 से)
मात्र ₹15
जनवरी 2022 अंक
(डॉ. जयंतीलाल मण्डारी के द्वारा तैयार वर्ष 2021 का सम्पूर्ण परीक्षोपयोगी घटनाक्रम यादें 2021 एवं विभिन्न परीक्षाओं के मॉडल टेस्ट पेपर, कुल पृष्ठ 150)
तुरन्त खरीदें, पढिए और चाहें तो प्रिंट करें ...
www.pratiyogitanirdeshika.com
111, गुमाश्ता नगर, इन्दौर
☎ 0731- 2482060, 2480090
R-46377/2021

आवश्यकता है
श्री नित्यानंद बी.एड. कॉलेज- धार (म.प्र.)
देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इंदौर से संबद्धता प्राप्त
प्रिंसिपल/प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/असिस्टेंस प्रोफेसर बी.एड. महाविद्यालय हेतु
योग्यता एवं अनुभव, नियुक्तिः- परिविधम क्रमांक 28 के अंतर्गत
हेल्थ एवं फिजिकल एजुकेशन M.P.E.D. न्यूनतम 55%
फाईन आर्ट्स MFA न्यूनतम 55%
परफार्मिंग आर्ट्सः- स्नाकोत्तर संगीत/डांस/ड्रामा न्यूनतम 55%
NCTE नियमानुसार, वेतनमान-यू.जी.सी. नियमानुसार
इच्छुक अभ्यर्थी 7 दिनों के अंदर सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि सहित आवेदन करें।
संपर्क- लालबाग परिसर, विक्रम ज्ञान मंदिर, धार (म.प्र.)
फोन नं.- 07292-406326, 98273-94449 Email Id:- shrinityanandbed@gmail.com
R-46376/2021

कोई भी पात्र व्यक्ति कोरोना वैक्सीन के द्वितीय डोज से नहीं छूटे

भोपाल, वैक्सीन का द्वितीय डोज लगाने में गति लाई जाये। कोई भी पात्र व्यक्ति कोरोना वैक्सीन के द्वितीय डोज से नहीं छूटे। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय में कोरोना संक्रमण नियंत्रण एवं टीकाकरण की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुये कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में कोरोना का वैक्सीनेशन कम हुआ है, वहां के प्रभारी अधिकारी इस पर विशेष ध्यान देकर कार्य करना सुनिश्चित करें। टीकाकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। एक-एक व्यक्ति को ढूंढकर टीका लगायें। अभियान लगातार चलता रहे। इस कार्य में कोई कोताही नहीं बरतें।

श्री चौहान ने कहा है कि पहले चरण में रोकने-टोकने का अभियान शुरू करें। मास्क नहीं लगाने वालों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सावधानियां भी रखी जायें। उन्होंने कहा कि मास्क के लिए रोका-टोकी और टीकाकरण के दोनों डोज लगवाने के लिए नागरिकों को प्रेरित करें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि दोनों डोज लगवाने वाले ही नये साल के उत्सव कार्यक्रम, जिम, सिनेमा हॉल आदि स्थानों पर जायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। बिना वैक्सीन के वेतन नहीं दिया जाये।

शिक्षा को रोज़गार से जोड़ने की है आवश्यकता - उच्च शिक्षा मंत्री

भोपाल, शिक्षा को रोज़गार से जोड़ने की आवश्यकता है। हमारा प्रयास है कि हम अपने विद्यार्थियों को न केवल परम्परागत शिक्षा से जोड़ें, अपितु उन्हें नवाचारों के माध्यम से बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न भी बनायें। सकारात्मक होकर आगे बढ़ेंगे, तो हमारे प्रयास निश्चित रूप से सुपरिणामदायी होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह विचार प्रशासन अकादमी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन एवं विभागीय विषयों पर महाविद्यालयों के प्राचार्यों की एक दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर व्यक्त किये।

डॉ. यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न नवाचारों के माध्यम से कई परिवर्तन किये जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में ऐसे विषयों को जोड़ा गया है, जिससे युवाओं को अधिकाधिक रोज़गार मिल सके। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति हमारे लिये सौभाग्य के साथ ही जवाबदारी भी है। पूरे देश में मध्यप्रदेश का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में परम्परागत सीमाओं को तोड़ने का प्रयास किया गया है। हमारी कोशिश है कि हम मूल रूप से शिक्षा को रोज़गार से जोड़कर युवाओं को आत्मनिर्भर बनायें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने विद्यार्थियों को नये परिवेश से रू-ब-रू कराने का मौका दिया है।

डॉ. यादव ने प्राचार्यों से कहा कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में आपके अनुभव और परिश्रम का लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के पर्सनैल्टी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी हमारी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इनोवेटिव शिक्षा को लागू करने की आवश्यकता थी और नई शिक्षा नीति इसी पर आधारित है। सामाजिक न्याय के लिये शिक्षा बहुत जरूरी है। भारत युवाओं का देश है। बहुआयामी प्रतिभाओं का विकास करने में नई शिक्षा नीति निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

डॉ. यादव ने कहा कि प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी कि वे अब विभिन्न विभागों से समन्वय बनाकर नई शिक्षा नीति के अनुरूप ऐसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करें, जो रोज़गारमूलक हों। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन एवं उप आयुक्त श्री दीपक सिंह उपस्थित थे।

आजीविका मिशन से जुड़कर गतिविधियों को बढ़ाएंगे तेजस्विनी समूह

तेजस्विनी समूहों की पारंपरिक पहचान को रखा जाएगा कायम - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम तेजस्विनी की गतिविधियों की बैठक को संबोधित करते हुये।

भोपाल, मध्यप्रदेश में तेजस्विनी कार्यक्रम में कार्यरत समूह अब आजीविका मिशन में कार्य करेंगे। महिला सशक्तिकरण कार्यों को नई गति प्रदान की जाएगी। तेजस्विनी समूह की गतिविधियों को तेज करने में आजीविका मिशन पूरा सहयोग करेगा। इन समूहों को अधिक सशक्त बनाकर सदस्य बहनों की आय वृद्धि, आत्मनिर्भरता और आर्थिक संबल के लाभ भी मिलेंगे। तेजस्विनी के समूहों की पारंपरिक पहचान को कायम रखा जाएगा। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम तेजस्विनी के क्रियान्वयन की गतिविधियों के संबंध में बैठक को संबोधित करते हुये कहीं।

स्व-सहायता समूहों का होगा मिशन में विलय

उल्लेखनीय है कि गत 16 दिसंबर को मंत्रिपरिषद ने तेजस्विनी कार्यक्रम में गठित स्व-सहायता समूहों के कार्य क्षेत्र एवं स्वरूप को यथावत रखते हुए उनका राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में विलय किए जाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में इस समय ग्राम स्तर के 16 हजार 749 महिला स्व-सहायता समूह कार्यरत हैं। ग्राम स्तर पर 2 हजार 624 समितियां और विकासखण्ड स्तर पर 60 महिला महासंघ कार्य कर रहे हैं।

प्रमुख गतिविधियां

देश में करीब 80 लाख महिला सदस्यों में से सवा दो लाख सदस्य मध्यप्रदेश की हैं। यह प्रतिशत राष्ट्रीय भागीदारी में 2.7 है। प्रदेश के 6 जिलों में क्रियान्वित तेजस्विनी कार्यक्रम में तीन जिले सागर संभाग और तीन जिले जबलपुर संभाग के शामिल हैं। वर्तमान में तेजस्विनी समूह 51 करोड़ 24 लाख रुपये की बचत कर चुके हैं। छह जिलों मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, पन्ना, टीकमगढ़ और छतरपुर में कृषि कार्य के अलावा डेयरी, सब्जी उत्पादन, बकरी पालन, किचन गार्डन, उद्यानिकी, पोल्ट्री और टेलरिंग जैसी गतिविधियों से 2 लाख 15 हजार महिलाएं संलग्न हैं। महिला महासंघ कोदो प्र-संस्करण, टमाटर केचअप, गुड़ चिक्की, मिल्क चिलिंग सेंटर, पशु संवर्धन केंद्र, पावरलूम इकाई, पैकेजिंग इकाई और वर्मी कम्पोस्ट की गतिविधियों में संलग्न हैं। विपणन गतिविधियों में अन्दाई और भारती ब्रांड का पंजीयन कराया गया है। इसके लिए पोर्टल भी विकसित किया गया है। तेजस्विनी कार्यक्रम में सदस्यों की आय में काफी वृद्धि हुई है। एक सदस्य की औसत मासिक आय 2,176 रुपये से बढ़कर 6,190 रुपये हो गई है। योजना आयोग द्वारा भी इसका अनुमोदन किया गया है। वर्तमान में ग्राम सभा में भी महिलाओं की भागीदारी 62 प्रतिशत है। डिंडोरी की कोदो कुटकी न्यूट्री बेकरी इकाई, गोंडी फैब्रिक और हैंडलूम इकाई, मंडला में ऑर्गेनिक मसाला इकाई ने विशेष पहचान बनाई है। इसी तरह गणवेश सिलाई और आपूर्ति, जनता बीड़ी उत्पादन, गुड़ पट्टी और अलसी प्रोसेसिंग एवं उत्पादन इकाइयां संचालित की जा रही हैं। सागर संभाग के तीन जिलों छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना में मिल्क कलेक्शन सेंटर कार्य कर रहे हैं।

समर्थ बनी हैं समूह की महिलाएं

प्रदेश में तेजस्विनी महिला स्व-सहायता समूहों की 4 हजार 321 सदस्य पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनी थीं। इनमें से 1929 सदस्य सफलतापूर्वक पंचायत राज संस्थान में सदस्य बन चुकी हैं। प्रदेश में तेजस्विनी कार्यक्रम से जुड़ी 194 महिलाएं पंचायतों का नेतृत्व भी कर रही हैं।

बच्चों के हाथों में भारत का भविष्य सुरक्षित है - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अनुगूंज कार्यक्रम में बच्चों द्वारा बनाये गये चित्रों और कलाकृतियों का अवलोकन करते हुये।

भोपाल, बच्चों के हाथों में भारत का भविष्य सुरक्षित है। बच्चों में प्रतिभा, योग्यता और क्षमता की कोई कमी नहीं है। बच्चों के समक्ष आगे बढ़ने के अनेक रास्ते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। बच्चे अपनी प्रतिभा को निखार कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। आप में से ही कोई इंजीनियर, डॉक्टर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग दो दिवसीय 'अनुगूंज' कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में ज्ञान, कौशल और नागरिकता सभी का समावेश है। हम प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू कर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बना रहे हैं। उन्होंने बच्चों से कहा कि आप सभी मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहे और लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहे। श्री चौहान ने कहा कि आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, हजारों क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके त्याग, तपस्या और बलिदान से ही आजादी मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत को आप और हम मिलकर आत्मनिर्भर बना सकते हैं। श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के केस दुनियाभर में बढ़ रहे हैं, इससे सावधान रहें।

श्री चौहान ने कहा कि दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मेहनत और परिश्रम करें। आप चित्रकार, लेखक, खिलाड़ी तथा अलग-अलग क्षेत्रों में जा सकते हैं। ऊंची उड़ान भरें, पढ़ाई के साथ-साथ थोड़ा समय योग-प्राणायाम के लिए भी निकालें। समय को व्यर्थ न जाने दें। लक्ष्य निर्धारित कर देश और प्रदेश को आगे बढ़ायें।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन कर बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों और कलाकृतियों की सराहना की। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देखीं और बच्चों का उत्साहवर्धन किया।

कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए काम करेंगी मध्यप्रदेश की ग्राम पंचायतें

भोपाल, मध्यप्रदेश की ग्राम पंचायतें अब कार्बन उत्सर्जन कम करने के काम भी करेंगी। पर्यावरण अनुकूलन के साथ यह काम पंचायतों के लिए अतिरिक्त आय का जरिया भी बनेगा। इस संबंध में इंदौर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं पंचायत विभाग के शीर्ष अधिकारियों की बैठक में कार्यों की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है।

ग्लासगो पर्यावरण समिट में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि प्राचीन काल में भारत ने ही दुनिया को सही जीवन-शैली का मूल मंत्र दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को नियंत्रित करने के क्षेत्र में भारत द्वारा शीघ्र ही कुछ नया और अच्छा करने का प्रयास किया जायेगा। प्रधानमंत्री की इसी इच्छा के अनुरूप देश में इस क्षेत्र में प्रयास किये जा रहे हैं।

पर्यावरण अनुकूल योजनाएं

पंचायत एवं ग्रामीण विकास के प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव ने कहा कि तेजी से बढ़ रही कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को रोकने की दृष्टि से पूरी दुनिया में हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिये कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर जागरूकता लाया जाना जरूरी है। मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों से कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के लिए पर्यावरण अनुकूल योजनाएं संचालित की जायेंगी। मुख्य रूप से इनमें ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सोलर बिद्युत, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा, कम्पोस्ट निर्माण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, बायोगैस आधारित परियोजनाएं, पशु अपशिष्ट प्रबंधन, गो-काष्ठ एवं गोवर्धन योजनाएं शामिल हैं। बड़े पैमाने पर वृक्षा-रोपण गतिविधियां, वाणिज्यिक वृक्षा-रोपण, वनों की कटाई को रोकना, प्लास्टिक संग्रहण एवं रिसाइक्लिंग आदि के लिए गांव में योजनाबद्ध स्वरूप में काम किया जा रहा है।

कार्बन निवेश बढ़ेगा

पहले चरण में कुछ जिलों में यह काम शुरू किया जायेगा। धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में काम किया जायेगा। इससे पंचायतों को मौजूदा परिसंपत्तियों से आय का अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होगा। साथ ही इसके लिए अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा। संस्थाओं को भविष्य के कार्बन निवेश के लिए बढ़े हुए अवसर प्राप्त होंगे। पंचायती राज संस्थाओं को पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी।

स्वच्छता के प्रति जागरूकता

विभाग द्वारा बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन में प्रदेश में विभिन्न जिलों में स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं। भोपाल जिले में कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक संग्रहण सहित स्वच्छता के क्षेत्र में कई नवाचार भी किये गये हैं। अन्य जिले भी दिन-प्रतिदिन स्वच्छता की ओर अग्रसर हैं। कार्बन क्रेडिट से क्षेत्र में शुरू किये जा रहे काम से पर्यावरण अनुकूलता के साथ ही गांवों में आजीविका के अवसर मिलेंगे।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को बेहतर बनाने में उपयोगी है विज्ञान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्यप्रदेश विज्ञान सम्मेलन को संबोधित करते हुये।

भोपाल, भारत खगोल विज्ञान, गणित और आध्यात्म के क्षेत्र में लगातार आगे रहा है। विज्ञान के सहयोग से प्रदेश में अपार संपदा का उपयोग कर हम रोज़गार के अवसर सृजित कर सकते हैं। सीएम राइज स्कूल में सभी विषयों के साथ विज्ञान के अध्ययन के लिए भी समुचित व्यवस्था रहेगी। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'मध्यप्रदेश विज्ञान सम्मेलन एवं प्रदर्शनी' का उद्घाटन करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश विज्ञान सम्मेलन महत्वपूर्ण आयोजन है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है। हमने आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का लक्ष्य तय किया है। यह सम्मेलन आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। भारत ने दुनिया को ज्ञान का प्रकाश और विज्ञान का वरदान दिया है। भारत में धर्म, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान की परंपरा है। हमारा विज्ञान बहुत गौरवशाली और समृद्ध है।

श्री चौहान ने कहा कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे का समर्थन करते हैं। मंत्र भी एक विज्ञान है, ध्वनि ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। मंत्रों के चमत्कार विज्ञान ने सिद्ध किए हैं। भारत ने खगोल विज्ञान, गणित आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, भास्कराचार्य जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ हमारे यहां हुए हैं। शून्य का आविष्कार भी भारत में हुआ। गणित और विज्ञान में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। जयपुर में बनी वेधशाला अपने आप में आश्चर्यजनक है। ज्ञान-विज्ञान, आध्यात्म के क्षेत्र में भारत लगातार आगे रहा है। इस ज्ञान-विज्ञान को हम उचित रूप से संकलित करके नहीं रख पाए। यह भी माना जाता है कि भारत के विचारों और ज्ञान-विज्ञान तकनीक को ले जाकर दूसरे देशों द्वारा विभिन्न प्रकार के अविष्कार किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में हर क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है। हमें वैज्ञानिक विकास से उत्पन्न परिस्थितियों को भी समझना होगा। कोरोना पर स्थिति हमारे सामने हैं, इसके साथ कैंसर एक्सप्रेस की बातें भी सुनाई दे रही हैं। यह परिस्थितियां प्रकृति के विनाश, अवैज्ञानिक दृष्टिकोण और अव्यवस्थित जीवन पद्धति के परिणाम स्वरूप निर्मित हुई हैं। भारत में प्रकृति के शोषण के स्थान पर प्रकृति के दोहन का दर्शन था। कृषि के मामले में हमें परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है। रासायनिक खाद ने हमारे अन्न और सब्जियों को विषाक्त कर दिया है। परिणामस्वरूप ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इससे समुद्र का जल-स्तर तो बढ़ेगा ही साथ ही नदियां भी प्रभावित होंगी।

श्री चौहान ने कहा कि केवल तकनीक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। भारत में प्रकृति पूजा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिणाम थी। पर्वतों, वृक्षों और नदियों की पूजा, प्रकृति के महत्व को दर्शाती है। नदियां यदि रहेंगी, उनमें जल रहेगा तो वे जीवन देती रहेंगी, यह हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के विषय में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। धरती केवल मनुष्य के लिए है, यह सोच गलत है। पशु-पक्षियों, पेड़-पौधों, कीट-पतंगों के अस्तित्व के बिना धरती का अस्तित्व संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकल को वोकल बनाने में बेहतर तकनीक का उपयोग सहयोगी सिद्ध होगा। प्रदेश में स्व-सहायता समूहों में काम कर रही महिलाओं को यदि थोड़ा विज्ञान और तकनीक का सहयोग मिल जाए, तो उनके उत्पाद बेहतर हो सकते हैं।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के कृषि उत्पाद की प्रोसेसिंग करके हम जो उत्पाद बनाते हैं वे गुणवत्तापूर्ण हों, यह विज्ञान के सहयोग के बिना संभव नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है। प्रदेश में रोज़गार सृजित करने में प्रदेश में उपलब्ध भरपूर वन-संपदा, खनिज-संपदा, जल-संपदा सहयोगी है। प्रदेश में हीरा और कोयले की खदानें भी हैं। इन सबका उपयोग करते हुए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण है।

विद्यार्थी राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएं - राज्यपाल

शहडोल, राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों की अहम भूमिका है। प्राध्यापकों का दायित्व है कि वे विद्यार्थियों में सेवा और संस्कार रोपित कर उन्हें आदर्श छात्र एवं नागरिक बनाने का प्रयास करें। आदर्श नागरिक बनाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई शिक्षा नीति में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रोज़गार के साथ ही नैतिक मूल्यों का समावेश किया गया है। विश्वविद्यालय, शिक्षा के साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करें। ये बातें राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने शहडोल में पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षान्त समारोह को सम्बोधित करते हुये कहीं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में अध्यनरत छात्र-छात्राएं सत्य के मार्ग पर चलकर और धर्म का पालन कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर अपने ज्ञान को शोध और अनुसंधान में लगाएं। विद्यार्थियों के ज्ञान से उनका गांव, प्रदेश और देश का नाम रोशन हो, विद्यार्थी ऐसा कोई कार्य न करें जिससे उनकी मातृभूमि को लांछन लगे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पदक सम्मान मिलने के बाद उनकी सामाजिक एवं राष्ट्र के प्रति जवाबदारी और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र धन अर्जित करेंगे तथा अपने ज्ञान का उपयोग समाज हित में करेंगे।

राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय अंचलों में सिकल सेल की बीमारी सभी के सामने एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल के प्रति जागरूकता पैदा करने और इसके नियंत्रण में विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों को भी सहभागिता निभानी चाहिए। सभी विश्व-विद्यालय 5-5 गांव गोद लेकर सिकल सेल बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करें और बीमारी से बचाव के लिए निरंतर प्रयास करें। यह वंशानुगत रोग है, इसके निदान के लिए सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल की जांच वृहद स्तर पर होनी चाहिए, जिससे रोग के बारे में सभी को जानकारी हो और इसका निदान भी संभव हो सके।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़, जनजाति कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री रामखेलावन पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजातीय अंचल शहडोल संभाग के लिए सब कुछ किया है, इसमें विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना प्रमुख है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए हर स्तर पर नागरिकों को प्रयास करना होगा। राज्यमंत्री श्री पटेल ने विद्यार्थियों को दीक्षान्त समारोह में स्वर्ण पदक मिलने पर शुभकामनाएं भी दीं।

संस्थान की क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रमों का हो चयन

भोपाल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल की सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुये कहा कि नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रमों का चयन संस्थान अपनी क्षमता अनुसार निर्धारित करें।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये अंकेक्षक की नियुक्ति, पारिश्रमिक निर्धारण और बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल के निर्माण की चर्चा की गई। साथ ही नवीन शिक्षा नीति से शिक्षण शुल्क में वृद्धि, कोविड-19 के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के लंबित देयकों के भुगतान, संस्थान में आउटसोर्सिंग सेवा के लिये निविदा निकालने तथा संस्थान के संपदा अधिकारों में नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन दिया गया।

सामान्य परिषद के उपाध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन, संचालक उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान डॉ. पी.के. अग्रवाल तथा योजना आर्थिकी, पिछड़ा वर्ग, वित्त एवं महिला बाल विकास विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

क्लस्टर निर्माण से प्रदेश में निवेश के साथ बढ़ेंगे रोज़गार के अवसर

भोपाल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा ने मंत्रालय में क्लस्टर उद्योग के संबंध में खिलौने बनाने वाली कंपनी हेमले और फर्स्ट क्राय के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग में एमएमएसई विभाग की सपोर्ट टीम के डायरेक्टर श्री विशेष गढ़पाले एवं टीम के अन्य प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

श्री सखलेचा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में क्लस्टर विकास के माध्यम से उत्पादन की लागत कम किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसमें ऊर्जा, परिवहन, इन्वेंटरी, भूमि आदि की लागत में कमी लाने के साथ निपुणता लाने के लिये शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। साथ ही टॉय क्लस्टर के लिए प्रस्तावित जगह इंदौर और बुधनी को उपयोगी बताया है, जहां प्रोडक्शन से परिवहन और रोज़गार संबंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

टॉय क्लस्टर डेवलपमेंट के संबंध में हुई बैठक में फर्स्ट क्राय बेबी प्रोडक्ट कंपनी के सीईओ श्री सुपम महेश्वरी और हेमले टॉय कंपनी के प्रतिनिधि श्री मनु शर्मा शामिल हुए। दोनों कंपनी के प्रतिनिधियों ने प्रदेश में प्रस्तावित इंदौर एवं बुधनी में टॉय क्लस्टर के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाई। साथ ही प्रदेश में निवेश के वातावरण को अनुकूल बताते हुए जल्द ही क्लस्टर में अपने प्रोडक्शन को शामिल करने की बात कही।

श्री सखलेचा ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का हृदय प्रदेश है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी कनेक्टिविटी है। हमारी स्ट्रैटेजिक लोकेशन हमें देश का प्रोडक्शन एवं लॉजिस्टिक हब बनने की क्षमता प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि शासन का लक्ष्य है कि 2022 तक सभी औद्योगिक क्लस्टर प्रारंभ कर दिये जायें। कार्यशाला में हम नयी सोच, सुझाव एवं संकल्पों के साथ उत्पादन क्षमता और रोज़गार की संभावनाओं को बढ़ाने की दिशा में चर्चा करेंगे।

श्री सखलेचा ने किया टेन्को सिस्टम की नई यूनिट का शुभारंभ

इंदौर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने इंदौर के सिंहासा आई.टी. पार्क में इंदौर टेन्को सिस्टम की नई यूनिट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट भी उपस्थित थे। श्री सखलेचा ने सिंहासा आईटी पार्क की विभिन्न गतिविधियों एवं भवन का अवलोकन किया। किये गये कार्य पर श्री सखलेचा ने संतुष्टि व्यक्त की। श्री सखलेचा ने पार्क की बाउंड्रीवाल का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। आईटी उद्योगपतियों द्वारा बताई गई पेयजल की समस्या के निदान के लिए उन्होंने आश्वस्त किया कि वे जल्द ही इस विषय में उच्च अधिकारियों से चर्चा करेंगे।

कोरोना से निपटने सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रहें - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुये।

भोपाल, कोरोना के केस बढ़ने से रोकने के लिए और बेहतर उपाय किये जायें। ओमिक्रॉन के केस मध्यप्रदेश में अभी नहीं हैं, लेकिन अन्य राज्यों की स्थिति देखते हुए प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी रखें, जिससे लहर आने का खतरा न हो। प्रदेश में प्रथम टीकाकरण के डोज में 9 जिलों में 90 प्रतिशत से कम लोगों को टीका लगाया गया है। इन जिलों के प्रभारी अधिकारी ध्यान देकर टीकाकरण का प्रतिशत बढ़ाएं। कोरोना की दूसरी लहर के मुकाबले वर्तमान में अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ी है। बिस्तरों की संख्या और अधिक बढ़ाने एवं कोविड उपचार के लिए प्राइवेट अस्पतालों को भी चयनित करें। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कोरोना नियंत्रण एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुये कहीं।

हर जिले की कार्ययोजना बनाएं

श्री चौहान ने कहा कि कोविड के उपचार के लिए हर जिले की कार्ययोजना बनाएं, जिससे वहीं पर मरीजों का उपचार हो सके। जिलेवार सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बिस्तरों की मैपिंग कर ली जाये। ऑक्सीजन प्लांट की कमियां दूर कर ली लायें, जिससे पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहे। हर जिले में एक माह के लिए दवाओं एवं आवश्यक सामग्रियों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना में इम्पैनल्ड अस्पतालों के अनुबंध को 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन में बड़ी संख्या में कोरोना के प्रकरण बढ़ रहे हैं। इसी तरह अन्य देशों एवं भारत के कुछ राज्यों में भी कोरोना के प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं। यह सही समय है हमें सावधान रहने का।

हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते

श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए हम प्रदेश में कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। पिछली बार जो हानि हुई उसे दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं। लोग अनावश्यक भीड़ न लगायें, मास्क लगायें एवं कोरोना से बचाव की अन्य सभी सावधानियां रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर परिस्थिति के लिए हम तैयार रहें।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

लीना नायर

फ्रांसीसी लग्जरी ग्रुप शनैल की सीईओ बनीं

भारतीय मूल की लीना नायर को फ्रांस के मशहूर लग्जरी ग्रुप शनैल ने अपना नया ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है। इसी के साथ लीना, सत्या नडेला और सुंदर पिचाई जैसे भारतीय मूल के बड़े ग्लोबल सीईओ की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाली लीना ने झारखंड के जेवियर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पढ़ाई की है। लीना यूनिलीवर की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी थीं।

सायशा शिंदे

ट्रांसवुमेन डिजायनर ने हरनाज की फिनाले ड्रेस तैयार की

हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का ताज जिस ड्रेस को पहनकर जीता है। उसे ट्रांसजेंडर डिजायनर सायशा शिंदे ने बनाया था। सायशा ने हरनाज के मिस यूनिवर्स बनने के बाद बधाई देते हुये अपने इंस्ट्राग्राम हैंडल पर तस्वीर पोस्ट करते हुये कैप्शन 'We did it' भी लिखा। उन्होंने इससे पहले भी प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण, तापसी पन्नू, कैटरीना कैफ जैसी हस्तियों के आउटफिट भी डिजाइन किये हैं। सायशा शिंदे (पूर्व में स्वपनिल शिंदे) इस साल जनवरी में एक ट्रांसवुमन के रूप में सामने आयी हैं।

बालकृष्ण दोशी

भारतीय वास्तुकार रॉयल गोल्ड मेडल से होंगे सम्मानित

भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोशी को 'रॉयल गोल्ड मेडल-2022' प्रदान किया जायेगा। यह सम्मान वास्तुकला के लिये दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स (आरआईबीए) ने यह घोषणा की है। आरआईबीए ने कहा कि 70 साल के कैरियर और 100 से अधिक निर्मित परियोजनाओं के साथ 94 वर्षीय दोशी ने अपने अभ्यास और शिक्षण दोनों के माध्यम से भारत और उसके आस-पास के क्षेत्रों में वास्तुकला की दिशा को प्रभावित किया है।

असगर वजाहत

प्रसिद्ध साहित्यकार को व्यास सम्मान

हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार असगर वजाहत को नाटक 'महावली' के लिये वर्ष 2021 का व्यास सम्मान दिया जायेगा। के.के. बिरला फाउंडेशन द्वारा दिये जाने वाले इस सम्मान के साथ चार लाख रुपये की पुरस्कार राशि भी दी जाती है। वजाहत को 2009-10 में हिंदी अकादमी ने श्रेष्ठ नाटककार के सम्मान से नवाजा था। उन्हें 2014 में नाट्य लेखन के लिये संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड और 2016 में हिंदी अकादमी के सर्वोच्च शलाका सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2019 में प्रकाशित नाटक 'महावली' बादशाह अकबर और कवि तुलसीदास को केंद्र में रखकर रचा गया था।

सोनाली गर्ग

डीयू शोधार्थी को हार्वर्ड में मिली फेलोशिप

दिल्ली विश्वविद्यालय की शोधार्थी सोनाली गर्ग को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शोध कार्य के लिये एडवर्ड ओ. विल्सन 'बायो डायवर्सिटी पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप' प्रदान की गयी है। डीयू के पर्यावरण अध्ययन विभाग ने एक बयान में कहा कि सोनाली ने मेंढक की 50 नई प्रजातियों की खोज की है और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह संभवतः पहली भारतीय महिला हैं।

असम में

एक किलो चाय 99,999 रुपये में बिकी

असम की खास किस्म की चाय ने नीलामी का नया रिकॉर्ड बनाया है। यहां की मनोहरी गोल्ड टी 99,999 रुपये प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड कीमत पर बिकी है। यह देश में चाय की बिक्री और खरीद में अब तक की सबसे ऊंची नीलामी कीमत है। 'गोल्डन बटर-फ्लाई टी' के नाम से प्रसिद्ध यह चाय पिछले साल की नीलामी में 75,000 प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकी थी। इस चाय की खासियत है कि यह पत्तियों से नहीं बल्कि छोटी कलियों से तैयार की जाती है।

पिनाक-ER रॉकेट लॉन्चर

सफल रहा परीक्षण

सेना ने उन्नत नौवहन एवं नियंत्रण प्रणाली से लैस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली पिनाक-ER का जैसलमेर के पोखरण में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आधिकारिक बयान के अनुसार पिनाक विस्तृत मास्क प्रणाली, एरिया डिनायल म्यूनिशंस (एडीएम) और न्यू इंडीजीनियस फ्यूल (नव स्वदेशी विस्फोटक) का परीक्षण सफल रहा। प्रवक्ता के अनुसार सभी परीक्षण होने के बाद उद्योग साझेदार रॉकेट प्रणाली की पूरी श्रृंखला के उत्पादन के लिये तैयार है।

प्रोफेसर नीना गुप्ता

रामानुजन पुरस्कार से हुईं सम्मानित

कोलकता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणित की प्रोफेसर नीना गुप्ता को 2021 डीएसटी-आईसीटीपी आईएमयू रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीना गुप्ता को एफाइन संयुक्त बीज गणितीय ज्यामिति और क्रमविनिमेय बीज गणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिये यह पुरस्कार मिला है। रामानुजन पुरस्कार हर साल एक प्रख्यात गणितज्ञ को दिया जाता है। 45 वर्ष से कम उम्र और विकासशील देशों में उत्कृष्ट शोध कार्य करने वाले को यह पुरस्कार मिलता है।

गौतम राघवन

भारतवंशी बने व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी

अमेरिका में भारतवंशी समुदाय के अमेरिकी राजनीतिक सलाहकार गौतम राघवन को शीर्ष अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर दिया है। उन्हें राष्ट्रपति के कार्मिकों के कार्यालय का प्रमुख बनाया गया है। व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल भी लिखा जाता है, जो नई नियुक्तियों से जुड़ी जिम्मेदारियों को देखता है।

बंगाल की दुर्गा पूजा

यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल

बंगाल में मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान मिली है। दरअसल, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन (यूनेस्को) ने बंगाल की दुर्गा पूजा को हेरिटेज सूची में शामिल करने की घोषणा की है। यूनेस्को ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रिट्वीट कर कहा कि यह हर भारतीय के लिये गर्व और खुशी की बात है। दुर्गा पूजा हमारी संस्कृतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं के सर्वोत्तम पहलुओं पर प्रकाश डालती है।

जनरल एम.एम. नरवणे

चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन बने

थल सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे ने 'चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी' के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया है, जिससे तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं। भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर हादसे में 8 दिसम्बर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल विपिन रावत के निधन के बाद यह पद रिक्त था। सूत्रों के अनुसार तीनों सेनाओं के प्रमुखों में से जनरल नरवणे के सबसे वरिष्ठ होने के चलते उन्हें कमेटी के चेयरमैन का पदभार सौंपा गया है।

उबर ईट्स ने

अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा खाना

अमेरिकी कंपनी उबर ईट्स ने अंतरिक्ष में पहली बार खाने की डिलीवरी की है। इस डिलीवरी को जापानी अंतरिक्ष यात्री युसाकु माइज़ावा ने पूरा किया है। करीब 8 घंटे 34 मिनट में 248 मील की यात्रा करने के बाद 11 दिसम्बर 2021 को खाना पहुंचाया गया। उबर ईट्स ने जीरो ग्रेविटी में हवा में तैरते हुये ईट्स के पैकेट्स की तस्वीर भी जारी की है।

शेर बहादुर देउबा

नेपाल कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जीता

नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की राजनीतिक ताकत अब और बढ़ गई है। उन्होंने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। देउबा को 4,623 में से 2,733 वोट मिले हैं। उन्होंने डॉक्टर शेखर कोइराला को मात दी है। देउबा और कोइराला के अलावा प्रकाश मान सिंह, विमलेंद्र निधि और कल्याण गुरुंग उम्मीदवार थे।

नासा का पार्कर यान

पहली बार सूरज के वायुमंडल में पहुंचा

अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया और मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इंसानों द्वारा बनाया गया कोई यान सूरज के वायुमंडल में पहुंचा हो। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पार्कर सोलर प्रोब सूरज के ऊपरी वायुमंडल में पहुंचा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के ऊपरी वायुमंडल को छू लिया है। यान सूरज की सतह से 79 लाख किलोमीटर दूर था। यहां उसने सूरज के कणों और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित आंकड़े जुटाये हैं। यह यात्रा बेहद छोटी थी। ज्ञात रहे कि पार्कर सोलर प्रोब में 5 पेलोड्स लगे हैं, जो सूरज से संबंधित विभिन्न विषयों का अध्ययन कर रहे हैं।

स्पेन

लावे में दबे हजारों घर

स्पेन स्थित ला पाल्मा के कुंब्रे वीजा ज्वालामुखी की राख में कैनरी आइलैंड का बड़ा हिस्सा दबा हुआ है। करीब तीन महीने बाद ज्वालामुखी का कहर कम हुआ है, स्पेनिश सेना के 200 जवान राख में दबे इस द्वीप की इमारतों और मकानों का मलबा हटाने में जुट गये हैं। द्वीप पर रहने वाले 80 हजार से तकरीबन 6 हजार लागों को घर छोड़ना पड़ा था। लावे की जद में आने के कारण लगभग 3 हजार मकान जलकर राख हो चुके हैं। ज्वालामुखी से निकली राख ने द्वीप के पश्चिमी इलाके के सभी घरों को अपने अंदर समा लिया था।

हिरोकी सातो और रयोसुके यमामुरा ने

फोल्डिंग स्कूटर किया तैयार

टोक्यो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हिरोकी सातो और रयोसुके यमामुरा ने ऐसे फोल्डिंग स्कूटर को तैयार किया है जो अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने ऐसे पर्सनल मोबिलिटी डिवाइस की टेस्टिंग शुरू की है, जिसे बैग में रखा जा सकता है। इसमें हवा भरकर इसे स्कूटर या सोफे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बैटरी से चलता है और इसका वजन 5.50 किलोग्राम है। अभी इस स्कूटर पर अंतिम प्रयोग चल रहा है जल्दी ही इसे बाजार में उतारा जायेगा।

कीचांट सेवेल

न्यूयॉर्क की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनीं

न्यूयॉर्क की पहली महिला पुलिस कमिश्नर के रूप में कीचांट सेवेल को नियुक्त किया गया है। कीचांट इस पद पर पहुंचने वाली तीसरी अश्वेत शख्सियत भी हैं। मेयर एरिक एडम्स ने सेवेल की नियुक्ति की घोषणा करते हुये कहा कि इससे अश्वेतों को पुलिस पर भरोसा बढ़ेगा, सेवेल अपराधों से लड़ती रही हैं। वह लोगों को न्याय भी दिलाएंगी। ऐसा उन्होंने अपनी नियुक्ति के बाद जारी बयान में कहा।

'मैरी क्रिसमस'

दुनिया का पहला एसएमएस हुआ नीलाम

दुनिया का पहला एसएमएस 'मैरी क्रिसमस' 3 दिसम्बर 1992 को ब्रिटिश प्रोग्रामर नील पैपवर्थ ने अपने दोस्त रिचर्ड जर्विस को कम्प्यूटर से फोन पर भेजा था। अब 29 साल बाद फ्रांस में 21 दिसम्बर को इसकी नीलामी हुई। वर्चुअल टोकन के रूप में इसकी नीलामी हुई। बोली में इसकी कीमत 1.71 करोड़ रुपये तक जाने की उम्मीद थी। प्रोग्रामर नील ने कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि शॉर्ट टैक्स्ट मैसेज का करोड़ों लोग इस्तेमाल करने लगेंगे।

स्मृति शेष

म्यांमार के फोटो जर्नलिस्ट सोए निंग का निधन

म्यांमार में स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट सोए निंग की सैन्य हिरासत में मौत हो गयी। उन्हें पिछले सप्ताह सैन्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को कवर करते हुये गिरफ्तार किया गया था। वे एक बेहतरीन ग्राफिक्स डिजाइनर भी थे। उनके निधन पर यांगून में शोकसभा में एक हजार से ज्यादा पत्रकार उपस्थित हुये।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

कोरोना को मारने के तीन हथियार, हाथ धुलायी, मास्क और वैक्सीन का वार।

(पृष्ठ 14 का शेष)

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ..... आयोग के विज्ञापन क्रमांक **11/2021 दिनांक 22.12.2021** के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं।

1. मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/ ..... जिला ....., मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं ..... जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथपूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इस संदर्भ में जारी अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूं।

दिनांक :- .....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
रोल नंबर .....

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करें)

यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय मूल जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति मूलतः प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत कर दी जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के किसी वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा। वांछित प्रमाण पत्रों के अभाव में किसी शिथिलीकरण/रियायत की पात्रता के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।

शासकीय सेवकों/भूतपूर्व सैनिकों को देय छूट हेतु नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत देय छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।

विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को देय छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

महत्वपूर्ण टीप :- उपरोक्त में से आवेदक द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

6. **कदाचरण और उसके लिए कार्यवाही** :- कोई अभ्यर्थी, जो आयोग द्वारा निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है :-
   - 01. जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो या वैसा करने का प्रयास किया हो, या
   - 02. प्रतिरूपण किया हो; या
   - 03. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
   - 04. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
   - 05. ऐसे कथन किए हो जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
   - 06. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लिया हो, या
   - 07. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
   - 08. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृन्द को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
   - 09. उनके प्रवेश-पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृन्द द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो, या
   - 10. परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
   - 11. परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि अभ्यर्थी कर्तव्यरत अधीक्षणकर्ता (इनविजिलेटर) के पास उसकी ओ.एम.आर. शीट जमा करने में असफल रहता है या ओ.एम.आर. शीट को क्षति पहुंचाता है, या
   - 12. परीक्षा के पूर्व किसी भी रीति से प्रश्नपत्र अभिप्राप्त करता है या उसके लिए प्रयास करता है, तो आयोग-
     - (एक) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा, ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
     - (दो) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।
     - (तीन) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

   एवं तब शासन द्वारा उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

7. **प्रवेश पत्र** :-
   - 01. अभ्यर्थी को राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यदि:-
     - (क) वह, आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र धारण न करता हो, और
     - (ख) वह, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन/प्रवेश-पत्र में उल्लिखित फोटो परिचय-पत्रों की कोई एक मूल फोटो परिचय-पत्र धारण न करता हो, और
     - (ग) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र के संलग्न फोटो से उसके चेहरे का मिलान न होता हो, और
     - (घ) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो का, आयोग द्वारा विहित उसके द्वारा लाए गए फोटोयुक्त परिचय-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो से मिलान न होता हो।
   - 02. प्रवेश पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.com** एवं **www.mppsc.nic.in** तथा **https//:www.mponline.gov.in** पर **दिनांक 15.04.2022** से तक उपलब्ध होंगे। आवेदकों को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश पत्र प्राप्त करना होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। प्रवेश पत्र एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से डाउनलोड करने पर पांच रुपये पोर्टल शुल्क देय होगा।
   - 03. यदि प्रवेश पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग अथवा एम.पी. ऑनलाइन से संपर्क करें।
   - 04. यदि किसी आवेदक का नाम नामिनल रोल में सम्मिलित नहीं है परन्तु उसे प्रवेश पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करें। केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे।
   - 05. **अत्यंत महत्वपूर्ण** - आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्न मान्य मूल फोटो युक्त पहचान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं उससे आवेदक की पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी :-

1.	आधार कार्ड	6.	शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र
2.	मतदाता पहचान पत्र	7.	बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
3.	ड्रायविंग लायसेंस	8.	शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र
4.	पैन कार्ड	9.	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र
5.	पासपोर्ट		

परीक्षाओं में सफल आवेदकों को साक्षात्कार के समय भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। फोटो परिचय पत्र द्वारा आवेदक की पहचान की पुष्टि न होने पर आवेदक को साक्षात्कार देने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

06. आयोग द्वारा अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के पश्चात् लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंक सूची आवेदकों को ऑनलाइन उपलब्ध करायी जाएगी। आयोग द्वारा पहचान चिन्ह प्रकरण एवं अनुचित साधन प्रयोग करने वाले आवेदकों की परीक्षा निरस्त की जाएगी। अतः ऐसे आवेदकों की अंक सूची ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

07. विज्ञापित पदों का अग्रमान्यता पत्रक साक्षात्कार के समय आवेदकों से प्राप्त किया जाता है तथा इसी अग्रमान्यता पत्रक के अनुसार गुणानुक्रम में आवेदकों का चयन किया जाता है। आवेदकों द्वारा अग्रमान्यता पत्रक प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे अग्रमान्यता पत्रक भरते समय विशेष सावधानी बरतें।

08. मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए है ऐसे आवेदक जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित आवेदक मान्य नहीं होंगे) उन्हें भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। नमूना निम्नानुसार है:-

अभिवचन (Undertaking) का प्रारूप

मैंने राज्य वन सेवा परीक्षा-2021 के विज्ञापन क्रमांक 11/2021 दिनांक 22.12.2021 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है तथा मैं भूतपूर्व सैनिक हूं। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाए। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर.....
नाम.....
रोल नंबर .....

(उक्त अभिवचन पत्र एवं प्रमाण-पत्र मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करें)

8. **राज्य वन सेवा परीक्षाओं के पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-**

(अ) राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा

- 01. राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम केवल "रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जाएगा। आवेदक को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जावेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।
- 02. राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जावेगी। अतः सफल आवेदक उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में उल्लेखित मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जमा करें तथा अपनी पात्रता आए संबन्धित सभी अभिलेख अपलोड करें।
- 03. मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक मुख्य परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन जमा न करने पर आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त हो जावेगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

(ब) राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा

- 01. राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा का परिणाम केवल "रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जाएगा। आवेदक को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जावेगा।
- 02. राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा के परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जावेंगी। परीक्षा परिणाम में ही साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि भी निर्धारित रहेगी। अभ्यर्थी निम्नानुसार निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेख आयोग को प्रेषित करेंगे।
  - अ. आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com** में "Download Format" लिंक पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक Download करें।
  - ब. अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक की प्रविष्टियों की पूर्ति करें। एक सेट के साथ अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र तथा निम्नांकित अभिलेखों छायाप्रतियां अधोलिखित क्रम में अनिवार्यतः संलग्न करें :-
    1. मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र
    2. प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन पत्र
    3. हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियां।
    4. मूल निवास/स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, अपिव के अभ्यर्थियों के क्रीमीलेयर में न आने संबंधी घोषणा पत्र (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु)
    5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र की प्रति।
    6. भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र की प्रति।
    7. अनुप्रमाणन-पत्रक की तीन मूल प्रति प्रस्तुत करें।
    8. व्यक्तिगत विवरण-पत्रक की एक मूल प्रति एवं 05 छायाप्रति प्रस्तुत करें।
    9. उपस्थिति पत्रक की एक मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।
    10. पहचान प्रमाण-पत्र हेतु आधार कार्ड की प्रति।
    11. अन्य अनुसंगत अभिलेख।

    उक्त अभिलेखों के सेट की एक प्रति स्वप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग को निम्नांकित पते पर प्रस्तुत करें -
  - स. **सचिव,**
    मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
    रेसीडेंसी एरिया,
    इंदौर, मध्यप्रदेश - 452001

(शेष अगले पृष्ठ पर)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन)
लिंक रोड नंबर 3, माधवराव सप्रे मार्ग, भोपाल-462003

विज्ञापन

विज्ञा.क्र./रा.स्वा.मि./मा संसा./2021/2572 भोपाल, दिनांक : 23.12.2021

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. के अन्तर्गत संविदा आधार पर संविदा लेबोरेटरी टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध **31 मार्च, 2022 तक** के लिये होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा :-

क्र.	पदनाम	रिक्त पद	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	आयु सीमा
1.	संविदा लेबोरेटरी टेक्नीशियन	283	15,000/- रुपये प्रतिमाह	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से (Bachelor of Medical Laboratory Technology) B.Sc. (MLT), B.M.L.T. Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT) म.प्र. पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य।	21-40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्त जन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) (01/01/2022 की स्थिति में)

आवेदन सेम्स लिमिटेड के वेब पोर्टल **www.sams.co.in** के माध्यम से किया जा सकता है, आवेदन के लिए लिंक दिनांक 01 जनवरी 2022 से उपलब्ध की जायेगी। ऑनलाइन जमा करने की **अंतिम तिथि 30 जनवरी 2022** है। ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य/स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

1. पद हेतु आरक्षण निम्नानुसार होगा :-

स. क्र.	पदनाम	कुल पद	अनारक्षित (27%)		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%)		अनुसूचित जनजाति (20%)		अनुसूचित जाति (16%)		अन्य पिछड़ा वर्ग (27%)		निःशक्तजनों के लिये (6%)			
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	वी एच	ई एच	एल डी	एम डी
1.	संविदा प्रयोग शाला तकनीशियन (लेबोरेटरी टेक्नीशियन)	283	52	25	19	9	38	19	30	15	51	25	0	8	9	0

- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizonatal) के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है। निःशक्तजनों के लिए कुल रिक्तियों में से 06 प्रतिशत पद दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का दिव्यांगजन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी के विना वर्ग/ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- कोविड-19 के अंतर्गत अस्थायी एवं आकस्मिक रूप से कार्य करने वाले संविदा लेबोरेटरी टेक्नीशियन जिसने न्यूनतम अवधि 89 दिवस कार्य किया हो उसे संविदा लेबोरेटरी टेक्नीशियन की भर्ती प्रक्रिया में 10 प्रतिशत अधिभार अंक (Weightage) प्राप्त करने की पात्रता होगी।

3. निर्धारित प्रारूप में नहीं किये गए अथवा अपूर्ण आवेदन स्वयमेव निरस्त माने जायेंगे।
4. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. किसी भी आवेदन को विना कारण बताये स्वीकृत/निरस्त करने अथवा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

मिशन संचालक
जी-20623/46358/2021 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

MADHYA PRADESH INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPN.

Regional Office, Indore, 1st Floor, Atulya IT Park, Near Crystal IT Park, Khandwa Road, Indore (MP) 452001, Email- ed.roind@mpidc.co.in, www.invest.mp.gov.in

No. MPIDC/R.O.-INDORE/TECH/2021/15481 Date : 22.12.2021

NOTICE INVITING TENDER

MPIDC Regional office Indore (formerly known as MPAKVN(I) Ltd., Indore) invites online percentage rate tenders from eligible contractors registered in MPPWD and having relevant experience individually through e-portal : **https://www.mptenders.gov.in** as mentioned below-

S. No.	Name of work	PAC	Cost of Tender Form	EMD	Last date of submission
1.	Proposed Garden Development with External Electrification Drilling of Tubewell at I/A 2 & 3, Dewas, Distt. Dewas.	Rs. 149.93 Lakhs + GST	Rs. 14750/- (i/c GST)	Rs. 1,49,930/-	11.01.2022

Detailed NIT along with other details can be viewed on above mentioned portals.
Note : The NIT will be uploaded on website of e-procurement system – **http://www.mptenders.gov.in** within 3 days from publication in news paper.
M.P. Madhyam/103032/46365/2021 **EXECUTIVE ENGINEER**

(पिछले पृष्ठ का शेष)

03. केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाएगा जिन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात अर्ह पाया जाएगा।

9. परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुएं :- परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व पुलिस/केंद्र पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी द्वारा तलाशी (Frisking) की जाएगी। जिससे कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुएं अन्दर न ले जा सकें।

सामान्यतः परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि परीक्षार्थी अपने कपड़ों, कफलिंक, चश्मा, जूते-मोजे, हाथ के वैंड, हाथ के बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं। अतः परीक्षा में किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग को रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सैंडल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढंककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एसेसरीज जैसे वालों को बांधने का क्लचर/बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के वैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्मे, पर्स, वालेट, टोपी वर्जित हैं।

सिर, नाक, कान, गला, हाथ, पैर, कमर में पहने जाने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे/कलावा/रक्षा सूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण कर वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थी के कक्ष में जाने के पूर्व तलाशी ली जाएगी।

10. यात्रा व्यय का भुगतान :-

(अ) मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को कहीं सेवारत नहीं है, मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित वर्तमान पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने जाने के यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। आवेदकों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

(द) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(फ) जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु देय यात्रा भत्ता का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त नहीं होता है वे इस संदर्भ में कलेक्टर/कमिश्नर कार्यालय से पत्र व्यवहार करें। इस संदर्भ में आयोग से कोई पत्र व्यवहार न करें। इस संदर्भ में आयोग में प्राप्त पत्र विना किसी कार्यवाही के नस्तीवद्ध किए जाएंगे।

(ज) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

जी- 20577/46355/2021

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग
वि/यां संभाग ग्वालियर - 474011

ई-मेल : eepwdelecgwl@mp.nic.in, फोन नम्बर : 0751-2340749

निविदा विज्ञप्ति सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 10/व.ले.लि./टेण्डर/2021-22 ग्वालियर, दिनांक : 26.11.2021

म.प्र. राज्यपाल की ओर से कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग वि/यां संभाग ग्वालियर के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से ई-टेण्डर के माध्यम से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करते हैं। विवरण निम्नानुसार है।

क्र. एवं कार्य का नाम - 1. जे.ए.एच. और जी.आर.एम.सी. ग्वालियर में एयर कंडीशनर एवं चिलर प्लांट के संचालन एवं 2 वर्ष का वार्षिक रखरखाव।

ई-टेण्डर आई.डी. क्र.	अनुमानित लागत रु.	अमानत राशि रु. + पोर्टल चार्ज	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि	दस्तावेज जमा करने का स्थान एवं दिनांक
2021_PWDRB_170101_1	171.60 लाख	171600/- + 15000/-	म.प्र. लोनिवि में केन्द्रीयकृत पंजीकृत 'अ' क्लास विद्युत ठेकेदार या अधिकृत विक्रेता	24 माह वर्षाकाल सहित	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोनिवि वि/यां संभाग ग्वालियर दिनांक 28.12.2021 सायं 17.30 तक

2. जे.ए.एच. और जी.आर.एम.सी. ग्वालियर में लिफ्ट/एलीवेटर्स (8 नग) के संचालन एवं 2 वर्ष का वार्षिक रखरखाव।

2021_PWDRB_170102_1	35.74 लाख	50000/- + 5000/-	म.प्र. लोनिवि में केन्द्रीयकृत पंजीकृत 'अ' क्लास विद्युत ठेकेदार या अधिकृत विक्रेता	24 माह वर्षाकाल सहित	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोनिवि वि/यां संभाग ग्वालियर दिनांक 28.12.2021 सायं 17.30 तक

3. जे.ए.एच. और जी.आर.एम.सी. ग्वालियर में आंतरिक/बाहरी विद्युतीकरण कार्य का संचालन एवं 2 वर्ष का वार्षिक रखरखाव।

2021_PWDRB_170103_1	350.00 लाख	350000/- + 15000/-	म.प्र. लोनिवि में केन्द्रीयकृत पंजीकृत 'अ' क्लास विद्युत ठेकेदार	24 माह वर्षाकाल सहित	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोनिवि वि/यां संभाग ग्वालियर दिनांक 28.12.2021 सायं 17.30 तक

4. लोक निर्माण विभाग वि./यां. उपसंभाग दतिया के अर्न्तगत एवं अन्य में ए.आर./एस.आर./डिपोजिट/मूल कार्य अनुरक्षण मद में गैर आवासीय एवं आवासीय भवनों का विद्युतीकरण/नवीनीकरण कार्य।

2021_PWDRB_170104_1	19.50 लाख	39000/- + 2000/-	म.प्र. लोनिवि में केन्द्रीयकृत पंजीकृत विद्युत ठेकेदार	12 माह वर्षाकाल सहित	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोनिवि वि/यां संभाग ग्वालियर दिनांक 28.12.2021 सायं 17.30 तक

निविदा आमंत्रण की सम्पूर्ण शर्तें एवं अन्य जानकारी का विस्तृत विवरण वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर दिनांक 30.11.2021 समय सुबह 10.30 से दिनांक 27.12.2021 समय सायं 17.30 तक देखी जा सकती है। निविदा हेतु ऑनलाइन विड सब्मिशन दिनांक 27.12.2021 समय सायं 17.30 तक प्रस्तुत की जा सकती है। मूल धरोहर राशि एवं अन्य दस्तावेज संबंधित कार्यालय में भौतिक एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से **दिनांक 28.12.2021 को सायं 17.30** के पूर्व जमा होगी।

1. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
2. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा, सिर्फ वेबसाइट पर ही किया जावेगा। आवंटन आने पर ठेकेदार का भुगतान किया जावेगा।
3. मूल धरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र राशि ऑनलाइन ही मान्य की जावेगी।

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग
जी-20570/46357/2021 वि/यां संभाग ग्वालियर

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

विज्ञापन क्रमांक : 141/परीक्षा/सी.जे./2021 **दिनांक : 21.12.2021**

विज्ञापन

व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड (प्रवेश स्तर) परीक्षा - 2021

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि :- 29 दिसम्बर, 2021 दोपहर 12:00 (P.M.) बजे से
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि (भुगतान सहित) :- 27 जनवरी, 2022 रात्रि 11:55 (P.M.) बजे तक
ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि :- बाद में अधिसूचित की जावेगी
मुख्य लिखित परीक्षा की तिथि :- बाद में अधिसूचित की जावेगी

महत्वपूर्ण बिंदु

1. आवेदकों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।
2. आवेदक ऑनलाइन फार्म में कोई भी प्रविष्टी अर्हताकारी अंकसूची/प्रमाण-पत्र से भिन्न नहीं करेंगे। सम्यक व सही रूप से भरे गये आवेदन-पत्र, जिनके साथ विहित शुल्क अदा किया गया है, मान्य होंगे अन्यथा नहीं।
3. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पूरा करता है। अतः आवश्यक अर्हता प्राप्त आवेदक ही आवेदन करें।
4. आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त किसी भी अर्हता को विज्ञापित पद के लिये मान्य नहीं किया जायेगा।
5. परीक्षा में प्रवेश देने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र, बिना पूर्व सूचना के, निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी तथा इस सम्बन्ध में आवेदन/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जावेंगे।
6. यदि किसी आवेदक ने अपनी योग्यता, जन्मतिथि, अर्हता अथवा आरक्षण से सम्बन्धित या अन्य कोई जानकारी जो परीक्षा या चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन या आवेदन पत्र या दस्तावेज में चाही गयी है, से सम्बन्धित गलत जानकारी दी गई है, तो किसी भी समय संज्ञान में आने पर तत्काल उसका आवेदन एवं अभ्यर्थिता बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी और उसे परीक्षा के आगे के चरण में भाग लेने का अधिकार नहीं रहेगा।
7. **नकल प्रकरण के संबंध में आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने अथवा अनुचित साधन अपनाये जाने, पर उसे स्थायी रूप से म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती प्रक्रियाओं से विवर्जित कर दिया जाएगा।**
8. व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड (प्रवेश स्तर) के रिक्त पदों हेत ऑनलाइन आवेदन पत्र म.प्र. उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट **www.mphc.gov.in** के माध्यम से उल्लिखित दिनांक व समय से अंतिम दिनांक के निर्धारित समय तक आमंत्रित किये जावेंगे।
9. ऑनलाइन आवेदन भरने के सामान्य निर्देश विज्ञप्ति में दिये गये हैं। आवेदक आवेदन पत्र भरने से पहले लिंक **www.mphc.gov.in** पर क्लिक करके निर्देशों को सावधानीपूर्वक देख व पढ़ लें। यह विज्ञापन, निर्देश सहित, म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट - **www.mphc.gov.in** पर उपलब्ध है।

पद का विवरण

व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड (प्रवेश स्तर)

(क) श्रेणी - राजपत्रित द्वितीय श्रेणी।

(ख) वेतनमान - रु. 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 एवं प्रचलित दर अनुसार मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते।

खण्ड - "अ"

एक - रिक्त पदों की संख्या -

भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के अन्तर्गत रिक्त कुल-123 व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड (प्रवेश स्तर) के अस्थायी पदों के लिये निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पद वर्गवार निम्नानुसार हैं -

स.क्र.	संवर्ग	पद
01	अनारक्षित	62
02	अनुसूचित जाति	19
03	अनुसूचित जनजाति	25
04	अन्य पिछड़ा वर्ग	17
कुल योग		**123**

नोट - (1) म.प्र. राज्य के बाहर के सभी आवेदक, आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी 'अनारक्षित' भरें। आरक्षित पद केवल म.प्र. के मूल निवासी अजा/अजजा/अपिव के लिए आरक्षित है।

(2) केवल म.प्र. के मूल निवासी जो अजा/अजजा/अपिव के हैं, वे आवेदन पत्र में तदनुसार अपनी श्रेणी अंकित करें। "अन्य पिछड़ा वर्ग" की श्रेणी का लाभ उन्हीं आवेदकों को प्राप्त होगा जो "क्रीमीलेयर" के अन्तर्गत नहीं आते हों।

(3) उपरोक्त पदों (123) में से स्थायी दिव्यांग (Specially Abled) आवेदकों को "The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016" के नियम 34 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत आरक्षण कुल रिक्तियों का 4 प्रतिशत तक सीमित रहेगा, जिनका चयन दिव्यांगों की मेरिट के क्रमानुसार किया जाएगा अर्थात् जिस वर्ग का दिव्यांग आवेदक मेरिट क्रम में चयनित होगा, उसकी पूर्ति उसी वर्ग के लिए स्वीकृत रिक्त पदों में से की जाएगी (अर्थात् आरक्षण रोस्टर से मुक्त होगा)।

(4) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(5) म.प्र. न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 नियम 16. कक के तहत :-
"आवेदक नियमित नियुक्ति पर, पांच लाख रुपये की राशि का बंधपत्र निष्पादित करेगा तथा वचनबंध देगा कि सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात वह न्यूनतम तीन वर्ष की कालावधि के लिए सेवा करेगा, यदि ऊपर उल्लिखित कालावधि के पूर्व, वह सेवा से त्यागपत्र देता है या किसी अन्य रीति में सेवा छोड़ देता है, तो वह पांच लाख रुपये की राशि या तीन माह के वेतन तथा भत्ते, जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा, शर्तों के भंग की स्थिति में बंधपत्र की सम्पूर्ण राशि समपहृत किए जाने के दायित्वाधीन होगा।"

(6) चयनित आवेदक को अधिकृत मेडिकल बोर्ड से निर्धारित शुल्क अदा कर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा।

(7) पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेगी। पदों की संख्या को चयन प्रक्रिया के दौरान व अंतिम चयन सूची जारी होने तक, किसी भी स्तर पर कम या ज्यादा किया जा सकता है। अंतिम चयन के पूर्व किसी भी चरण में ऐसी रिक्तियाँ, इस विज्ञापन के अन्तर्गत शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जाएगी, परन्तु ऐसे अतिरिक्त पदों के लिये पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जाएंगे तथा इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र रहेंगे।

दो - आवश्यक अर्हता - कोई भी व्यक्ति **व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड** (प्रवेश स्तर) के पद के लिए अर्ह तभी होगा जब कि वह -

(1) भारत का नागरिक हो,

(2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से **विधि संकाय में स्नातक की उपाधि धारक हो या आवेदन करने की अंतिम तिथि तक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो** और उसके पास आवश्यक दस्तावेज अंतिम दिनांक को मौजूद हो।

(3) वह अच्छा चरित्र रखता हो तथा अच्छे स्वास्थ्य वाला हो तथा किसी भी ऐसी शारीरिक कमी वाला ना हो जो उसे ऐसी नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त करता हो।

(4) आयु सीमा **1 जनवरी, 2021** को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किन्तु 35 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

तीन - अनर्हताएं -

निम्नलिखित मामलों में, उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे स्थायी रूप से म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती प्रक्रियाओं से विवर्जित कर दिया जाएगा :-

1. यदि किसी आवेदक या आवेदकों के द्वारा स्वयं के चयन हेतु समस्त भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या
2. प्रतिरूपण (impersonation) किया हो या कराया हो, या
3. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
4. चयन के किसी भी स्तर पर परीक्षा हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में, असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या
5. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
6. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
7. परीक्षा संचालन में या साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
8. आवेदकों को प्रवेश पत्र में दिये गये किन्हीं निर्देशों या अन्य अनुदेशों (पहचान चिन्ह अंकित करने से संबंधित अनुदेशों को छोड़कर), जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो।
9. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम, 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह आवेदक अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो :-
   (अ) पुरुष या महिला आवेदक जिनके विवाह के समय एक या अधिक पति/पत्नियां जीवित हों। परंतु, ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है, या
   (ब) जो शारीरिक और मानसिक रूप से सेवा/पद हेतु स्वस्थ नहीं पाया जाए, या
   (स) जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी भी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, या
   (द) जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, या
   (ड) जिसने विवाह हेतु निर्धारित न्यूनतम वैधानिक उम्र के पूर्व विवाह किया है, या
   (च) नियुक्तिकर्ता की, आवेदक की इस संबंध में जाँच उपरांत संतुष्टि होने पर कि वह पद धारण करने अथवा सेवा हेतु योग्य नहीं है।

चार - उच्चतम आयु सीमा में छूट -

स.क्र.	संवर्ग	आयु सीमा
1.	**आरक्षित वर्ग** (अ.पि.वर्ग, अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के केवल म.प्र. के मूल निवासी एवं दिव्यांग आवेदकों हेतु)	उच्च आयु सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की रियायत होगी
2.	म.प्र. शासन के किसी भी संवर्ग के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों हेतु	21 से 38 वर्ष

नोट :- 1. उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिव्यांग आवेदक को आवेदन करने की तिथि पर 40% या अधिक की दिव्यांगता होने पर ही प्राप्त होगा।
2. उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ आवेदक द्वारा तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा।

पाँच - पोर्टल, जैमर व अन्य शुल्कों सहित परीक्षा शुल्क -

	ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा	
1.	**अनारक्षित** एवं/अथवा मध्यप्रदेश राज्य से बाहर के आवेदकों हेतु	**रु. 1047.82/-** (परीक्षा शुल्क रु. 400 + पोर्टल शुल्क 577.02 (रु. 335 + रु. 154/- कोविड-19 व्यवस्था शुल्क (एस.डी. 100) + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. सर्विस प्रोवाइडर हेतु) + रु. 60/- (जैमर शुल्क) + 18 प्रतिशत जी.एस.टी.)
2.	**आरक्षित वर्ग** (अ.पि. वर्ग, अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के केवल म.प्र. के मूल निवासी एवं दिव्यांग आवेदकों हेतु)	**रु. 647.82/-** (परीक्षा शुल्क रु. 0 + पोर्टल शुल्क 577.02 (रु. 335 + रु. 154/- कोविड-19 व्यवस्था शुल्क (एस.डी. 100) + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. सर्विस प्रोवाइडर हेतु) + रु. 60/- (जैमर शुल्क) + 18 प्रतिशत जी.एस.टी.)
	मुख्य लिखित परीक्षा	
3.	मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे सभी आवेदकों हेतु।	रु. 283.20/- (रु. 60/- प्रति सत्र की दर से अनुमानित चार सत्रों हेतु जैमर शुल्क + 18 प्रतिशत जी.एस.टी.)

नोट :- (1) ऊपर वर्णित शुल्क परिवर्तन के अधीन है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर आवेदक को परिवर्तित शुल्क का भुगतान करना होगा तथा शुल्क परिवर्तन के संबंध में आपत्ति(यों) पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(2) आवेदक का आवेदन जमा तभी माना जावेगा, जब निर्धारित शुल्क का ट्रांजेक्शन सफलतापूर्वक हो चुका हो। एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस या समायोजित नहीं किया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूर्णतः आवेदक की होगी कि उसके द्वारा अपने स्वयं के वर्ग के अनुसार ही परीक्षा हेतु आवेदन व शुल्क निर्धारित तिथि व समय तक या उसके पूर्व सफलतापूर्वक जमा करवा दिया जा चुका है। बैंकिंग (ऑनलाइन ट्रांजेक्शन) व अन्य किसी कारणवश यदि आवेदक का आवेदन व शुल्क यदि निर्धारित अवधि तक या में जमा नहीं हो पाते हैं तो इससे संबंधित अभ्यावेदनों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें स्वतः निरस्त माना जावेगा।

छः - ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश और विधि -

(1) ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक **27 जनवरी, 2022 रात्रि 11:55 (P.M.) बजे तक** भरे जा सकते हैं।

(2) **कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।** आप निर्देश/विज्ञापन म.प्र. उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट **www.mphc.gov.in** से डाउनलोड कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी -

1. आवेदक स्वयं अपना ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, आवेदक को उक्त वेबसाइट में जाकर "Recruitment/ Result" टैब पर क्लिक करना होगा, उसके पश्चात "Click Here - Online Application Forms/Admit Cards" टैब/लिंक पर क्लिक करने के पश्चात् परीक्षा का नाम तथा निम्नानुसार लिंक उपलब्ध होंगी :-
   1. Advertisement
   2. Registration
   3. Application

सर्वप्रथम, आवेदक Advertisement लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन के पूरे निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। तत्पश्चात Registration लिंक पर क्लिक कर चाही गई जानकारी को दर्ज करें, जिससे आवेदक द्वारा दिये गये मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. पर **User-ID & Password** भेजा जायेगा। **Registration Form** को पूर्ण करने से पूर्व आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक प्रविष्टि में दिये गये समस्त विवरण सही व सत्य है। **Registration** करने के दौरान पॉप-अप विन्डो के माध्यम से एलर्ट की सूचना प्राप्त होगी तथा प्रविष्टियों के संबंध में चेक-बॉक्स के माध्यम से पुनः-चेक/पुनः-वेरीफिकेशन कराया जाता है। उक्तानुसार आवेदक प्रविष्टियों को सही होना सुनिश्चित करने के उपरांत ही **Registration** पूर्ण करेंगे। एक बार **Registration** हो जाने के उपरांत उसमें किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं होगा। **Registration Form** को पूर्ण करने के दौरान त्रुटि होने की परिस्थिति में पुनः विवरण भरकर पुनः-रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।

आवेदक द्वारा दिये गये मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. पर User-ID & Password के द्वारा आवेदक Application लिंक में क्लिक कर अपना आवेदन फार्म पूरा भरकर अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। ऑनलाइन फार्म को पूरा भरने के उपरांत आवेदक फार्म को Preview कर Submit बटन पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। **रजिस्ट्रेशन व आवेदन की प्रत्येक प्रविष्टि अर्हताकारी/प्रमाणपत्र के अनुरुप होनी अनिवार्य है।** आवेदन के Submit बटन को क्लिक करने से पूर्व आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में दिये गये समस्त

विवरण सही व सत्य हैं। उक्तानुसार आवेदक प्रविष्टियों को सही होना सुनिश्चित करने के उपरांत ही फार्म Submit करेंगे।

एक बार आवेदन (Application) Submit हो जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं होगा एवं इस संबंध में अभ्यावेदन बिना कारण बताए नस्तीबद्ध माने जावेंगे।

2. उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक पेमेंट गेटवे द्वारा दिये गये भुगतान माध्यमों जैसे कि डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग आदि के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान होने के पश्चात् **आवेदक अपने "ऑनलाइन आवेदन के सभी पृष्ठों का प्रिंट आउट" प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर लें। आवेदक ऑनलाइन आवेदन के सभी पृष्ठों के प्रिंट आउट को परीक्षा की अन्य प्रक्रियाओं के लिये अपने पास सुरक्षित रखें। परीक्षा के किसी स्तर में मांगें जाने पर ही आवेदक को ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

नोट :- कृपया विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ लें और यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है, तो दूरभाष नम्बर (022-61306271) पर तत्काल सम्पर्क करें।

3. जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। आवेदक के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर फार्म Submit करने के उपरांत उसे ही सत्य व पूर्ण माना जावेगा। असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन फार्म/पत्र में देने पर संबंधित आवेदक का फार्म एवं अभ्यर्थिता निरस्त मानी जायेगी।
4. परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को दिनांक 27 जनवरी, 2022 को रात्रि 11:55 (P.M.) बजे तक करना अनिवार्य है। भुगतान के अभाव में आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
5. केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार्य होंगे, ऑफलाइन आवेदन अथवा आवेदन शुल्क स्वीकार्य नहीं होंगे। ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं कियें जायेंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर म.प्र. उच्च न्यायालय के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जायेगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुये निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी पूर्णतः आवेदक की ही मानी जावेगी।

खण्ड-"ब"

परीक्षा की योजना :- यह परीक्षा **तीन चरणों में सम्पन्न करायी जायेगी** -

1. ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा
2. मुख्य परीक्षा व
3. साक्षात्कार।

1. ऑनलाइन प्रारंभिक (अनुवीक्षण) परीक्षा (150 अंक)

प्रथम चरण में ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी जो कि मुख्य परीक्षा के लिये आवेदकों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल अनुवीक्षण (Screening) परीक्षा होगी। प्रारम्भिक परीक्षा के प्रप्तांकों को अगले किसी भी चरणों में नही जोड़ा जाएगा।

एक - ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का दिनांक, समय व केन्द्र - ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, ऑनलाइन सेवा प्रदाता के द्वारा अपने पोर्टल/वेबसाइट के माध्यम से ली जावेगी। **परीक्षा की दिनांक, समय, स्थान व केन्द्र प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किये जायेंगे।** आवेदकों को परीक्षा केन्द्र के राज्य/जिले के चयन का विकल्प दिया जायेगा, परंन्तु राज्य व जिले के बारे में अंतिम निर्णय ऑनलाइन सेवा प्रदाता का, आवेदकों की संख्या को देखते हुए होगा। इस संबंध में किसी भी आवेदक को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र के संभावित **जिले जबलपुर, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन व अन्य राज्यों के चयनित जिले होंगे।** परीक्षा केन्द्र वाले राज्य/जिले के आबंटन के संबंध में ऑनलाइन सेवा प्रदाता का निर्णय अंतिम होगा।

दो - प्रवेश पत्र - प्रवेश पत्र म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट (**www.mphc.gov.in**) पर जारी किया जावेगा, जिसका प्रिंट आउट स्वयं आवेदक को प्राप्त करना होगा। आवेदक अपने प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट अपना आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि डालकर प्राप्त कर सकेंगे। प्रिंट आउट की सुविधा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि के लगभग 07 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

तीन - ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम -

ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा का **विस्तृत पाठ्यक्रम निर्धारित अंकों सहित निम्नानुसार** है :-

स.क्र.	विषय (नवीनतम संशोधनों के साथ)	कुल प्रश्न	अंक
1	भारत का संविधान	10	10
2	सिविल प्रक्रिया संहिता	15	15
3	संपत्ति अंतरण अधिनियम	7	7
4	भारतीय संविदा अधिनियम	8	8
5	विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम	6	6
6	परिसीमा अधिनियम	4	4
7	म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम	5	5
8	म.प्र. भू-राजस्व संहिता	5	5
9	भारतीय साक्ष्य अधिनियम	15	15
10	भारतीय दंड संहिता	15	15
11	दंड प्रक्रिया संहिता	15	15
12	परक्राम्य लिखत अधिनियम	5	5
13	सामान्य ज्ञान	20	20
14	कम्प्यूटर ज्ञान	10	10
15	अंग्रेजी ज्ञान	10	10
	कुल	**150**	**150**

नोट - यह सभी अधिनियम जैसे कि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक संशोधित हों।

चार - ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा प्रक्रिया -

(1) ऑनलाइन परीक्षा हेतु 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जायेंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर/विकल्प होंगे। प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आवेदक की सुविधा हेतु उपलब्ध होंगे। आवेदक प्रश्नों को किसी भी क्रम में हल कर सकेगा अर्थात् किसी प्रश्न को हल न कर सकने की स्थिति में आगे बढ़ सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर पिछले प्रश्न पर वापस जा सकेगा। इस परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र हल करने की समय-सीमा 120 मिनट यानी 2 घण्टे की होगी। दिव्यांग आवेदकों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक एफ.नं. 34-02/2015-डीडी-III दिनांक 29.08.2018 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 273/2021 (विकास कुमार वि. यू.पी. एस.सी. एवं अन्य) (2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 84) में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2021 के निर्देशानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। **इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं रहेगा।**

(2) **Mock Test (परीक्षा अभ्यास) -** आवेदकों के लिये ऑनलाइन प्रश्न पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर Mock Test (परीक्षा अभ्यास) की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(3) आवेदक को परीक्षा तिथि पर प्रवेश पत्र के साथ एक मूल फोटो पहचान पत्र लाना होगा और उसके पहचान के सत्यापन एवं बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अथवा फोटो खींचकर उसका मिलान परीक्षा फार्म में दिये गये फोटो से होने के बाद आवेदक होने की पुष्टि पर ही परीक्षा केन्द्र/कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा। मूल फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर आवेदक को परीक्षा देने से वर्जित कर दिया जावेगा। पहचान पत्र की फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी।

(4) प्रत्येक आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए एक-एक कम्प्यूटर उपलब्ध करवाया जावेगा। परीक्षा शुरू करने के पहले आवेदक को यूजर आई.डी. के स्थान पर अपना एप्लिकेशन नंबर एवं पासवर्ड के स्थान पर जन्मतिथि डालनी होगी।

(5) ऑनलाइन परीक्षा के दौरान आवेदक के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उसका फोटो/विवरण दिखेगा, जिससे भी उसकी पहचान की जांच व पुष्टि वीक्षक द्वारा की जा सकेगी।

(6) इसके पश्चात् आवेदक को स्क्रीन पर एक प्रश्न और उसके चार संभावित उत्तर /विकल्प दिखेंगे। आवेदक इन चारों में से किसी एक सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनकर अपना सही उत्तर सुरक्षित (save) कर सकता है। सुरक्षित (save) करने के बाद उत्तर में सुधार या परिवर्तन भी कर सकता है, परंतु फाइनल Submit के पश्चात् उत्तर में सुधार या परिवर्तन संभव नहीं होगा।

पाँच - ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का मूल्यांकन एवं परिणाम -

(1) परीक्षा होने के उपरान्त प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key), म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर उपलब्ध होगा। यदि कोई आवेदक प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) के संदर्भ में कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे वेबसाइट पर प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) के प्रकाशन के दिनांक से 07 दिवस के भीतर स्वयं द्वारा लिखित एवं स्वहस्ताक्षरित अभ्यावेदन स्वतः उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा रजिस्ट्रार (परीक्षा), म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर को संबोधित करते हुए आपत्ति/सुझाव जिस पर आधारित है, उससे सम्बन्धित स्रोत/दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की आवक शाखा (Inward Section) में प्रस्तुत करना होगा।

ऐसा कोई अभ्यावेदन जो आवेदक ने स्वयं नहीं किया हो या बिना किसी दस्तावेजों/स्रोतों के हों या निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त हुआ हो, पर विचार नहीं किया जायेगा तथा बिना कारण बताये ऐसी आपत्ति/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त माना जावेगा। यदि प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) के संबंध में कोई आपत्ति(याँ) प्राप्त नहीं होती हैं तो प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) को ही अंतिम आदर्श उत्तर कुंजी (Final Model Anser Key) मानते हुए उसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। ऑनलाइन परीक्षा के परिणामों की घोषणा के बाद की गई कोई भी आपत्ति चाहे वह किसी भी आधार पर की गई हो बिना कारण बताये निरस्त कर दी जावेगी।

(2) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का मूल्यांकन कम्प्यूटर आधारित होगा। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में अधिकतम लगभग 10 गुना (जो कम हो सकते हैं) आवेदक वर्गवार (categorywise) मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिये योग्य/सफल घोषित किये जावेंगे, परन्तु समान अंक पाने वाले आवेदकों को भी शामिल किया जायेगा भले ही इस कारण उनकी संख्या 10 गुना से कुछ अधिक हो जाये, परन्तु यह भी कि **प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक एवं आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) के आवेदकों को न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक हैं।**

(3) परीक्षा पूर्ण होने पर यथाशीघ्र ऑनलाइन सेवा प्रदाता द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए योग्य/सफल पाये गये आवेदकों की वर्गवार (categorywise) लिस्ट, म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर, इस सूचना के साथ अपलोड की जायेगी कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। आवेदक अपना परीक्षा परिणाम एवं प्राप्तांक अपनी ID एवं Password तथा अपने मोबाइल नंबर पर आये OTP से Login कर देख सकता है।

छः - आवश्यक सूचना -

(1) आवेदक को अपने चुने हुए परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व अथवा कोविड-19 के कारण कॉल लेटर में दिये समय पर उपस्थित होना आवश्यक है तथा इसके बाद परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

(2) आवेदक का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अथवा/और फोटो खींचकर उसका मिलान परीक्षा फार्म में दिये गये फोटो से होने के बाद आवेदक होने की पुष्टि पर ही परीक्षा में बैठने दिया जायेगा।

(3) आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा केन्द्र के कक्ष में उपस्थित न होने पर आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी तथा किसी भी स्थिति में दूसरी तिथि व समय परीक्षा हेतु नहीं दी जायेगी।

(4) परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का केल्कुलेटर, मोबाइल फोन, लिस्निंग डिवाइस, रिकार्डिंग डिवाइस, अलार्म वॉच तथा संचारी यंत्र इत्यादि ले जाना वर्जित होगा। आवेदक अपने साथ सिर्फ मूल पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, पेन, पेन्सिल, फेस मास्क एवं सेनिटाइजर की छोटी शीशी ले जा सकेगा।

(5) आवेदक परीक्षा समाप्त होने के बाद निर्देशानुसार ही परीक्षा केन्द्र से बाहर निकल सकेगा।

(6) नकल प्रकरण के संबंध में आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने अथवा अनुचित साधन अपनाये जाने, पर उसे स्थायी रूप से म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती प्रक्रियाओं से विवर्जित कर दिया जाएगा।

(7) अन्य आवश्यक निर्देश प्रवेश पत्र पर अंकित किये जाएंगे ।

2. मुख्य परीक्षा (400 अंक)

एक - (1) मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र - मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों के स्वप्रमाणित प्रति के साथ, प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा हेतु सफल पाये गये आवेदकों से बुलाये जायेंगे। मुख्य परीक्षा के आवेदन का प्रारूप म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ दिया जायेगा, जिसे भरकर आवश्यक दस्तावेज और फोटो के साथ सफल आवेदक को परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व आवश्यक रूप से म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की आवक शाखा (Inward Section) में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के माध्यम से जमा कराना होगा। उक्त समय के बाद मुख्य परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा और ऐसे आवेदक को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं रहेगी, भले ही उसने प्रवेश पत्र को संबंधित वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया हो। उक्त समयावधि बाद प्राप्त आवेदनों के संबंध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) प्रवेश पत्र - मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र ऑनलाइन सेवा प्रदाता द्वारा म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर जारी किया जावेगा, जिसका प्रिंट आउट स्वयं आवेदक को प्राप्त करना होगा। प्रिंट आउट की सुविधा मुख्य परीक्षा तिथि के लगभग 07 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

दो - मुख्य परीक्षा की तिथि - बाद में अधिसूचित की जावेगी जो लगातार दो या अधिक दिनों में दो पालियों (shifts) में होगी।

तीन - मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम -

मुख्य परीक्षा जबलपुर में संपन्न कराई जावेगी, मुख्य परीक्षा में 04 (चार) प्रश्न पत्र होंगे एवं प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे में हल करना होगा। दिव्यांग आवेदकों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक एफ.नं. 34-02/2015-डीडी-III दिनांक 29.08.2018 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 273/2021 (विकास कुमार वि. यू.पी.एस.सी. एवं अन्य) (2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 84) में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2021 के निर्देशानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। मुख्य परीक्षा जो लिखित होगी, वह लगातार दो या अधिक दिनों में दो-दो पालियों (shifts) में संपन्न कराई जावेगी। पहले दिन प्रथम पाली (shift) में प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय पाली (shift) में द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी इसी प्रकार दूसरे दिन प्रथम पाली (shift) में तृतीय प्रश्न पत्र एवं द्वितीय पाली (shift) में चतुर्थ प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। आवेदक का उपरोक्त चारों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। यदि आवेदक किसी भी प्रश्न पत्र में सम्मिलित नहीं होता है तो उसे शेष प्रश्न पत्र/पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा उसकी उत्तर-पुस्तिका(ओं) का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा एवं उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त माना जावेगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

(अ) प्रथम प्रश्न पत्र - प्रथम प्रश्न पत्र संविधान, सिविल विधि एवं प्रक्रिया का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं, प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

1. भारत का संविधान
2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
3. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
4. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
5. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963
6. परिसीमा अधिनियम, 1963

(ब) द्वितीय प्रश्न पत्र - द्वितीय प्रश्न पत्र लेखन एवं संक्षेपण का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

1. लेख सामाजिक विषय पर - 20 अंक
2. लेख विधिक विषय पर - 20 अंक
3. संक्षिप्तिकरण लेखन (विधिक) - 20 अंक
4. हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद - 20 अंक
5. अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद - 20 अंक

(स) तृतीय प्रश्न पत्र - तृतीय प्रश्न पत्र स्थानीय विधि, अपराध विधि एवं प्रक्रिया का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, तृतीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

1. भारतीय दंड संहिता, 1860
2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
4. परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (अध्याय 13 से 17 तक)
5. म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959
6. म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961

(द) चतुर्थ प्रश्न पत्र - चतुर्थ प्रश्न पत्र निर्णय लेखन का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं, चतुर्थ प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

1. विवाद्यकों का स्थिरीकरण - 10 अंक
2. आरोपों की विरचना - 10 अंक
3. निर्णय/आदेश (सिविल) लेखन - 40 अंक
4. निर्णय/आदेश (दांडिक) लेखन - 40 अंक

नोट- 1. सभी प्रश्न पत्रों में प्रश्नों के उत्तर एक ही भाषा हिन्दी या अंग्रेजी में लिखना होगा।

2. संक्षिप्तिकरण लेखन, के लिए वादपत्र (Plaint), वादोत्तर (Written Statement) अथवा आरोप पत्र (Charge-

(शेष अगले पृष्ठ पर)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 7816/01/2021/चयन इंदौर, दिनांक : 17.12.2021

पदनाम - मेडिकल ऑफिसर (मेडिकल)

प्रावधिक चयन - सूची

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 02/2020/दिनांक 05.12.2020 एवं समय-समय पर जारी शुद्धिपात्रादि/सूचनाएं आदि के अंतर्गत गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर (मेडिकल) के कुल विज्ञापित पद - 04 (अनारक्षित - 02 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग - 02) विज्ञापित किये गये हैं। उक्त पदों में से महिलाओं हेतु आरक्षित पद संख्या - 02 (अनारक्षित - 01 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग - 01) विज्ञापित है। विज्ञापित पदों की पूर्ति हेतु योग्य/अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार **दिनांक 26.02.2021** को आयोजित किये गए।

2. मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 में पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 13.07.2021 के परिपालन में गृह विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ-1(वी)29/2016/वी-4/दो भोपाल, दिनांक 01.12.2021 द्वारा संशोधित पत्रानुसार उक्त विज्ञापित पदों की संख्या में संशोधन किया गया है जो कि निम्नांकित तालिका में अंकित है। अन्य पिछड़ा वर्ग की उक्त कुल 02 रिक्तियों में से मान. न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम निर्णय के अनुपालन के उपरांत शेष 01 रिक्ति को रक्षित रखा जाकर मान. न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रखा गया है। साक्षात्कार में प्राप्तांकों के गुणानुक्रम के आधार पर चयन सूची निम्नानुसार घोषित की जाती है :-

1. मेडिकल ऑफिसर (मेडिकल)

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग
कुल पदों की संख्या	2	0	0	1	3
इनमें से महिलाओं के लिये आरक्षित पद	1	0	0	0	

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग		Seat	श्रेणी
1.	1019	ANURADHA SINGH	F	प्रावधिक	UNRF	UNR
2.	1082	VIVEK KUMAR CHOUKSEY	M		OBC	OBC
3.	1091	ADITYA SAXENA	M	प्रावधिक	UNR	UNR

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग		Seat	श्रेणी
1.	1044	RENU YADAV	F			OBC
2.	1096	DAIDEEPYA CHANDRA BHARGAVA	M	प्रावधिक		UNR
3.	1084	RICHA KATAKWAR	F	प्रावधिक		OBC

1. अनारक्षित पदों पर चयन की प्रक्रिया म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार संपादित की गई है। 2. चयन परिणाम प्रकाशित होने के वाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। 3. घोषित किया गया चयन परिणाम पूर्णतः प्रावधिक रूप से जारी किया गया है जो कि मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 के अंतिम निर्णय एवं विज्ञापन की कंडिका क्रमांक 7 में उल्लेखित याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

सचिव

जी-20488/46351/2021 म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर

(पिछले पृष्ठ का शेष)

sheet)/परिवाद पत्र (Complaint) आदि की विषय वस्तु उपलब्ध कराई जा सकेगी और आवेदक से उसके एक तिहाई शब्दों में संक्षिप्तीकरण के लिए कहा जा सकेगा।

3. उपर्युक्त समस्त प्रश्न पत्र आवश्यकतानुसार हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होंगे। किसी प्रकार की भिन्नता दोनों भाषाओं के प्रश्न में होने पर अंग्रेजी भाषा का प्रश्न मानक होगा।
4. सभी प्रश्न-पत्रों की उत्तर-पुस्तिकाओं की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। यदि किसी आवेदक के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। प्रश्न हल करते समय वही प्रश्न क्रमांक उत्तर पुस्तिका में डालना आवश्यक है, जिसका उत्तर दिया जा रहा है।
5. आवेदक उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करेंगे। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित नहीं करेंगे, जिससे कि आवेदक की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके। चतुर्थ प्रश्न पत्र निर्णय लेखन में आवेदक न्यायालय में किसी नाम का उल्लेख न कर "क, ख, ग" अथवा "अ, ब, स" का उल्लेख करेंगे। नाम का उल्लेख सर्वथा प्रतिषिद्ध होगा और उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

चार - मुख्य परीक्षा का परिणाम -

1. मुख्य परीक्षा में सभी चार प्रश्न पत्रों में मिलाकर अनारक्षित वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को न्यूनतम 50% अंक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. मुख्य परीक्षा में सम्मिलित आवेदकों में से उक्तानुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करने वालों में से वर्गवार विज्ञप्तित पदों की संख्या के अधिकतम 3 गुना (जो कम हो सकती है) मेरिट में एवं समान अंक प्राप्त आवेदक को शामिल करते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए चयनित किये जायेंगे।

नोट - 1. प्रारंभिक परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षा के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये न्यूनतम अंक के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

2. परीक्षा के किसी भी स्तर पर अर्थात् प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य लिखित परीक्षा से संबंधित पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन/अभ्यावेदन स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

3. साक्षात्कार

एक - साक्षात्कार - मुख्य परीक्षा में सफल आवेदकों को अनुक्रमांक के क्रम से साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा। साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित हैं। आवेदकों को अंतिम रूप से चयनित होने के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अर्थात 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

दो - अंतिम चयन का आधार - अंतिम चयन मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर मेरिट से किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए आवेदकों को आमंत्रित करने के संबंध में म.प्र. उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। प्रत्येक वर्ग मे अंक बराबर होने की दशा में साक्षात्कार में अधिक अंक पाने वाले आवेदक को वरीयता दी जायेगी। साक्षात्कार में भी समान अंक होने पर उम्र की वरीयता चयन का आधार होगी।

तीन - साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा।

खण्ड-"स"

एक - अनुचित साधन -

परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान निम्नलिखित में से किसी भी क्रियाकलाप/गतिविधि में आवेदक को संलिप्त रहने पर, उसके द्वारा अनुचित साधन (Unfair Means) का उपयोग माना जावेगा तथा उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे स्थायी रूप से म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती प्रक्रियाओं से विवर्जित कर दिया जाएगा :-

(1) परीक्षा कक्ष में अन्य आवेदक से किसी भी प्रकार का सम्पर्क/नकल करना।
(2) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या आवेदक के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
(3) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
(4) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से सम्पर्क साधना।
(5) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
(6) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारी/अधिकारी को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुंचाना, परीक्षा कक्ष/भवन के किसी भी वस्तु, संपत्ति, यंत्र, कम्प्यूटर आदि को किसी तरह क्षति पहुंचाना।
(7) नकल प्रकरण के संबंध में आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिया जाना।

परीक्षा सम्बन्धी अन्य निर्देश -

1. परीक्षा में आवेदक का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है। अर्हता से संबंधित समस्त मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हैं।
2. परीक्षा के समय अनुचित साधन का उपयोग/प्रयास करना, दी गई उत्तर पुस्तिका एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुँचाना, धौंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुँचाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण आदि को दण्डनीय माना जायेगा।
3. उत्तरपुस्तिका पर आवेदक केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक, धार्मिक शब्द या चिन्ह या पहचान का कोई निशान अंकित करना, जिससे कि आवेदक की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है, इस आधार पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
4. परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, अन्य संचारी यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या वायरलेस उपकरण (device) लाना वर्जित है।
5. आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि उसके आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, परीक्षा हॉल में उपस्थिति पत्रक पर तथा समस्त पत्र व्यवहार में उसके द्वारा किये गए हस्ताक्षर एक समान होना चाहिए, इनमें किसी भी प्रकार का अन्तर पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

दो - अंक सूची - अंतिम चयन सूची जारी किये जाने के पश्चात् मुख्य परीक्षा अथवा/तथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को अंक सूची म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट के माध्यम से जारी की जायेगी। ऐसे आवेदक, जिनकी उम्मीदवारी पहचान चिन्ह अंकित करने अथवा अन्य किसी कारण से निरस्त कर दी गई हो, को अंकसूची जारी नहीं की जायेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन/अभ्यावेदन स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

तीन - यात्रा व्यय का भुगतान - आरक्षित वर्ग के आवेदकों को ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिये यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, क्योंकि आरक्षित वर्ग के आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया गया है।

चार - शुद्धि पत्र - भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के उपरांत किसी भी समय यदि किसी भी स्पष्टीकरण, संशोधन आदि को उच्च न्यायालय की ओर से किए जाने की आवश्यकता होती है, तो यह म.प्र. उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर शुद्धि पत्र को जारी करके किया जा सकता है। आधिकारिक वेबसाइट पर जारी शुद्धि पत्र को सभी आवेदकों के लिए पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जाएगा और इस आधार पर कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी कि आवेदक को इस तरह के शुद्धि पत्र की कोई जानकारी नहीं थी।

पाँच - सूचना के अधिकार के तहत जानकारी - ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा के उपरांत 03 माह की अवधि तक आवेदक के प्राप्तांक तथा उत्तर पुस्तिका (रिस्पांस शीट) म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट (www.mphc.gov.in) पर उपलब्ध कराये जायेंगे, जिन्हें आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किये गये क्रेडेंशियल्स अंकित कर देख व उसका प्रिंट प्राप्त कर सकेगा। तत्पश्चात् उत्तर पुस्तिका (रिस्पांस शीट) परिरक्षित नहीं रखी जाएगी।

आवेदक अपनी स्वयं की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं (Answer Books) की सत्यापित प्रतिलिपि या उससे संबंधित जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय के आर.टी.आई. अनुभाग से विहित शुल्क अदा कर "सूचना के अधिकार" के अंतर्गत चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अर्थात् चयनित आवेदकों की अनुशंसा विधि विभाग को प्रेषित किये जाने के उपरांत प्राप्त कर सकेंगे। अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले मुख्य लिखित परीक्षा हेतु आर.टी.आई. आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

छः - विनष्टीकरण - परीक्षा में प्रयुक्त सभी उत्तर-पुस्तिकाओं, आवेदन-पत्रों (अंतिम रूप से चयनित आवेदकों के मुख्य परीक्षा के आवेदन को छोड़कर) व अन्य सामग्री, चयन सूची/अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दी जावेगी। सक्षम प्राधिकारी या माननीय न्यायालय के आदेश से या माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित होने पर ही संबंधित रिकार्ड सुरक्षित रखा जावेगा।

जी-20554/46354/2021 रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय तुलसी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अनूपपुर (म.प्र.)

क्र./1612/स्था./2021 अनूपपुर, दिनांक 23.12.2021

संशोधित विज्ञप्ति

अंतिम तिथि 07.01.2022

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 1589/608/2015/38-1 भोपाल, दिनांक 25.08.2021 के परिपालन में मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में आउटसोर्स के पदों की पूर्ति हेतु नवीन निर्देश जारी होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में महाविद्यालयों के अग्रणी प्राचार्यों द्वारा नियमानुसार आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे जाने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। उमरिया जिले के शासकीय महाविद्यालयों में आउटसोर्स पद पूर्ति के लिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पात्र आउटसोर्स एजेंसी से सीलवंद लिफाफे में कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। एक छोटे लिफाफे में कमीशन की दर एवं धरोहर की राशि की एफ.डी.आर. रखें एवं इस लिफाफे को अन्य सहपत्रों को बड़े लिफाफे के साथ GST Reg. 25, स्थापना का पंजीयन प्रमाण-पत्र, आपकी एजेंसी द्वारा राज्य बीमा निगम की उचित धारा के अंतर्गत कर्मचारियों का पंजीयन का प्रमाण-पत्र, पुलिस विभाग का प्रमाण-पत्र, आपकी एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारी किन संस्थाओं में कार्यरत हैं, उसकी सूची आदि लगाएं। कोटेशन के साथ धरोहर राशि का प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय अनूपपुर के नाम पर संलग्न करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का टर्न ओवर दर्शाती चार्टर्ड अकाउंटेंट की अंकेक्षण रिपोर्ट भी संलग्न करें। **कोटेशन इस विज्ञापन के प्रथम प्रकाशन के 21 दिवस के अंदर** शासकीय महाविद्यालय अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म.प्र.) में पंजीकृत डाक से या स्वयं कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर **दिनांक 07.01.2022 तक** प्रस्तुत करें। कोटेशन नियत दिनांक के आगामी कार्य दिवस में क्रय समिति द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष में खोले जाएंगे, जिसमें कोटेशन देने वाले या उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है, जिसकी पृथक से सूचना नहीं दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट **www.highereducation.mp.gov.in** में नवीन निर्देश/विज्ञप्ति ऑप्शन में विस्तृत विवरण देखें।

क्र.	महा. का नाम	सहा. वर्ग-2	सहा. वर्ग-3	प्रयो.तक.	योग
1.	शासकीय महाविद्यालय अनूपपुर	-	-	03	03
2.	शासकीय महाविद्यालय जैतहरी	01	01	06	08
3.	शासकीय महाविद्यालय बिजुरी	01	01	04	06
4.	शासकीय महाविद्यालय राजनगर	-	01	-	01
5.	शासकीय महाविद्यालय वेंकटनगर	-	01	01	02
6.	शासकीय महाविद्यालय पुष्पराजगढ़	-	-	04	04
7.	शासकीय कन्या महाविद्यालय अनूपपुर	-	01	01	02
	योग :-	**02**	**05**	**19**	**26**

ब. आउटसोर्स के पद - चतुर्थ श्रेणी

क्र.	महा. का नाम	प्रयो. परि.	बुक लिफ्टर	भृत्य	स्वीपर	चौकीदार	योग
1.	शासकीय महाविद्यालय अनूपपुर	03	-	-	-	-	03
2.	शासकीय महाविद्यालय जैतहरी	06	01	01	01	01	10
3.	शासकीय महाविद्यालय बिजुरी	04	01	01	01	01	08
4.	शासकीय महाविद्यालय राजनगर	-	01	01	01	01	04
5.	शासकीय महाविद्यालय वेंकटनगर	01	01	01	01	03	07
6.	शासकीय महाविद्यालय पुष्पराजगढ़	01	-	-	-	-	01
7.	शासकीय कन्या महाविद्यालय अनूपपुर	01	01	01	01	03	07
	योग :-	**16**	**5**	**5**	**5**	**9**	**40**

उपरोक्तानुसार आउटसोर्स के अराजपत्रित 56 पदों - (अ+ब+स) का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है -

तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	कुल पद
26	40	66

प्राचार्य अग्रणी

जी-20645/46359/2021 शास. तुलसी महा. अनूपपुर जिला अनूपपुर (म.प्र.)

कार्यालय अतिरिक्त परियोजना संचालक
लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई
निर्माण भवन, प्लाट नं. 27-28, अरेरा हिल्स, भोपाल

एनआईटी नं. - 33/2021/निविदा/सा/एपीडी/ भोपाल, दिनांक : 16.12.2021

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :-

स.क्र. एवं कार्य का नाम - 1. रिहेबिलिटेशन, रिनोवेशन, इंटीरियर एंड रेस्टोरेशन वर्क ऑफ रविशंकर वी.आई.पी. गेस्टहाउस एट पचमढ़ी जिला होशंगाबाद।

पोर्टल टेंडर क्र.	जिला	ठेके की अनुमानित राशि (पीएसी) (रु. करोड़ में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)
2021_PWPIU_173758_1	होशंगाबाद	672.45	672450/-	20000/-	04 माह वर्षाकाल सहित

1. निविदा से संबंधित विड डॉक्यूमेंट वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे। 2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेविट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा। 3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन **दिनांक 16.12.2021 समय 10.30 से दिनांक 14.01.2022 समय 05.30 तक** खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। 4. प्री-विड की मीटिंग दिनांक 04.01.2022 को 03.00 बजे, कार्यालय अतिरिक्त परियोजना संचालक, लो.नि.वि., पी.आई.यू. भोपाल, प्लाट नं. 27, 28, तृतीय तल, निर्माण भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल में आयोजित की गई है। 5. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

6. As per Tender Document Section-2 (Instruction of Bidder) - The bidder is advised to visit and inspect the Site of Works and its surroundings adn obtain for itself on its own responsibility all information that may be necessary for preparing the bid and entering into a contract for construciton of the work. All costs in this respect shall have to be borne by the bidder.

अतिरिक्त परियोजना संचालक
(मुख्य अभियंता)
लो.नि.वि., पी.आई.यू.-भोपाल

जी-20492/46353/2021

शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इटारसी (म.प्र.)
कार्यालय प्राचार्य/स्ववित्तीय पाठ्यक्रम (2021-22) के लिए विज्ञप्ति

दिनांक 16.12.2021

महाविद्यालय में स्ववित्तीय योजना के अन्तर्गत अध्यापन हेतु निम्न विषय में अतिथि विद्वानों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं -

शैक्षणिक योग्यता - कम्प्यूटर/संबंधित विषय में M.Sc./M.C.A./NET/SLET/M.Phil./Ph.D.

क्रमांक	विषय	पदों की संख्या
1.	कम्प्यूटर साइंस	01 पद (अंशकालिक- 2 माह) 01 पद (पूर्ण सत्र)

1. आवेदन पत्र महाविद्यालय में **दिनांक 27.12.2021 तक** सीधे कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इटारसी (म.प्र.) को समस्त प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियों सहित प्रस्तुत करें। 2. चयन यू.जी.सी. एवं उच्च शिक्षा-विभाग के दिशा निर्देशों के मानदण्ड/आधार पर होगा। 3. अंतिम मैरिट सूची स्नातकोत्तर स्तर प्राप्तांकों के प्रतिशत तथा अन्य अधिभारों/वरीयताओं के आधार पर तैयार की जावेगी। वरीयता क्रम निम्नानुसार रहेगा-
श्रेणी-1 संबंधित विषय में पी.एचडी. एवं नेट/स्लेट
श्रेणी-2 संबंधित विषय में पी.एचडी. अथवा नेट/स्लेट
श्रेणी-3 संबंधित विषय में एम.फिल.
श्रेणी-4 संबंधित विषय में स्नातकोत्तर
4. शासकीय महाविद्यालय में स्ववित्तीय योजना के तहत या शासकीय अतिथि विद्वान के रूप में कार्य किया हो, उन्हें वरीयता के आधार पर अंकों का लाभ दिया जाएगा। यह पाँच वर्ष के 20 अंक तक होगा। 5. समस्त श्रेणियों के आमंत्रण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत पर 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा। इसी प्रकार विकलांग प्रत्याशियों को भी प्राप्तांक प्रतिशत पर 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा। 6. संबंधित विषय के स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत होना अनिवार्य है एवं स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत अनिवार्य है। 7. अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन जनभागीदारी प्रबंधन समिति महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जायेंगे और लोक सेवक की निहित परिभाषा के अन्तर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे। 8. अतिथि विद्वान के विरुद्ध पुलिय या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं होना चाहिए। 9. अतिथि विद्वान एक साथ दो महाविद्यालय में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेगा। 10. अतिथि विद्वान लगातार 03 दिवस तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है तो आतिथ्य स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्राचार्य
शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय
इटारसी (म.प्र.)

जी-20493/46352/2021

M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(Government of Madhya Pradesh Undertaking)
(Formerly M.P. Audyogik Kendra Vikas Nigam (I) Ltd.)
Regional Office, 101, First Floor, ATULYA IT Park, Near Crystal IT Park, Khandwa Road, Indore - 452001 (M.P.), Phone : (O) 0731-2970611, 2971311, 2974363, Fax No. : 0731-2972629
Website : www.invest.mp.gov.in, E-mail : ed.roind@mpidc.co.in
CIN : U51102MP1977SGC001392

No. MPIDC/RO-IND/ACCTS/2021/15414 Date : 20.12.2021

REQUIREMENT OF CHARTERED ACCOUNTANT

MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD., REGIONAL OFFICE-INDORE, and its subsidiary companies require the services of a Chartered Accountant on contract basis. Application Form and Terms & Conditions can be obtained from the website **www.mptenders.gov.in.** Last date for online submission is 28.12.2021.

MPM/103000/2021 **CHIEF GENERAL MANAGER (ACCOUNTS)**

R-46361/2021

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र.-01 जबलपुर
1558 ऋषि कॉटेज, रतन कालोनी, जबलपुर (म.प्र.) 482003
फोन नं. : 0761-4927201, Email : mpphcjabalpur@gmail.com

म.प्र. पुलिस आ.अधो.वि.नि. संभाग जबलपुर क्र.-01 अंतर्गत खेलो इंडिया योजना अंतर्गत स्वीकृत 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक (Top Layer Over Sub Grade) रांझी, जबलपुर कार्य हेतु निविदा क्र. 14/2021-22 (ऑनलाइन निविदा क्र. 2021_MPPHC_174579) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 05.01.2022 समय 17.00 बजे तक** ऑनलाइन खरीदे एवं सबमिट (प्रस्तुत) किये जा सकते हैं। जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही किए जावेंगे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/103030/46364/2021 **परियोजना यंत्री**

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, भदभदा रोड, संभाग क्रमांक-03
भोपाल-462003, Mobile No. 9425601545
ई-मेल : mpphidcbpl3@gmail.com

क्र.-मप्रपुआअविनि/786/पयं/भोपाल-03/तशा/2021 भोपाल, दि. 23.12.2021

निविदा आमंत्रण सूचना

भोपाल संभाग-3 के अंतर्गत एमओडब्ल्यू योजनांतर्गत जिला हरदा, होशंगाबाद, विदिशा एवं पीटीएस पचमढ़ी में विभिन्न मरम्मत, रिनोवेशन, पेंटिंग व सीवर लाइन निर्माण कार्य हेतु निविदा क्रमांक-10/2021-22 (टेण्डर क्रमांक 174858, 174859, 174861, 174862, 174863, 174865) आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन **दिनांक 03.01.2022 सायं 5:00 बजे तक** खरीदे एवं दस्तावेज अपलोड किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/103051/46368/2021 **परियोजना यंत्री**

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र.-01, जबलपुर
1558 ऋषि कॉटेज, रतन कॉलोनी, जबलपुर (म.प्र.) 482003
फोन : 0761-4927201, Email : mpphcjabalpur@gmail.com

म.प्र. पुलिस आ.अधो.वि.नि. संभाग जबलपुर क्र.- 01 में निर्माण कार्य 60 जवानों के क्षमता की East. West Facing बैरक चेरीताल, जिला जबलपुर कार्य हेतु निविदा क्र. 13/2021-22 (ऑनलाइन निविदा क्र. 2021_MPPHC_174453) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 31.12.2021 समय 17.00 बजे तक** ऑनलाइन खरीदे एवं सब्मिट (प्रस्तुत) किये जा सकते हैं। जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही किए जावेंगे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/103009/46362/2021 **परियोजना यंत्री**

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्या. परियोजना यंत्री, रीवा (म.प्र.), Ph. 9425601523/8871571988

प्रेस-विज्ञप्ति

संभाग रीवा के अंतर्गत निर्माण कार्य 60 सीटर बैरेक सीधी जिला सीधी हेतु निविदा क्रमांक 18/2021-22 (ऑनलाइन निविदा क्रमांक MPPHCL/TENDER No. 2021_MPPHC_174842_1) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 08.01.2022 समय 17:00 बजे तक** ऑनलाइन खरीदे एवं प्रस्तुत किये जा सकते हैं एवं निविदा सूचना व अन्य विवरण **Portal : http://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/103044/46367/2021 **परियोजना यंत्री**

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्रमांक-03, गोरखपुर थाने के पीछे
1558 ऋषि कॉटेज, रतन कॉलोनी, जबलपुर (म.प्र.) पिनकोड-482003
फोन : 0761-4927003, Email : mpphcjabalpur3@gmail.com

निविदा प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, जबलपुर संभाग क्र.-03 के अंतर्गत जिला-छिंदवाड़ा में (1) पुलिस थाना परासिया परिसर में पूर्व स्थित आवास गृहों की छत मरम्मत (प्रोफाइल शीट लगाने का कार्य) एवं अन्य मरम्मत कार्य, आवास गृहों के लेटबाथ में मरम्मत एवं बॉटर सप्लाय, सीवर लाइन संबंधी मरम्मत कार्य। (2) पुलिस थाना भवन परिसर तामियां में निर्मित बैरक में मरम्मत कार्य। (3) पुलिस थाना भवन परिसर माहेगांव में निर्मित बैरक में मरम्मत कार्य। (4) पुलिस थाना भवन परिसर पांडुर्ना में निर्मित बैरक में मरम्मत कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक- 08/2021-22 (Online Tender No.-2021_MPPHC_174732 TO 174734 & 174736_1) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 03.01.2022 समय सायं 17.00 बजे तक** ऑनलाइन खरीदे एवं सबमिट (प्रस्तुत) किये जा सकते हैं। जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किए जावेंगे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/103041/46366/2021 **परियोजना यंत्री**

म.प्र. पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

कार्यालय परियोजना यंत्री, डी-5/2, एम.आय.जी., महाश्वेता नगर इस्कॉन मंदिर के सामने, उज्जैन (म.प्र.), Email : mpphcl_ujjain@yahoo.in
फोन नं. : 0734-2527715, मोबा. : 9406808103

क्र. 1469/पयं/मप्रपुहाइडेकालि/21/उज्जैन दिनांक 22.12.2021

निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 23/2021-22

मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, संभाग उज्जैन के अंतर्गत निविदा क्रमांक 23/2021-22 दिनांक 22.12.2021 के अंतर्गत पुलिस लाइन उज्जैन में डॉग केनाल एवं जिला झाबुआ में मरम्मत कार्यों की ऑनलाइन निविदा आईडी क्र. 2021_MPPHC_174547, 2021_MPPHC_174548, 2021_MPPHC_174549 कुल 3 निविदा आमंत्रित की गई हैं।

निविदा प्रपत्र ऑनलाइन दिनांक 23.12.2021 17.00 बजे से क्रय किये जा सकते हैं एवं दिनांक 07.01.2022 18.00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/103029/46363/2021 **परियोजना यंत्री**

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

कार्यालय महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, झाबुआ
साधना इंजीनियरिंग के पास, 8, बसंत कालोनी, झाबुआ (म.प्र.)-457661
फोन नं. : 07392-244345, ईमेल : rrdajha@rediffmail.com

पत्र क्र. 1970/स्था./विज्ञप्ति/2021-22 झाबुआ, दिनांक 24.12.2021

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की विज्ञप्ति निरस्तीकरण सूचना

इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति पत्र क्र.-1766/स्था./विज्ञप्ति/2021-22 झाबुआ, दिनांक 03.12.2021 जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की संविदा की नियुक्ति से संबंधित थी एवं इस समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी, को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है।

म.प्र. माध्यम/103068/46369/2021 **महाप्रबंधक**

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

ईमेल - ceproc.encwrd.bpl@nic.in, फोन - 0755-2767635, फैक्स - 0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक - 852/2021-22/प्रमुख अभियंता/ई-टेण्डरिंग/
भोपाल, दिनांक : 16.12.2021

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 07.01.2022 को 17.30 बजे तक** क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स. क्र.	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2021_WRD_173856	एस.डी.एम.एफ. अंतर्गत सीप कोलार लिंक परियोजना के सीप वियर से कालदेव वियर तक पुनर्स्थापन एवं उपचारात्मक कार्य।	सीहोर	1669.30

जी-20481/46360/2021 मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)

कॅरियर की राहें

आयुर्वेदिक सेक्टर में बढ़ रहे कॅरियर के मौके

'रोज़गार और निर्माण' के पाठकों के लिये 'कॅरियर की राहें' नाम से उपयोगी स्तंभ लगातार प्रकाशित किया जा रहा है। अच्छे कॅरियर के लिये जरूरी है कि युवा कॅरियर की विभिन्न विधाओं से परिचित हों और अपनी रुचि, योग्यता और क्षमताओं के अनुरूप अपने लिये उपयुक्त कॅरियर का निर्धारण करें। पिछले 40 वर्षों से नई पीढ़ी के लिये कॅरियर संबंधी विषयों पर नियमित लेखन कर रहे, डॉ. जयंतीलाल भंडारी युवाओं को कॅरियर के विभिन्न अवसरों से परिचित कराते हुये आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दे रहे हैं।

आयुर्वेदिक दवाइयों का बाजार कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2026 तक 14.9 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। वर्ष 2021-22 के बजट में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का बजट 76.50 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 348 करोड़ रुपए किया गया है। पहली बार केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया है कि आयुर्वेद की डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर 58 तरह की सर्जरी कर सकेंगे।

यकीनन इस समय देश और दुनिया में कोविड संक्रमण के वाद आयुर्वेदिक सेक्टर में कॅरियर के मौके बढ़ने का परिदृश्य उभरकर दिखाई दे रहा है। कोविड-19 में आयुर्वेदिक दवाइयों और आयुर्वेदिक चिकित्सा को नई अहमियत मिली है। सरकार ने कोरोना वायरस के विरुद्ध लोगों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिये आयुर्वेदिक संघटकों के उपयोग की सफल रणनीति लागू की है। पिछले दो वर्षों में सरकार के द्वारा दुनिया के कई देशों को आयुर्वेदिक दवाइयों का बड़े पैमाने पर निर्यात किया गया है और वर्ष 2022 में इनके निर्यात की नई संभावनाएं निर्मित हुई हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 के बजट के तहत आयुर्वेदिक सेक्टर के लिए बेहतरीन आवंटन किया गया हैं। स्वस्थ भारत योजना और आम जन स्वास्थ्य योजनाओं में आयुर्वेद सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का बजट 76.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 348 करोड़ रुपये किया गया है। इस संस्थान में आयुर्वेद पंचकर्म तथा आयुर्वेद स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। इन विभिन्न कारणों से आयुर्वेद चिकित्सा और आयुर्वेदिक उद्योग में कॅरियर की नई संभावनाएं आगे बढ़ी हैं।

आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को आगे बढ़ाने का वैश्विक अभियान

इसमें कोई दो मत नहीं है कि कोविड-19 के वाद जिस तरह आयुर्वेदिक बाजार

के तेजी से आगे बढ़ाने हेतु सरकार प्रयासरत है। उससे इस क्षेत्र में कॅरियर के मौके तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार आयुर्वेद सहित पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को अंतिसक्रियता के साथ वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ी है। सरकार कई देशों के साथ आयुर्वेद सहित पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को आगे बढ़ाने से संबंधित अनुसंधान विकास और शिक्षण-प्रशिक्षण के विभिन्न समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रमुख रूप से नेपाल, वांग्लादेश, हंगरी, त्रिनिदाद और टोवैगो, मलेशिया, मॉरीशस, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, म्यांमार, जर्मनी, ईरान, ब्राजील और कई अन्य देशों के साथ पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में देशों के परस्पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, सऊदी अरब, जापान आदि देशों के कई संस्थानों और संगठनों के साथ पारंपरिक चिकित्सा के सहयोगी अनुसंधान और विकास के लिए समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इनके अलावा हंगरी, लातविया, वांग्लादेश, रूस, वेस्टइंडीज, थाईलैंड, इंडोनेशिया, स्लोवेनिया, आर्मेनिया, अर्जेंटीना एवं दक्षिण अफ्रीका के विदेशी संस्थानों/विश्वविद्यालयों में आयुष शैक्षणिक पीठ (चेयर) की स्थापना के लिए भी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

आयुर्वेद का बढ़ता बाजार और आयुर्वेद का वैश्विक महत्व

उल्लेखनीय है कि भारत की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति कोई पांच हजार वर्ष पुरानी

चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान भी कहा जाता है। इस चिकित्सा पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्राकृतिक तरीके से रोगी का उपचार किया जाता है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस से बचाव के अलावा एलोपैथिक दवाइयों के बढ़ते साइड इफेक्ट्स के कारण लोगों का रुझान आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। परिणामस्वरूप आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में रोज़गार के मौके बढ़ रहे हैं।

निःसंदेह कोरोना महामारी के वैश्विक संकट के दौरान भारत के सदियों पुराने आयुर्वेद को दुनियाभर में अपनाया गया है। भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के प्रयासों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक संघटकों के उपयोग की सफल रणनीति बनाई और दुनिया के कई देशों को आयुर्वेदिक दवाइयों और मसालों का निर्यात किया गया है। 21वीं सदी में भी पारंपरिक इलाज के तौर पर पहचान बनाने में कामयाब रहे आयुर्वेद ने काफी विश्वसनीयता हासिल की है और इससे आयुर्वेदिक बाजार बढ़ा है।

आयुर्वेदिक चिकित्सा में बढ़ रहे हैं कॅरियर के मौके

यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार आयुर्वेद चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए

हरसंभव प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया है कि आयुर्वेद की डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर अब 58 तरह की सर्जरी कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने इस संबंध में गजट जारी कर आयुर्वेदिक डॉक्टरों को इन सेवाओं का प्रशिक्षण लेने की मंजूरी प्रदान की है। इन डॉक्टर्स का ट्रेनिंग मॉड्यूल भी आयुर्वेदिक कोर्स का हिस्सा बनेगा। आयुर्वेद के पीजी छात्रों को सर्जरी के बारे में गहन जानकारी दी जाएगी। अभी इन छात्रों को सर्जरी के बारे में पढ़ाया तो जाता था, लेकिन वो सर्जरी कर सकते हैं या नहीं इसको लेकर स्पष्ट गाइडलाइन नहीं थी।

आयुर्वेदिक दवाइयों के बाजार में रोज़गार की संभावनाएं

निश्चित रूप से इस समय जब डब्यूएचओ ने भारत में पारंपरिक दवाओं

के वैश्विक केंद्र की स्थापना सुनिश्चित की है, तब भारत के आयुर्वेदिक दवाइयों के बाजार के बढ़ने और इसमें रोज़गार की नई संभावनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में अब आयुर्वेदिक दवाइयों के बाजार को देश और दुनिया में तेजी से बढ़ाने के लिए कई बातों पर ध्यान देना होगा। हमें मान्य तरीकों से आयुर्वेदिक दवाइयों के दस्तावेजीकरण की डगर पर आगे बढ़ना होगा। हमारे द्वारा औषधीय पौधों को रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से पूरी तरह मुक्त रखा जाना होगा। दवाओं के निर्माण में भारी तत्वों का इस्तेमाल रोकना होगा।

चूंकि भारत दुनिया में औषधीय जड़ी-बूटियों का अग्रणी उत्पादक देश है और इसे बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व का वनस्पति उद्यान कहा जाता है। ऐसे में देश में औषधीय गुणों से भरपूर सैकड़ों तरह के पौधों के अधिकतम उत्पादन की नई रणनीति बनाई जानी होगी। देश में तुलसी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, विल्वपत्र, नीम पत्ता, पान पत्ता, तेज पत्ता, जामुन पत्ती और सोम पत्ती जैसी सैकेड़ों जड़ी-बूटियों के उत्पादन कार्य को बढ़ाया जाना होगा। केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के द्वारा भी किसानों को जड़ी-बूटी एवं औषधि खेती के विस्तार के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिए जाने होंगे।

आयुर्वेदिक दवाइयों के बाजार में रोज़गार बढ़ाने हेतु नई बाजार नीति

अब सरकार के द्वारा आयुर्वेदिक दवाइयों के बाजार में रोज़गार बढ़ाने हेतु नई बाजार नीति पर ध्यान देना होगा। आयुर्वेद के नाम पर फूड प्रोडक्ट और अन्य उत्पादों का कारोबार करने वाले लोगों पर सतर्क निगाहें रखी जानी होगी। सरकार के द्वारा ऐसे नए नियम बनाए जाने होंगे, ताकि फूड प्रोडक्ट की जो कंपनियां अपने ब्रांड को आयुर्वेदिक बता कर बेचती हैं, उनके दावों की जांच हो सके। खाद्य सुरक्षा रेगुलेटर और आयुष मंत्रालय के द्वारा नए नियमों

को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप दिया जाना होगा।

इन नियमों में यह ध्यान रखा जाना होगा कि आयुर्वेदिक आहार प्रोडक्ट की लेबलिंग, प्रेजेंटेशन और विज्ञापन में कंपनियां अनुचित रूप से यह गारंटी नहीं दे सके कि उनका उत्पाद किसी बीमारी के पूर्ण इलाज या उसे रोकने में पूर्णतया कारगर है। यह भी ध्यान रखा जाना होगा कि आयुर्वेदिक दवाएं, आयुर्वेदिक पद्धति पर बनी अन्य दवाएं, मेडिसिन प्रोडक्ट और ऐसी खाद्य सामग्री जिसमें आयुर्वेदिक तत्वों का इस्तेमाल न हुआ हो, वे आयुर्वेद उत्पादों के दायरे में नहीं आ पाएं। साथ ही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में सिर्फ नेचुरल फूड एडिटिव ही मिलाए जाएं। आयुर्वेदिक आहार में अनुपयुक्त रूप से विटामिन, मिनरल और एमिनो एसिड मिलाने की इजाजत नहीं हो। यह भी ध्यान रखा जाना होगा कि आयुर्वेदिक आहार बनाने वाली कंपनियां फूड प्रोडक्ट के पैकेट पर ऐसा कोई दावा नहीं करें जिससे ग्राहक भ्रमित हों। ग्राहकों को भ्रमित किए जाने संबंधी जांच होने पर कोई कमी निकलती है तो कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी होगी। कोई आहार या आयुर्वेद दवा कंपनी किसी बीमारी को रोकने का दावा करती है, तो इसके लिए सुरक्षा मापदंडों के तहत पहले प्रोडक्ट की जांच कराकर लेबलिंग की अनुमति सुनिश्चित की जानी होगी। आयुर्वेदिक आहार प्रोडक्ट के पैकेट पर उपयुक्त जानकारी सुनिश्चित की जानी होगी।

हमें आयुर्वेदिक दवाइयों के बाजार और इसमें रोज़गार को बढ़ाने के लिए कई और बातों पर भी ध्यान देना होगा। भारतीय औषध प्रणाली के तहत सभी औषधीय पौधों की समुचित बॉटनिकल पहचान कायम करनी होगी। औषधीय पौधों की प्रोसेसिंग वैज्ञानिक, आर्थिक और सुरक्षित तरीके से की जानी होगी। आयुर्वेदिक उत्पादों की क्षमता और सुरक्षा का निर्धारण करने के लिए फार्माकोलॉजिकल तथा क्लीनिकल अध्ययन बढ़ाया जाना होगा। आयुर्वेदिक दवाओं के लिए उपयुक्त नियमन व्यवस्था सुनिश्चित की जानी होगी। आयुर्वेदिक इलाज की प्रक्रियाओं का स्टैंडर्ड तय किया जाना होगा। आयुर्वेदिक दवाइयों की पुरानी स्टाइल की पैकेजिंग की जगह आधुनिक पैकेजिंग सुनिश्चित की जानी होगी। आयुर्वेदिक दवाइयों संबंधी शोध को बढ़ाना होगा। खासतौर से तत्काल परिणाम देने वाली और साइड इफेक्ट्स से बचाने वाली दवाइयों पर शोध पर विशेष ध्यान दिया जाना होगा। चूँकि आयुर्वेद भारत की विरासत है और आयुर्वेद के विस्तार में पूरी मानवता की भलाई समाई हुई है, अतएव जिस तरह भारत दुनिया की नई फार्मेसी के रूप में उभरा है, उसी तरह जहाँ भारत आयुर्वेदिक और पारंपरिक दवाओं का नया वैश्विक केंद्र बनकर वैश्विक स्वास्थ्य में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है, वहीं इसके तहत रोज़गार के नए मौकों का सृजन किया जा सकता है।

बीएएमएस की डिग्री कैसे प्राप्त करें

बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) कोर्स में नामांकन के लिए यह आवश्यक है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स, कैमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो। सामान्यतया बीएएमएस के लिए नीट परीक्षा देनी होती है। लेकिन कुछ राज्यों में बीएएमएस के लिए पृथक परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। बीएएमएस पाठ्यक्रम की अवधि साढ़े पांच वर्ष होती है। इसमें अनिवार्य इंटर्नशिप भी शामिल है। बीएएमएस की डिग्री के बाद आयुर्वेद में एमडी तथा एमएस की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की जा सकती है।

रोज़गार के मौके

आयुर्वेदिक चिकित्सा की डिग्री लेने के बाद कई तरह के रोज़गार और स्वरोज़गार के मौके हैं। किसी अस्पताल से जुड़कर कार्य कर सकते हैं या फिर खुद का क्लिनिक खोलकर लोगों को चिकित्सा सेवा दे सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाई निर्माता कंपनियों की संख्या में इजाफा और विदेशों में भी इसका प्रचलन इस क्षेत्र में रोज़गार के नये आयाम खोल रहा है। विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए अधिक से अधिक पंचकर्म केंद्र बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, देश में सरकारी अस्पतालों में भी आयुर्वेदिक चिकित्सकों की नियुक्तियों को अहमियत दी जा रही है। इसके अलावा आयुर्वेदिक दवाई निर्माण, आहार विशेषज्ञता और आयुर्वेदिक कॉलेजों में अध्यापन जैसे कई अच्छे कॅरियर के मौके भी मुट्ठियों में किए जा सकते हैं।

आयुर्वेदिक चिकित्सा में कॅरियर के लिए जरूरी स्किल्स

हालांकि आयुर्वेदिक कोर्स का अध्यापन हिन्दी और अंग्रेजी में होता है, लेकिन आयुर्वेद से संबंधित बहुत सारी शब्दावली और किताबें संस्कृत में ही उपलब्ध हैं। इसलिए इस क्षेत्र में संस्कृत का ज्ञान भी लाभप्रद होता है। आयुर्वेद सेक्टर में कॅरियर बनाने के लिए चिकित्सा कार्य में संतुष्टि और मानव सेवा में गहरी रुचि होना जरूरी है। विपरीत परिस्थितियों में भी संयम से काम लेने की क्षमता, हर पल कुछ नया जानने तथा रिसर्च करने की क्षमता भी लाभप्रद होती है।

निःसंदेह कोविड-19 के बीच अब आयुर्वेदिक दवाइयों और आयुर्वेदिक डॉक्टरों की अहमियत और बढ़ गई है। इस समय देश के कोने-कोने में आयुर्वेद शिक्षा के विभिन्न शासकीय और निजी क्षेत्र के कॉलेजों में से अपनी उपयुक्तता के अनुरूप किसी गुणवत्तापूर्ण कॉलेज से डिग्री लेकर आयुर्वेद के क्षेत्र में कॅरियर की राह पर आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाया जा सकता है।

- डॉ. जयंतीलाल भंडारी

(लेखक कॅरियर मार्गदर्शन के लिये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रतिष्ठित हैं।)

मध्यप्रदेश के जिलों को जानिये

आलीशान और सुंदर इमारतों के कारण कभी 'निमाड़ का पेरिस' कहलाता था बड़वानी

बड़वानी जिले की स्थापना 25 मई, 1998 को हुई। इसके पहले यह जिला खरगोन (पश्चिम निमाड़) जिले का एक भाग था। यह जिला मध्यप्रदेश के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है, नर्मदा नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। जिले के दक्षिण में सतपुड़ा एवं उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणियां हैं। बड़बानी नाम की उत्पत्ति बड़ के वन से हुई है, एक समय था जब यह शहर बड़ के वृक्षों से घिरा हुआ था, वानी शब्द बगीचे के लिये प्रयोग किया जाता है, इसलिये शहर को बड़वानी नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ बड़ का बगीचा से है। इस जिले के दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात, पूर्व में जिला खरगोन तथा उत्तर में जिला धार है। जिला पश्चिम में उच्चतम विंदु के साथ आकार में त्रिकोणीय है। जिले में भीलट देव का मन्दिर है, जहां नाग पंचमी का हर साल मेला लगता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। बड़वानी का एक ऐतिहासिक प्रतीक है जो तीरगोला के नाम से जाना जाता है। यह खंडवा-बड़ौदा मार्ग पर सागर विलास पैलेस के सामने स्थित है। यह जिला जैन तीर्थ चूलगिरि (बावनगजा) के लिए भी देश भर में मशहूर है।

इतिहास

बड़वानी शहर 1948 से पहले बड़वानी राज्य की राजधानी हुआ करता था। यह छोटा-सा राज्य अपने चट्टानी इलाकों और कम उत्पादक भूमि के कारण अंग्रेज, मुगलों और मराठों के शासन से बचा रहा था। बड़वानी रियासत के तत्कालीन महाराजा राणा देवीसिंहजी के नेतृत्व में बड़वानी रियासत का मध्यभारत प्रांत में विलय 31 मई, 1948 को हुआ था। राणा देवीसिंहजी खुद एक वास्तुविद और भवन डिजाइनर थे। वे बड़वानी में 11 सुंदर भवनों का निर्माण जनता के लिए करवाना चाहते थे। इसी क्रम में उनके द्वारा उस समय बनवाए गए भवन आज भी बड़वानी की शान हैं और इन्हीं भवनों के चलते बड़वानी को निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। तीर गोला आज बड़वानी की एक खास पहचान बन चुका है। इसके निर्माता राणा देवीसिंह जी थे। वे अपने राजमहल सागर विलास पैलेस से अपने स्वर्गीय भाई उदयसिंह की स्मृति में बने इस स्मारक को निहारते थे और अपने भाई को याद करते थे। बड़वानी शहर पूर्व में बड़ नगर और सिद्ध नगर के नाम से भी जाना जाता था।

अर्थव्यवस्था

इस क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी कपास की उपज के लिए बहुत उपयोगी है। मिर्ची की तरह कपास बड़वानी जिले के लोगों की जीवन रेखा बन गई है। परिणामस्वरूप जिले में कई सूती उद्योग स्थापित हैं। बड़वानी कपास उत्पादक और कपास की मंडी दोनों के लिए जाना जाता है। इसलिए यह सुनहरे जिलों के समूह में शामिल है। साथ ही मिर्ची बड़वानी जिले की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है। जिले की राजपुर तहसील मिर्ची किसानों के लिए बाजार उपलब्ध कराती है। राजपुर के मिर्च के पौधे पूरे पश्चिम निमाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। जिले में पपीता भी बहुतायत में होता है। इसके अलावा केला, अनार और अन्य फलों के बगीचे भी यहां की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

बड़वाली जिला : अन्य प्रमुख तथ्य

मध्यप्रदेश के दक्षिण-पश्चिम भाग में स्थित तथा सतपुड़ा पहाड़ियों और विंध्य वनों से घिरा बड़वानी जिला पूर्व में बड़वानी रियासत की राजधानी रहा है।

देश की आजादी से पहले बड़वानी शहर को निमाड़ के पेरिस के रूप में जाना जाता था। इसका कारण यहां की वैभवशाली और खूबसूरत इमारतें हैं। पूर्व मध्यकालीन ऐतिहासिक अवशेषों के लिए जाने जाना वाला बड़वानी वास्तव में पूर्व में पश्चिमी निमाड़ (खरगोन)जिले का भाग था जिसे 25 मई, 1998 को पृथक कर नवीन जिले के रूप में गठित किया गया।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बड़वानी मध्यप्रदेश का दूसरा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है।

बड़वानी में प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र स्थापित है।

बड़वानी जिले का सेंधवा नगर कपास उत्पादन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है।

काली मिट्टी की अधिकता वाले बड़वानी जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-3 होकर गुजरता है।

जीवन साथी का चयन करने के लिए जिले के आदिवासियों द्वारा होली के पूर्व साप्ताहिक हाट-बाजारों में भगोरिया त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार प्रेम का भी प्रतीक है।

यह जिला मालवा-निमाड़ क्षेत्र में आने के कारण इसके खान-पान में भी इसका असर है और यहां दाल बाफले बहुत ही पसंद किए जाते हैं।

बड़वानी जिले में मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र सीमा पर स्थित नागलवाड़ी एक अत्यंत दर्शनीय और सुंदर स्थान है। यह सतपुड़ा हिल रेंज में स्थित है। पहाड़ी की चोटी पर बहुत प्रसिद्ध भीलट देव मंदिर है जो तीर्थयात्रियों के लिए मुख्य आकर्षण है।

बावनगजा (चूलगिरी) बड़वानी जिले का एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ केंद्र है। यह जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूरी पर है। वहां पहाड़ी पर 15वीं सदी के 11 मंदिर हैं साथ ही पहाड़ काटकर बनाई गई भगवान आदिनाथ की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 52 हाथ होने के कारण ही इस स्थान को बावनगजा के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के निर्माण काल की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती किन्तु मूर्ति का निर्माण अर्ककीर्ति नाम के राजा द्वारा करवाए जाने का उल्लेख मिलता है। यहां पर श्रवण-बेलगोला (कर्नाटक) की तर्ज पर प्रति बारह वर्ष बाद महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जैन संत कुंभकर्ण और इंद्रजीत ने इस स्थान से ही निर्वाण पाया था ।

महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित सेंधवा बड़वानी जिले का सबसे बड़ा नगर है जो अपनी कपास मंडी के लिए तथा किले के लिए प्रसिद्ध है। यहां से कुछ किलोमीटर दूर भंवरगढ़ है, यहां का किला भी सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी भीमानायक की स्मृति में बड़वानी जिले के धावा बावरी में स्मारक बनाया गया है।

बड़वानी जिला – महत्वपूर्ण तथ्य

1. जिले का गठन-25 मई, 1998 (खरगोन जिले से अलग होकर)
2. संभाग-इंदौर
3. जिला मुख्यालय-बड़वानी
4. क्षेत्रफल-5427 हेक्टेयर, वर्ग किलोमीटर
5. जनसंख्या-1385881 (अनुसूचित जनजाति 9,62,145, अनुसूचित जाति 87,991) पुरुष- 6,99,340, महिला-6,86,541
6. जनसंख्या घनत्व - 255 वर्ग किलोमीटर
7. साक्षरता - 39.68 प्रतिशत
8. विधानसभा क्षेत्र- 4 (सेंधवा, राजपुर, पानसेमल, बड़वानी)
9. तहसील- 9 (बड़वानी, ठीकरी, राजपुर, पानसेमल, सेंधवा,निवाली, अंजड़, पाटी, बरला)
10. विकास खण्ड- 7 (बड़वानी, पाटी, ठीकरी, राजपुर, पानसेमल, सेंधवा, निवाली,)
11. नगर पालिका- 2
12. कृषि उपज मंडी- 5
13. नगर पंचायत- 5
14. जनपद पंचायत- 7
15. ग्राम पंचायत- 417
16. ग्रामों की संख्या- 717
17. राजस्व ग्राम- 597
18. प्रमुख नदियां- नर्मदा
19. भाषा/बोलियां- हिन्दी, निमाड़ी

(सभी आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार)

- रीता मोदी
(लेखिका, स्वतंत्र पत्रकार हैं)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी

पश्चिम बंगाल राज्य का सामान्य भूगोल

1. **पश्चिम बंगाल का कौन-सा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिज़र्व के अन्तर्गत शामिल है?**
(अ) सुंदरवन (ब) बक्सा
(स) सिमलीपाल (द) अ एवं ब
2. **भारत में जूट उत्पादन में कौन-सा राज्य प्रथम स्थान रखता है?**
(अ) पश्चिम बंगाल
(ब) बिहार
(स) तेलंगाना
(द) उड़ीसा
3. **पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?**
(अ) 1 जनवरी (ब) 1 नवंबर
(स) 1 मई (द) 10 दिसंबर
4. **कौन-सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है?**
(अ) मानस राष्ट्रीय उद्यान
(ब) गिर राष्ट्रीय उद्यान
(स) सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान
(द) सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान
5. **पश्चिम बंगाल में कौन-सी मिट्टी सर्वाधिक पायी जाती है?**
(अ) काली मिट्टी
(ब) लाल मिट्टी
(स) बालुई मिट्टी
(द) जलोढ़ मिट्टी
6. **किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है?**
(अ) मध्यप्रदेश
(ब) छत्तीसगढ़
(स) पश्चिम बंगाल
(द) बिहार
7. **छोटा नागपुर पठार के अन्तर्गत किस राज्य का भाग नहीं आता है?**
(अ) पश्चिम बंगाल
(ब) झारखण्ड
(स) छत्तीसगढ़
(द) मध्यप्रदेश
8. **राढ़ का मैदान छोटा नागपुर पठार के किस दिशा में फैला हुआ है?**
(अ) पूर्वी भाग (ब) पश्चिमी भाग
(स) उत्तरी भाग (द) दक्षिणी भाग
9. **कौन-सा कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है?**
(अ) रानीगंज कोयला क्षेत्र
(ब) उमरिया कोयला क्षेत्र
(स) बोकारो कोयला क्षेत्र
(द) तालचर कोयला क्षेत्र
10. **कौन-सी पेट्रोल रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में स्थित है?**
(अ) कोयली (ब) डिगबोई
(स) हल्दिया (द) बरौनी
11. **पंचेत हिल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है?**
(अ) दामोदर नदी (ब) कोसी नदी
(स) महानदी (द) हुगली नदी
12. **पश्चिम बंगाल में लोहा इस्पात (इस्को) पर आधारित कारखाना कहां स्थित है?**
(अ) कोलकाता
(ब) दार्जिलिंग
(स) बर्नपुर
(द) इनमें से कोई नहीं
13. **कौन-सा बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है?**
(अ) कोलकाता बंदरगाह
(ब) हल्दिया बंदरगाह
(स) कुलपी बंदरगाह
(द) उपरोक्त सभी
14. **कौन-सा लोक नृत्य पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है?**
(अ) ब्रिता नृत्य (ब) छाउ नृत्य
(स) गंभिरा नृत्य (द) उपरोक्त सभी
15. **पश्चिम बंगाल का कौन-सा हिल स्टेशन पर्यटन में शामिल है?**
(अ) दार्जिलिंग
(ब) हावड़ा
(स) बीरभूम
(द) इनमें से कोई नहीं
16. **कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है?**
(अ) महानदी
(ब) इन्द्रावती नदी
(स) हुगली नदी
(द) हसदेव नदी
17. **रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां है?**
(अ) बेलूर मठ (ब) दार्जिलिंग
(स) मंगलुरु (द) नई दिल्ली
18. **विक्टोरिया मेमोरियल कहां स्थित है?**
(अ) पटना (ब) आसनसोल
(स) दार्जिलिंग (द) कोलकाता
19. **पश्चिम बंगाल राज्य का जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात है?**
(अ) 947 (ब) 920
(स) 978 (द) 995
20. **निम्न में से कौन-सा पश्चिम बंगाल राज्य का पड़ोसी राज्य नहीं है?**
(अ) सिक्किम (ब) बिहार
(स) असम (द) मेघालय
21. **पश्चिम बंगाल का कौन-सा जिला बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है?**
(अ) दक्षिण 24 परगना
(ब) पुरुलिया
(स) मुर्शिदाबाद
(द) मालदा
22. **पश्चिम बंगाल के कौन-से स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल हैं?**
(अ) माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग
(ब) हावड़ा ब्रिज
(स) सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान
(द) अ एवं स
23. **पश्चिम बंगाल में कौन सी जनजाति पायी जाती है?**
(अ) भूटिया (ब) गारो
(स) उरांव (द) उपरोक्त सभी
24. **निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है?**
(अ) महाराष्ट्र
(ब) बिहार
(स) पश्चिम बंगाल
(द) उत्तरप्रदेश
25. **भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कहां स्थित है?**
(अ) कोलकाता (ब) नई दिल्ली
(स) भोपाल (द) मुंबई
26. **पश्चिम बंगाल का कौन-सा स्थल रामसर के अंतर्गत सम्मिलित है?**
(अ) पूर्वी कोलकाता वेटलैण्ड
(ब) सुंदरवन वेटलैण्ड
(स) सूर सरोवर वेटलैण्ड
(द) अ एवं ब
27. **दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है?**
(अ) झारखण्ड-बिहार
(ब) बिहार-पश्चिम बंगाल
(स) झारखण्ड-उड़ीसा
(द) झारखण्ड-पश्चिम बंगाल
28. **सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है?**
(अ) टुण्ड्रा वन
(ब) मैन्ग्रोव वन
(स) पर्णपाती वन
(द) इनमें से कोई नहीं
29. **ब्रिटिश शासन के समय कलकत्ता कब तक भारत की राजधानी रही?**
(अ) 1911 (ब) 1931
(स) 1922 (द) 1947
30. **स्वर्णरेखा परियोजना का विस्तार किन-किन राज्यों में है?**
(अ) झारखण्ड-पश्चिम बंगाल-उड़ीसा
(ब) बिहार-पश्चिम बंगाल-उड़ीसा
(स) बिहार-झारखण्ड-उड़ीसा
(द) उत्तरप्रदेश-बिहार-झारखण्ड
31. **भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहां स्थित है?**
(अ) मुम्बई (ब) पटना
(स) दार्जिलिंग (द) कोलकाता
32. **भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई?**
(अ) प्रशांतचन्द्र महलनोबिस
(ब) आचार्य विद्यासागर
(स) राजा राम मोहन राय
(द) इनमें से कोई नहीं
33. **राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केन्द्र कहां स्थित है?**
(अ) बैरकपुर (ब) पटना
(स) रांची (द) दिसपुर
34. **राष्ट्रीय केन्द्र परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रोन केन्द्र कहां स्थित है?**
(अ) ट्रॉम्बे (ब) कलपक्कम
(स) कोलकाता (द) भोपाल
35. **पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कितनी (निर्वाचित) सीटें हैं?**
(अ) 230 (ब) 294
(स) 300 (द) 188
36. **पश्चिम बंगाल का सबसे लम्बे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा?**
(अ) ममता बनर्जी
(ब) प्रफुलचन्द्र घोष
(स) ज्योति बसु
(द) बुद्धदेव भट्टाचार्य
37. **टाइगर हिल पहाड़ी पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है?**
(अ) दार्जिलिंग
(ब) उत्तर दिनाजपुर
(स) कूच बिहार
(द) जलपाईगुड़ी
38. **कोलकाता मेट्रो ट्रेन कब प्रारंभ की गई?**
(अ) 1999 (ब) 1984
(स) 2002 (द) 2011

उत्तरमाला

1. द, 2. अ, 3. ब, 4. स, 5. द, 6. द, 7. द, 8. अ, 9. अ, 10. स, 11. अ, 12. स, 13. द, 14. द, 15. अ, 16. स, 17. अ, 18. द, 19. अ, 20. द, 21. अ, 22. द, 23. द, 24. ब, 25. अ, 26. द, 27. द, 28. ब, 29. अ, 30. अ, 31. द, 32. अ, 33. अ, 34. स, 35. ब, 36. स, 37. अ, 38. ब।

- डॉ. संदीप सारवान
(लेखक, शासकीय महाविद्यालय टोंकखुर्द, जिला देवास में भूगोल के सहायक प्राध्यापक हैं)

दूरस्थ शिक्षा

रंगमंच, संगीत, नृत्य और चित्रकला में बढ़ते शैक्षिक अवसर

इतिहास में लंबे समय से लोगों की यह धारणा रही है कि वे शिक्षक (गुरु) के साथ आमने-सामने, बातचीत के माध्यम से ही प्रदर्शन कला का अध्ययन कर सकते हैं। यही कारण है कि देश में इस तरह की कलाओं के अध्ययन के लिए सीमित अवसर हैं। बड़ी संख्या में लोग जो अपनी आजीविका से जुड़े हैं, उन्हें आमतौर पर प्रदर्शन कलाओं की शिक्षा लेने के अवसर नहीं मिलते हैं। तकनीकी प्रगति ने प्रदर्शन कलाओं के प्रशिक्षण में क्रांति ला दी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने इस संबंध में अग्रणी भूमिका निभाई है। विश्वविद्यालय में प्रदर्शन और दृश्य कला का एक स्कूल है जिसने संगीत, चित्रकला, रंगमंच, नृत्य इत्यादि पर कई पाठ्यक्रम डिजाइन किए हैं। ये कार्यक्रम तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों के बारे में कुछ बुनियादी विवरण इस प्रकार हैं।

बीए, म्यूजिक ऑनर्स हिन्दुस्तानी – (परफॉर्मिंग आर्ट्स)

बीए (परफॉर्मिंग आर्ट्स) - हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑनर्स कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से चलाया जाता है। यह कार्यक्रम मूल रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गहन ज्ञान देने के लिए बनाया गया है। कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह पेशेवर होने के साथ-साथ कौशल, योग्यता विकास और शैक्षणिक दक्षता भी प्रदान करता है। इसके साथ-साथ यह रोज़गार के अवसर भी पैदा करता है और सर्वांगीण विकास करता है। यह हमारे समाज के बड़े वर्ग को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक कोर्स करने का अवसर देता है। कार्यक्रम का उद्देश्य उन इच्छुक छात्रों को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करना है, जिनके पास पारंपरिक प्रणाली के माध्यम से इसका अध्ययन करने का अवसर नहीं है। इस पाठ्यक्रम को संगीत के छात्रों के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे अनुभव प्रदान करना है, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखने में गहरी रुचि पैदा करने में मदद करते हैं। कार्यक्रम मुख्य रूप से व्यापक और संतुलित ज्ञान और मुख्य घटकों की समझ विकसित करेगा जैसेः संगीत तत्व, सिद्धांत, संगीत का इतिहास, विभिन्न संगीतज्ञों का योगदान, संगीत-शिक्षा और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित सौंदर्यशास्त्र सिद्धांत। कार्यक्रम छात्रों के लिए साथी छात्रों के साथ सहयोग करने और एक संयुक्त मंच प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करने के अवसर भी पैदा करेगा।

इस कार्यक्रम के लिए पात्रता 10+2 है। हालांकि यह एक वांछनीय योग्यता है यदि, आपने 11वीं और 12वीं कक्षा में एक विषय के रूप में संगीत का अध्ययन किया है/किसी संस्थान या गुरु से संगीत सीखा है तो आप इस कार्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए शिक्षा का माध्यम हिंदी है। हालांकि अध्ययन सामग्री हिंदी में दी जाएगी, छात्रों को अंग्रेजी में भी अपने असाइनमेंट और परीक्षा लिखने की अनुमति होगी। कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 6 वर्ष है। यह कार्यक्रम प्रवेश के जुलाई सत्र में ही उपलब्ध है। जहां तक निर्धारित शुल्क का संबंध है, छात्रों को कुल रु. 27,600/- का भुगतान करना होगा, जो पूरे कार्यक्रम के लिए वर्ष-वार भुगतान किया जा सकता है, @ रु. 9,200/वर्ष। हालांकि रु.200/- के पंजीकरण शुल्क सहित प्रथम वर्ष में भुगतान किया जाने वाला शुल्क 9,400/- रुपये है। कार्यक्रम वेब सक्षम शैक्षणिक सहायता (Web Enabled Academic Support) के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा इग्नू मुख्यालय में प्रत्येक सेमेस्टर में 15 दिनों के लिए स्टूडियो अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। स्टूडियो अभ्यास का आयोजन केवल इग्नू मुख्यालय, नई दिल्ली में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक छात्र को ऑनलाइन शैक्षणिक सहायता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा।

मास्टर ऑफ आर्ट्स (ड्रॉइंग और पेंटिंग)

कार्यक्रम का उद्देश्य उन छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है, जिनके पास पारंपरिक प्रणाली के माध्यम से ललित कला का अध्ययन करने का अवसर नहीं है। ड्रॉइंग और पेंटिंग में मास्टर ऑफ आर्ट्स कार्यक्रम, शिक्षा के दूरस्थ मोड के माध्यम से तैयार किया गया है। यह मोटे तौर पर मुख्य घटकों को शामिल करता है जैसे; कला के तत्व और सिद्धांत, कला इतिहास, कला शिक्षा, सौंदर्यशास्त्र सिद्धांत और अनुसंधान विधियां। इसके अलावा यह उपयुक्त कला उपकरण, सामग्री, तकनीकों और तरीकों के बारे में जागरूकता भी विकसित करता है, ताकि स्वयं के कला कार्य का विश्लेषण और निर्माण किया जा सके और विद्यार्थी को एक पेशेवर कलाकार बनने के लिए अवसर प्रदान किया जा सके। यह कार्यक्रम नियोजित/स्व-नियोजित व्यक्तियों, फ्रीलांसरों, डिजाइनरों, चित्रकार, कपड़ा पेशेवर, आंतरिक सज्जाकार, स्कूल और कॉलेज के शिक्षक, इच्छुक पेशेवर, आदि के लिए विशेष प्रासंगिकता रखता है। विशेष रूप से उन लोगों को यह कार्यक्रम दिलचस्प लगेगा, जो ललित कला के क्षेत्र जो अपने ज्ञान और कौशल को उन्नत करना चाहते हैं और साथ ही साथ स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के लिए मूल योग्यता बैचलर इन आर्ट्स- ड्रॉइंग एंड पेंटिंग या बैचलर इन फाइन/विजुअल आर्ट्स/एप्लाइड आर्ट/मूर्तिकला/कला शिक्षा/कला का इतिहास/प्रिंटमेकिंग/दृश्य संचार या डिजाइन में डिग्री/फैशन/प्रौद्योगिकी/टेक्सटाइल/एनिमेशन और अन्य ललित/दृश्य कला आदि हैं। इस कार्यक्रम के लिए शिक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी है, यद्यपि अध्ययन सामग्री को अंग्रेजी माध्यम में ही उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 4 वर्ष है। कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र जुलाई में ही उपलब्ध है। पूर्ण कार्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क रु. 16,500/- है, जिसका भुगतान दो किस्तों में किया जा सकता है अर्थात प्रथम वर्षः रु. 8,250/- और दूसरे वर्ष रु.8,250/। यह कार्यक्रम भी वेब सक्षम शैक्षणिक सहायता (WEAS) के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा इग्नू मुख्यालय में प्रत्येक सेमेस्टर में 15 दिनों के लिए स्टूडियो अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। स्टूडियो अभ्यास का आयोजन केवल इग्नू मुख्यालय, नई दिल्ली में किया जाएगा और प्रत्येक छात्र को ऑनलाइन शैक्षणिक सहायता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा।

रंगमंच कला में डिप्लोमा

रंगमंच कला में डिप्लोमा शिक्षार्थियों के लिए अभिनय, दृश्य कार्य और कक्षा निर्माण के सक्रिय व्यावहारिक घटकों के साथ दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है।

इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: डिप्लोमा स्तर पर रंगमंच कला में शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना; शिक्षार्थियों के बीच रंगमंच के तत्वों की समझ विकसित करना; रंगमंच के सिद्धांत और व्यावहारिक इनपुट प्रदान करना; नाट्य प्रदर्शन बनाने के लिए व्यावहारिक अभ्यास के माध्यम से अवसर प्रदान करना; रंगमंच और उससे जुड़े विषयों में कौशल आधारित ज्ञान प्रदान करना और रंगमंच और संबंधित कलाओं के क्षेत्र में स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करना। इस कार्यक्रम के लिए मूल पात्रता 10+2 है और कार्यक्रम के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। कार्यक्रम को एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के भीतर पूरा किया जा सकता है, हालांकि विश्वविद्यालय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिकतम तीन वर्ष की अवधि की अनुमति देता है। यह कार्यक्रम प्रवेश के जनवरी और जुलाई दोनों चक्रों में उपलब्ध है और पूरे कार्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क 7,700/- रुपये है।

विजुअल आर्ट्स में सर्टिफिकेट–पेंटिंग

पेंटिंग में सर्टिफिकेट प्रोग्राम का उद्देश्य रचनात्मक और सौंदर्य संबंधी संवेदनाओं के विकास के साथ ड्रॉइंग (Drawing), माध्यम (Medium) और रचना (Composition) का बुनियादी ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। पाठ्यक्रम में रचनात्मकता, सटीकता और उपकरण और सामग्री का उपयोग शामिल है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं : एक कला कार्य (art work) बनाने के लिए आत्म अवलोकन, दृश्य और आत्म प्रेरणा विकसित करना; छात्रों को भारतीय कला प्रथाओं और सौंदर्यशास्त्र की अवधारणा को सीखने के लिए और सामग्री और तकनीकों के बीच एक समझ विकसित करना है। इस कार्यक्रम के लिए पात्रता 10वीं पास है और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। कार्यक्रम को न्यूनतम 6 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जा सकता है, हालांकि विश्वविद्यालय छात्रों को इसे अधिकतम 2 वर्षों की अवधि में पूरा करने की अनुमति देता है। कार्यक्रम प्रवेश के जनवरी और जुलाई दोनों सत्रों में उपलब्ध है। पूरे कार्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क 3,600/- रुपये है।

विजुअल आर्ट्स में सर्टिफिकेट – एप्लाइड आर्ट

'एप्लाइड आर्ट में सर्टिफिकेट प्रोग्राम' के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं : एक कलाकृति बनाने के लिए विज़ुअलाइज़ेशन और डिज़ाइनिंग संवेदनशीलता विकसित करना; ग्राफिक डिजाइन के लिए सामग्री और तकनीक के उपयोग के लिए समझ विकसित करना; छात्रों को भारतीय कला प्रथाओं और सौंदर्यशास्त्र की अवधारणा से परिचित कराना और उन्हें ग्राफिक डिजाइनिंग और विज्ञापन का ज्ञान प्रदान करना।

इस कार्यक्रम की मूल पात्रता 10वीं उत्तीर्ण है और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। कार्यक्रम को कम से कम 6 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जा सकता है, हालांकि विश्वविद्यालय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिकतम 2 वर्ष का समय देता है। यह कार्यक्रम प्रवेश के दोनों सत्रों यानी हर साल जनवरी और जुलाई सत्र में उपलब्ध है। पूरे कार्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क 3,600/- रुपये है। कार्यक्रम में सिद्धांत और व्यावहारिक दोनों घटक शामिल हैं।

रंगमंच कला में प्रमाणपत्र कार्यक्रम

रंगमंच कला में प्रमाणपत्र कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षार्थियों को थिएटर की कला का बुनियादी परिचय देना है। यह कोर्स छात्रों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों इनपुट प्रदान करता है।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को रंगमंच की कला से परिचित कराना और रंगमंच में बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के लिए मूल योग्यता 10वीं उत्तीर्ण है और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। कार्यक्रम को न्यूनतम 6 महीने की अवधि और अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जा सकता है। यह प्रवेश के जनवरी और जुलाई दोनों चक्रों में उपलब्ध है। कार्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क रु. 3,600/- है।

प्रदर्शन कला में सर्टिफिकेट– हिंदुस्तानी संगीत

'हिन्दुस्तानी संगीत में प्रमाणपत्र' शिक्षार्थी को हिंदुस्तानी संगीत के सिद्धांत और व्यावहारिक पहलुओं का बुनियादी ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य उन छात्रों को संगीत की शिक्षा प्रदान करना है, जिनके पास पारंपरिक प्रणाली के माध्यम से संगीत का अध्ययन करने के लिए अवसर नहीं हैं। यह हिंदुस्तानी संगीत के बुनियादी ज्ञान का प्रसार करने के लिए एक परिचयात्मक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य हिन्दुस्तानी संगीत के प्रति जागरूकता के साथ व्यावहारिक और सैद्धांतिक पहलू की बुनियादी समझ विकसित करना है। कार्यक्रम की मूल पात्रता 10वीं उत्तीर्ण है और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। प्रशिक्षण वेब समर्थित शैक्षणिक सहायता (Web Enabled Academic Support) के माध्यम से प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम को कम से कम 6 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जा सकता है, हालांकि विश्वविद्यालय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिकतम 2 साल का समय देता है। कार्यक्रम प्रवेश के जनवरी और जुलाई दोनों सत्रों में उपलब्ध है और निर्धारित शुल्क 3,600/- रुपये है।

प्रदर्शन कला में सर्टिफिकेट– कर्नाटक संगीत

प्रदर्शन कला का प्रमाण पत्र- कर्नाटक संगीत का उद्देश्य उन छात्रों को कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करना है, जिनके पास पारंपरिक प्रणाली के माध्यम से इसका अध्ययन करने का अवसर नहीं है। यह कोर्स सैद्धांतिक रूप से और साथ ही व्यावहारिक रूप से विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कार्यक्रम का कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं बुनियादी आवाज प्रशिक्षण प्रदान करना, कर्नाटक संगीत गायन के बुनियादी कौशल को पढ़ाना; कर्नाटक संगीत के ऐतिहासिक विकास की समझ पैदा करना और कर्नाटक संगीत की तकनीकी के बारे में ज्ञान प्रदान करना। कार्यक्रम की पात्रता 10वीं उत्तीर्ण है और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। कार्यक्रम को कम से कम 6 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जा सकता है, हालांकि विश्वविद्यालय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिकतम 2 साल का समय देता है। कार्यक्रम प्रवेश के जनवरी और जुलाई दोनों चक्रों में उपलब्ध हैं और निर्धारित शुल्क 3,600/- रुपये है।

प्रदर्शन कला में सर्टिफिकेट– भरतनाट्यम

भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भारत के विविध क्षेत्रों के सर्वोत्कृष्ट सांस्कृतिक लोकाचार को सामने लाते हैं। यह कार्यक्रम भरतनाट्यम की मूल बातों में प्रशिक्षण देता है और व्यावहारिक और सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से भारतीय प्रदर्शन कलाओं को एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह इग्नू का एक अभिनव कार्यक्रम है, जो मिश्रित शिक्षण विधियों का उपयोग करता है और साथ-साथ शिक्षण और मूल्यांकन के लिए वेब सक्षम शैक्षणिक सहायता प्लेटफार्मों का उपयोग करता है। कार्यक्रम की मूल पात्रता 10वीं उत्तीर्ण है और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। कार्यक्रम को कम से कम 6 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जा सकता है, हालांकि विश्वविद्यालय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिकतम 2 साल का समय देता है। कार्यक्रम प्रवेश के जनवरी और जुलाई दोनों सत्रों में उपलब्ध है और निर्धारित शुल्क 3,600/- रुपये है।

प्रवेश लेने के लिए कहां जाएं?

उपरोक्त कार्यक्रमों के लिए प्रवेश ऑनलाइन आयोजित किए जाते हैं और छात्र देश भर में किसी भी क्षेत्रीय केंद्र का विकल्प चुन सकते हैं। अध्ययन सामग्री, ऑडियो/वीडियो सामग्री, रिकॉर्ड किए गए परामर्श सत्र, विस्तृत नियम और विनियम और पुराने प्रश्न पत्र ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोई भी छात्र, जो इन कार्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहता है, उसे सलाह दी जाती है कि वह विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इग्नू के ई-ज्ञान कोष पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री और अन्य विवरण देखें। यदि आपको किसी विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है तो आपको क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करने की सलाह दी जाती है, जो सप्ताह में 5 दिन खुला रहता है। इसके अलावा देशभर में फैले इग्नू के अध्ययन केंद्रों से भी जानकारी ली जा सकती है। उनके संपर्क विवरण और कामकाज का समय संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

- डॉ. उमेशचन्द्र पाण्डेय
(लेखक - इग्नू, भोपाल में क्षेत्रीय निदेशक हैं।)

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

ईमेल - ceproc.encwrd.bpl@nic.in, फोन - 0755-2767635, फैक्स - 0755-2552406
निविदा सूचना क्रमांक - 851/2021-22/प्रमुख अभियंता/ई-टेण्डरिंग/
भोपाल, दिनांक : 16.12.2021

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 07.01.2022 को 17.30 बजे तक** क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स. क्र.	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख)
2.	2021_WRD_173855	एस.डी.एम.एफ. अंतर्गत सीप कोलार लिंक परियोजना के कालदेव वियर से कोलार जलाशय तक पुनर्स्थापन एवं उपचारात्मक कार्य।	सीहोर	695.26

जी-20442/46350/2021 **मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)**

फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021

भारत ने सब्जी उत्पादन में अर्जित किया दूसरा स्थान

कृषि के क्षेत्र में देश नित्य नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। सरकार के प्रयासों का ही सुफल है कि अनाज से लेकर फल-सब्जी का देश के दूरदराज हिस्सों में भेजने के साथ ही दूसरे देशों में भी निर्यात लगातार बढ़ रहा है। सही मायने में देखें तो बागवानी क्षेत्र भारतीय कृषि का विकास इंजन बन गया है। कुछ महीने पहले ही महाराष्ट्र से ड्रैगन फ्रूट (कमलम) की पहली खेप दुबई के लिए निर्यात की गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी जुलाई, 2020 में ऑल इंडिया रेडियो पर 'मन की बात' कार्यक्रम में गुजरात के शुष्क कच्छ क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती का उल्लेख किया था। उन्होंने उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए बधाई दी थी। बागवानी फसलों के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासरत है, कुछ महीने पहले ही कटहल, लीची जैसी फसलों का निर्यात होने के बाद आम की कई किस्मों का निर्यात किया गया है। गिर के प्रसिद्ध केसर आम का स्वाद गुजरात और भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में पहले भी चखा जा चुका है। कोरोना महामारी के बावजूद दुनिया में केसर आम के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ। इस साल भी आम का काफी निर्यात हुआ है।

हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने जानकारी दी है कि भारत ने सब्जी उत्पादन में दुनिया में दूसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि सब्जियां पोषण का आधार होने के साथ-साथ, किसानों की आय एवं कृषि विविधीकरण का मुख्य स्तंभ साबित हुई हैं। भारत बागवानी फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक फल और सब्जी उत्पादन के लगभग 12 प्रतिशत हिस्से का उत्पादन करता है। वर्ष 2019-20 के दौरान हमने बागवानी में 320.77 मिलियन मीट्रिक टन का अब तक का सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया था, जबकि 2020-21 के लिए बागवानी उत्पादन 329.86 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में भी अधिक है।

संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को घोषित किया है फल और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष

संयुक्त राष्ट्र ने मानव स्वास्थ्य में पोषण और खाद्य सुरक्षा में फल तथा सब्जियों की अहम भूमिका के बारे में जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2021 को फल और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। जब इस अभियान की शुरुआत की गई थी, तब संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने अपने संदेश में कहा था कि फलों और सब्जियों के अनगिनत फायदों के बावजूद, हम अभी उनका उपभोग भरपूर मात्रा में नहीं करते हैं। फल और सब्जियां, मानव स्वास्थ्य के लिये भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मुहैया कराते हैं, ये रोग प्रतिरोधी क्षमता मजबूत करते हैं और अनेक बीमारियों का खतरा कम करने में भी मदद करते हैं। फल और सब्जियां फाइबर, विटामिन और ऐसे खनिज पदार्थों से भरपूर होते हैं, जो बच्चों की बढ़त और विकास के लिये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बता दें कि 2019 में यूएन महासभा ने मानव पोषण, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ टिकाऊ विकास लक्ष्य हासिल करने में फलों और सब्जियों की अहम भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2021 को फल और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। इस वर्ष (2021) का विषय 'संतुलित और स्वस्थ आहार और जीवन शैली के लिए फलों और सब्जियों के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता' है।

सरकार की ओर से दिया जा रहा है हर स्तर पर सहयोग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र की गैप्स भरकर किसानों को खुशहाल बनाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए कृषि क्षेत्र का बजट अब

1.23 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो कि वर्ष 2014 से पहले 21 हजार करोड़ रुपये ही था। इसके साथ ही दस हजार नए कृषक उत्पादक संगठन और एक लाख करोड़ रुपये का एग्री इंफ्रा फंड बनाने जैसी बड़ी योजनाएं लाई गई हैं। सरकार का फोकस किसानों पर है, खासकर छोटे किसानों पर, जिन्हें अनेक योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं। कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे- ड्रोन, रोबोट, सेंसर आदि का उपयोग बढ़ाने की आवश्यक है। इसलिए सरकार ने नई ड्रोन पॉलिसी बनाकर नियमों को सरल कर दिया है। पिछले साल टिड्डी दलों पर नियंत्रण में भी केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमतियां लेकर ड्रोन का बखूबी उपयोग किया गया।

वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड उत्पादन का है अनुमान

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का वर्ष 2020-21 का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। वर्ष 2020-21 में बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 331.05 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें 2019-20 की तुलना में 10.6 मिलियन टन (3.3 प्रतिशत) की वृद्धि परिलक्षित हो रही है। बागवानी फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, वर्ष 2020-21 में फलों का उत्पादन 103 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2019-20 में 102.1 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। सब्जियों के उत्पादन में पिछले वर्ष के 188.3 मिलियन टन की तुलना में 197.2 मिलियन टन यानी 4.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। वर्ष 2019-20 में प्राप्त 26.1 मिलियन टन की तुलना में प्याज का उत्पादन 26.8 मिलियन टन होने की जानकारी दी गई है। 2020-21 में आलू का उत्पादन रिकॉर्ड 54.2 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2019-20 की तुलना में 5.6 मिलियन टन अधिक है।

टमाटर का उत्पादन वर्ष 2019-20 में प्राप्त 20.6 मिलियन टन की तुलना में 21.1 मिलियन टन होने की जानकारी दी गई है। सुगंधित और औषधीय फसलों की बात करें तो इसमें वर्ष 2019-20 में 0.73 मिलियन टन से वर्ष 2020-21 में 0.78 मिलियन टन तक 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वृक्षारोपण फसलों का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 16.1 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 16.6 मिलियन टन हो गया है। मसालों का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 10.1 मिलियन टन से 5.3 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में 10.7 मिलियन टन हो गया है।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, एक स्वस्थ खुराक के रूप में लोगों को हर दिन कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां अवश्य खानी चाहिये।
- भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक है। मसालों का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 10.1 मिलियन टन से 5.3 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में 10.7 मिलियन टन हो गया है।
- वैश्विक रूप से लोकप्रिय विदेशी फलों और महत्वपूर्ण देशी फलों को बढ़ावा देने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने व्यावसायिक महत्व की 10 विश्व स्तर पर लोकप्रिय विदेशी फलों और उच्च पोषण और पौष्टिक-औषधीय गुणों वाली 10 महत्वपूर्ण स्वदेशी फलों की पहचान की है। राज्य के बागवानी विभागों को भी इन फसलों की खेती के लिए क्षेत्र विस्तार के संबंध में वर्ष 2021-22 के लिए लक्ष्य दिए गए हैं।
- भारत के कृषि उत्पादों के सबसे बड़े बाजारों में अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, यूएई, वियतनाम, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान और मलेशिया शामिल हैं।
- वर्ष 2020-21 के दौरान पहली बार कई क्लस्टरों से भी निर्यात हुए हैं। उदाहरण के लिए, वाराणसी से ताजी सब्जियों तथा चंदौली से काले चावल का पहली बार निर्यात हुआ, जिससे उस क्षेत्र के किसानों को सीधा लाभ हासिल हुआ। अन्य क्लस्टरों की बात करें तो नागपुर से संतरे, थेनी और अनंतपुर से केले, लखनऊ से आम आदि से भी निर्यात हुए हैं। महामारी के बावजूद, मल्टी मॉडल मोड द्वारा ताजी बागवानी ऊपज का निर्यात हुआ और खेपों को इन क्षेत्रों से हवाई जहाज और समुद्र के रास्ते दुबई, लंदन तथा अन्य गंतव्यों पर भेजा गया। मार्केट लिंकेज के लिए विभाग, फसल उपरांत वैल्यू चेन विकास तथा एफपीओ जैसे संस्थागत संरचनाओं की आरंभिक सहायता से पूर्वोत्तर के किसान भारतीय सीमाओं से आगे भी अपने मूल्य वर्द्धित उत्पादों को भेज सकने में सक्षम हुए।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विकासशील देशों में उत्पादित फलों और सब्जियों का 50 प्रतिशत तक फसल और खपत के बीच आपूर्ति श्रृंखला में नष्ट हो जाता है।

- रश्मि रंजन
(लेखिका, समसामयिक मुद्दों पर लेखन करती हैं।)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न

सामान्य ज्ञान - खेल

1. **वर्ष 2020 में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स में पुरुष एकल वर्ग के विजेता हैं?**
(अ) केंटो मोमोटा
(ब) एंडर्स एंटोनसेन
(स) विक्टर एक्सेलसेन
(द) इनमें से कोई नहीं

2. **विदेशी धरती पर टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं?**
(अ) लाला अमरनाथ
(ब) सैयद मुश्ताक अली
(स) सी.के. नायडू
(द) बीनू मांकड़

3. **वर्ष 2022 में वर्ल्ड एथेलेटिक्स चैम्पियनशिप किस देश में आयोजित की जायेगी?**
(अ) फिनलैंड (ब) हंगरी
(स) अमेरिका (द) ब्रिटेन

4. **इनमें से किस क्लब ने वर्ष 2021 में यूएफा यूरोपा लीग का खिताब जीता है?**
(अ) सेविला (ब) इंटर मिलान
(स) लिवरपूल (द) विलारियल

5. **इनमें से किस खिलाड़ी को इस वर्ष एफआईएच इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवॉर्ड मिला है?**
(अ) विवेक सागर प्रसाद
(ब) मुस्तफा कासिम
(स) सीन फिंडले
(द) इनमें से कोई नहीं

6. **वर्ष 2020 में किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन में महिला एकल खिताब जीता था?**
(अ) सिमोना हालेप
(ब) विक्टोरिया अजारेंका
(स) एश्ले बार्टी
(द) नाओमी ओसाका

7. **श्रीलंका ने वर्ष 2014 में किस खिलाड़ी की कप्तानी में आईसीसी ट्वेंटी-20 वर्ल्डकप जीता था?**
(अ) एंजेलो मैथ्यूज
(ब) महेला जयवर्धने
(स) लसिथ मलिंगा
(द) दिनेश चांडीमल

8. **वर्ष 2030 में एशियन गेम्स किस देश में आयोजित किए जायेंगे?**
(अ) सउदी अरब (ब) कतर
(स) जापान (द) मलेशिया

9. **मुथैया मुरलीधरन ने किस देश के खिलाफ अपना 800वां टेस्ट विकेट लिया था?**
(अ) भारत (ब) पाकिस्तान
(स) ऑस्ट्रेलिया (द) वेस्टइंडीज

10. **वर्ल्ड एथेलेटिक्स चैम्पियनशिप-2019 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता है?**
(अ) जोहानास वेटर
(ब) एंडर्स पीटर्स
(स) नीरज चौपड़ा
(द) मैग्नस किर्ट

11. **ईरान के जावेद फरौधी ने टोक्यो ओलिंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है?**
(अ) तैराकी (ब) निशानेबाजी
(स) कुश्ती (द) मुक्केबाजी

12. **मध्यप्रदेश की मुस्कान किरार किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं?**
(अ) तीरंदाजी (ब) नौकायन
(स) हॉकी (द) क्रिकेट

13. **वर्ष 2002 में किस देश ने फीफा वर्ल्डकप का खिताब जीता था?**
(अ) जर्मनी (ब) ब्राजील
(स) फ्रांस (द) दक्षिण कोरिया

14. **वर्ष 2010 में आईसीसी अंडर-19 वर्ल्डकप का खिताब किस देश ने जीता था?**
(अ) भारत (ब) वेस्टइंडीज
(स) ऑस्ट्रेलिया (द) बांग्लादेश

15. **चीन ने इस वर्ष किस देश को हराकर सुदीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है?**
(अ) जापान (ब) डेनमार्क
(स) दक्षिण कोरिया (द) हांग कांग

16. **मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले फुटबॉलर हैं?**
(अ) बाइचुंग भूटिया
(ब) पी.के. बनर्जी
(स) सुब्रत पॉल (द) सुनील छेत्री

17. **वर्ष 2020 में विंटर यूथ ओलिंपिक गेम्स किस देश में आयोजित किए गए थे?**
(अ) दक्षिण कोरिया (ब) नॉर्वे
(स) स्विट्जरलैंड (द) ऑस्ट्रिया

18. **फीफा वर्ल्डकप-2018 में किस खिलाड़ी को गोल्डन बॉल अवॉर्ड मिला था?**
(अ) हैरी कैन
(ब) लुका मोड्रिक
(स) ऐडेन हजार्ड
(द) एंटोनिए ग्रिजमैन

19. **पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं?**
(अ) यूनिस खान
(ब) जहीर अब्बास
(स) मोहम्मद यूसुफ
(द) सईद अनवर

20. **वर्ष 2019 में किस देश ने वर्ल्ड बास्केटबॉल चैम्पियनशिप जीती थी?**
(अ) अमेरिका (ब) स्पेन
(स) सर्विया (द) ग्रीस

21. **रियल मैड्रिड ने कितने बार फीफा क्लब वर्ल्डकप का खिताब जीता है?**
(अ) दो बार (ब) तीन बार
(स) चार बार (द) छह बार

22. **वर्ष 2016 में किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन एकल का खिताब जीता था?**
(अ) राफेल नडाल
(ब) रोजर फेडरर
(स) एंडी मरे
(द) नोवाक जोकोविच

23. **भारत ने अब तक इनमें से किस खेल आयोजन की मेजबानी नहीं की है?**
(अ) ओलिंपिक खेल
(ब) एशियाई खेल
(स) राष्ट्रमंडल खेल
(द) इनमें से कोई नहीं

24. **टोक्यो ओलिंपिक में किस देश ने हॉकी में महिला वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है?**
(अ) भारत (ब) अर्जेंटीना
(स) बेल्जियम (द) नीदरलैंड

25. **व्लादिमीर क्रेमनिक किस खेल में रूस का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं?**
(अ) जिम्नास्टिक (ब) तीरंदाजी
(स) शतरंज (द) तलवारबाजी

उत्तर

1. (स), 2. (ब), 3. (स), 4. (अ), 5. (अ), 6. (द), 7. (स), 8. (ब), 9. (अ), 10. (ब), 11. (ब), 12. (अ), 13. (ब), 14. (स), 15. (अ), 16. (द), 17. (स), 18. (ब), 19. (अ), 20. (ब), 21. (स), 22. (द), 23. (अ), 24. (द), 25. (स)।

- पुष्पेंद्र कुमार सविता
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले विषयों पर लेखन करते हैं।)

18 दिसम्बर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को मिला भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

● भूटान ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार

'नगदग पेल जी खोरलो' देने की घोषणा की है। भूटान के प्रधानमंत्री लोतेय शेरिंग ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सर्वोच्च नागरिक अलंकरण के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को चुना गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बिना किसी शर्त के मित्रता निभाई है। भारत ने कोरोना महामारी के दौरान काफी मदद की है। श्री मोदी इस सम्मान के हकदार हैं। उल्लेखनीय है कि यह पहला अवसर नहीं है जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को किसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा हो। इससे पहले यूएई, सऊदी अरब, मालदीव, फिलिस्तीन और रूस जैसे देश भी उन्हें सम्मानित कर चुके हैं।

● विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्यूएचओ) ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान की है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। संस्थान ने बताया कि कोवोवैक्स को डब्ल्यूएचओ की मंजूरी मिलने से कोरोना महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। संस्थान ने कोवोवैक्स के निर्माण और आपूर्ति के लिए अमेरिकी दवा कंपनी नोवोवैक्स के साथ समझौता किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला ने कहा कि सीरम कोवोवैक्स की 1.1 बिलियन खुराक की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है।

19 दिसम्बर

भारत और वियतनाम ने समुद्र विज्ञान में सहयोग के लिए साइन किए एमओयू

● भारत और वियतनाम समुद्र विज्ञान तथा पारिस्थितिकी में वैज्ञानिक तथा तकनीक

सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने इस संबंध में एक एमओयू किया है। भारत के केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह तथा वियतनाम के प्राकृतिक संसाधन तथा पर्यावरण मंत्री श्री ट्रान होंग हा ने एक बैठक के दौरान एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह एमओयू दोनों देशों के बीच समुद्र विज्ञान तथा पारिस्थितिकी से संबंधित पहला समझौता है। इस दौरान डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि समुद्री परिसंपत्तियों की खोज विश्व समुद्री अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक नए युग का सूत्रपात करेगी। यह द्विपक्षीय समझौता तटीय रेखा परिवर्तन और तटीय सुरक्षा उपायों संबंधी सूचना और संसाधन साझा करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

● भारत में लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) हैकथॉन लॉजिएक्सटिक्स लॉन्च जारी किया है। इस हैकथॉन को नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने लॉन्च किया। श्री अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत लगभग 14 प्रतिशत है, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में ज्यादा है। यूलिप का उद्देश्य शीर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संगठनों के साथ काम करना और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने के लिए संसाधनों की पहचान करना है।

20 दिसम्बर

भारतीय नौसेना का जहाज मोरमुगांव पहले समुद्री परीक्षण के लिए रवाना

● भारतीय नौसेना का पी15-बी श्रेणी का स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक जहाज मोरमुगांव

अपने पहले समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हो गया है। इस जहाज का समुद्री परीक्षण अरब सागर में होगा। नौसेना ने कहा कि मोरमुगांव पी15-बी श्रेणी के तहत निर्मित देश का दूसरा स्वदेशी स्टील्थ जहाज है। इस वर्ष 2022 के मध्य में अधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल किए जाने की योजना है। स्टील्थ तकनीकी से लैस होने के कारण यह पोत दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। मोरमुगांव जहाज का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएसएल) में किया जा रहा है। इससे पहले परियोजना पी15-बी श्रेणी के तहत पहला जहाज आईएनएस विशाखापट्नम् भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है।

● तीर्थस्थल केदारनाथ धाम का सफर निकट भविष्य में आसान होने जा रहा है। सरकार ने केदारनाथ धाम की यात्रा को आसान बनाने के लिए सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे निर्माण के उद्देश्य से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है। केदारनाथ रोपवे के आकार लेने के बाद यह विश्व के सबसे लंबे रोपवे में शामिल हो जाएगा। इस रोपवे की लंबाई 11.5 किलोमीटर होगी। इस रोपवे के जरिए 25 मिनट में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पहुंचा जा सकेगा।

21 दिसम्बर

भारतीय तटरक्षक बल ने अधिकारियों की भर्ती के लिए लॉन्च की वेबसाइट

● भारतीय तटरक्षक बल में अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया डिजिटलाइज्ड हो गई है। तटरक्षक बल में अब अधिकारियों की भर्ती ऑनलाइन तरीके से होगी। इसके लिए एक वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in लॉन्च की गई है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक श्री कृष्णास्वामी नटराजन ने इस वेबसाइट का लोकार्पण करते हुए कहा कि वर्तमान प्रक्रिया से अलग हटकर अधिकारियों के चयन के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा एक बड़ा परिवर्तन है। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, मानव हस्तक्षेप नहीं होगा और अभ्यर्थियों

को समान अवसार मिलेगा। डिजिटल भर्ती प्रक्रिया देश के लगभग 100 शहरों में होगी। इस परीक्षा का आयोजन वर्ष में दो बार होगा।

● मस्तिष्क के विकारों को दूर करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी के वैज्ञानिकों ने एक गणितीय मॉडल बनाया है। इस मॉडल का नाम ट्रांसक्रॉनियल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन (टीईएस) है। इस मॉडल को डॉ. शुभजीत रॉय चौधरी और उनकी टीम ने तैयार किया है। डॉ. चौधरी ने बताया कि इस मॉडल के तहत मरीज के सिर पर इलेक्ट्रोड लगाकर ब्रेन मैपिंग की जाती है। उन्होंने कहा कि यह एक गैर-इनवेसिव ब्रेन स्टिमुलेशन मॉडल है, जो मस्तिष्क का अध्ययन और उनमें होने वाले परिवर्तन के लिए मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में विद्युत प्रवाहित करता है। इससे मस्तिष्क के विकारों के इलाज में मदद मिलेगी।

22 दिसम्बर

बख्तरबंद टोही वाहनों का पहला बैच सेना में हुआ शामिल

● भारतीय सेना की इंजीनियर कोर में स्वदेश निर्मित अगली पीढ़ी के बख्तरबंद वाहनों का पहला बैच शामिल किया गया है। सेना द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पुणे में आयोजित एक समारोह में इन वाहनों को सेना में शामिल कराया। इन बख्तरबंद वाहनों को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा डिजाइन किया गया है। इनका निर्माण आयुध कारखाना मेडक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे में किया गया है। इस अवसर पर जनरल नरवणे ने कहा कि बख्तरबंद वाहनों का पहला बैच सेना की इंजीनियरिंग टोही क्षमताओं में इजाफा करेगा। उन्होंने बताया कि सेना को जल्द ही स्वदेश निर्मित लैंड माइंस की नई खेप मिलने वाली है।

● यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी

दी है कि अगर अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो ने यूक्रेन के पक्ष में आक्रमक रुख दिखाया तो हम उसका सैन्य तरीके से जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से यह आश्वासन चाहिए कि नाटो पूर्व की ओर अपना विस्तार नहीं करेगा। पुतिन ने यूरोप में बढ़ते तनाव के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है।

23 दिसम्बर

भारत ने किया स्वदेशी मिसाइल 'प्रलय' का सफलतापूर्वक परीक्षण

● रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल 'प्रलय' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देश में ही विकसित इस मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर स्थित डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया। यह मिसाइल अत्याधुनिक साजो सामान से लैस है। यह मिसाइल एक टन तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। डीआरडीओ ने बताया कि प्रलय कम दूरी की घातक मिसाइल है, जो पांच सौ किलोमीटर तक प्रहार करने की ताकत रखती है। इस मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ को बधाई देते हुए कहा कि इस मिसाइल को सैन्य प्रणाली में शामिल करने से सशस्त्र बलों को प्रोत्साहन मिलेगा।

● अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेष अनुमति देने की घोषणा की है। अमेरिका ने यह विशेष अनुमति अफगानिस्तान में व्याप्त आर्थिक और खाद्यान्न संकट को देखते हुए दी है। अमेरिका की इस घोषणा के बाद अफगानिस्तान को अमेरिकी सरकार, संयुक्त राष्ट्र और गैर सरकारी संगठनों से मानवीय सहायता मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

24 दिसम्बर

विमानों में बढ़ा संक्रमण का जोखिम – आईएटीए

● दुनियाभर में लगातार कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) ने भी सतर्कता बरतने की बात कही है। आईएटीए के चिकित्सा सलाहकार डेविड पॉवेल ने कहा कि ओमिक्रॉन के कारण उड़ान के दौरान कोविड-19 से संक्रमित होने का जोखिम दो से तीन गुना तक बढ़ गया है। डेविड के अनुसार इकोनॉमी केबिन की तुलना में बिज़नेस श्रेणी अधिक सुरक्षित हो सकती है।

● अमेरिकी खाद्य व औषधि प्रशासन (एफडीए) ने फाइज़र की गोली पैक्सलोविड के आपातकालीन इस्तेमाल की मंज़ूरी दे दी है। इसका उपयोग 12 वर्ष से अधिक के लोगों में कोविड-19 संक्रमण के इलाज के लिए किया जा सकता है। एफडीए ने कहा कि इस गोली के रूप में कोविड-19 का पहला उपचार मिला है। कोविड-19 से लड़ाई में यह एक बड़ा कदम है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित फोटो : गूगल से साभार)

मध्यप्रदेश के आनंद विभाग की गतिविधियों की गूंज अन्य राज्यों तक पहुंची

भोपाल, भौतिक सुख-सुविधाओं की तलाश में तनाव और अशांति की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। मनुष्य के भीतर की शांति और आनंद का अपना महत्व है। कहते हैं शांत व्यक्ति और आनंद के भाव में रहने वाला व्यक्ति एक सुखी और समृद्ध समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मध्यप्रदेश में इस उद्देश्य से आनंद विभाग और राज्य आनंद संस्थान की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत करीब 60 हजार नागरिक स्वैच्छिक रूप से आनंदक के रूप में पंजीकृत हुए हैं। प्रदेश में 170 आनंदम केंद्र कार्य कर रहे हैं, जो 'जॉय ऑफ गिविंग' (किसी को सहयोग करने का सुख) के भाव को प्रोत्साहित करते हैं। इसमें निर्धारित सार्वजनिक स्थानों पर लोगों ने अपने निजी संग्रह में आवश्यकता से अधिक प्रतीत होने वाले घरेलू सामान को छोड़ने के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यह सामान जिस व्यक्ति को आवश्यकता होती है वह ले जाता है। मध्यप्रदेश की इन गतिविधियों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है।

अल्पविराम एक मंत्र है हैप्पीनेस का

राज्य के विकास में नागरिकों की विचार एवं भाव शुद्धि का महत्वपूर्ण योगदान है। नागरिकों का जीवन भौतिक दृष्टि से समृद्ध होने के साथ ही आनंदमयी हो, इसके लिए अनेक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में आनंद विभाग के अल्पविराम कार्यक्रम से सवा लाख नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया गया है। यह एक हैप्पीनेस मंत्र है। प्रदेश में विभिन्न केंद्रों में 2300 कार्यक्रमों के माध्यम से परिपूर्ण और आनंदमयी जीवन के महत्व से प्रतिभागियों को अवगत करवाया गया है।

मुख्यमंत्री के प्रजेंटेशन ने खींचा अन्य राज्यों का ध्यान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत सप्ताह वाराणसी में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आहूत मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव में मध्यप्रदेश में किए गए नवाचारों और योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रजेंटेशन के अवसर पर पांच वर्ष पहले प्रारंभ किए गए आनंद विभाग की रचनात्मक गतिविधियों और आम लोगों को अवसाद से दूर कर प्रसन्न रखने के प्रयासों की भी जानकारी दी। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मध्यप्रदेश में प्रसन्नता का वातावरण बढ़ाने के लिए संचालित गतिविधियों के प्रति जिज्ञासा व्यक्त की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए प्रजेंटेशन को ध्यान से सुना। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश आनंद विभाग गठित करने वाले राज्यों में अग्रणी है।

आनंद विभाग की गतिविधियां बना रहीं खुशनुमा माहौल

मध्यप्रदेश में आनंद विभाग और राज्य आनंद संस्थान की गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण है- 'अल्प विराम कार्यक्रम'। यह कार्यक्रम व्यक्ति को आंतरिक कमियों को समझने और सुधारने का अवसर देता है। अन्य गतिविधियों में रक्तदान, भोजन एवं सामग्री दान, आपदा में सहयोग, शिक्षा, पर्यावरण, स्वच्छता, बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण और निराश्रितों की मदद का कार्य शामिल हैं। करीब 400 आनंद क्लबों के साढ़े तीन हजार सदस्य इन गतिविधियों के संचालन में सहयोगी बनते हैं। इसके अलावा आनंद सभा, आनंदम केंद्र, आनंद उत्सव भी प्रसन्नता का वातावरण बढ़ा रहे हैं। एक आनंद कैलेंडर भी तैयार किया गया है। इस कैलेंडर के अनुसार वेबसाइट और मोबाइल एप प्ले-स्टोर पर उपलब्ध कराया गया है। राज्य आनंद संस्थान ने आनंद शिविरों के लिए आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलुरु, इनीशिएटिव ऑफ चेंज पंचगनी और ईशा फाउंडेशन कोयंबटूर से करारनामा कर इच्छुक लोगों को लाभान्वित किया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर आनंद उत्सव हो रहे हैं। छह सप्ताह के ऑनलाइन आनंद कोर्स की शुरुआत भी की गई है।

वर्ष 38, अंक 52 27.12.2021 से 02.01.2022

रोज़गार और निर्माण

www rojgaraurnirman.in

- प्रबंध संचालक - डॉ. सुदाम खाड़े
- सम्पादक - पुष्पेन्द्र पाल सिंह
- कार्यकारी सम्पादक - राजीव तिवारी
- प्रभारी अधिकारी - नरेन्द्र कुमार वनवट (प्रसार एवं विज्ञापन)
- प्रबंधक - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
- आकल्पन - हेमंत बायगणकर, आशा रोमन अरविन्द टोप्पो, सुशील लांडगे
- वेबसाइट - आत्माराम शर्मा

वार्षिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (रु. पाँच सौ) का डी.डी., मनी ऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर, रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें:-

रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011, फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, **e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com**

रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

खेल चर्चा

भारत के चार शहरों से गुजरेगी क्वींस बेटन रिले

नई दिल्ली, अगले वर्ष बर्मिंघम में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की क्वींस बेटन रिले (मशाल) 72 देशों के अपने सफर के दौरान चार दिन भारत में रहेगी। भारतीय ओलिंपिक संघ ने बताया कि क्वींस बेटन रिले 12 से 15 जनवरी के बीच भारत में रहेगी। भारत में रिले 12 जनवरी को दिल्ली से शुरू होगी, जिसके बाद 13 जनवरी को अहमदाबाद, 14 जनवरी को बेंगलुरु और 15 जनवरी को ओडिशा में रिले दौड़ होगी। भारतीय ओलिंपिक संघ ने क्वींस बेटन रिले के लिये एक समिति का गठन किया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रमंडल खेल-2022 की क्वींस बेटन रिले 7 अक्टूबर 2021 को बर्मिंघन से शुरू हुई थी, जो 72 देशों से गुजरती हुई 28 जुलाई, 2022 को बर्मिंघम पहुंचेगी।

न्यूजीलैंड की टीम दो बार करेगी पाकिस्तान का दौरा

लाहौर, सितम्बर 2021 में पाकिस्तान में सुरक्षा कारणों से मैच शुरू होने से ठीक पहले दौरा रद्द करने वाली न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम वर्ष 2022 से 2023 के बीच पांच माह के अंतराल में पाकिस्तान का दो बार दौरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने ऐलान किया कि न्यूजीलैंड की टीम दिसम्बर, 2022 और अप्रैल, 2023 में पाकिस्तान का दौरा करेगी। पहले दौरे पर (दिसम्बर 2022 में) पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम दो टेस्ट और तीन मैचों की वन-डे सीरीज खेलेंगी। ये दोनों सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वन-डे सुपर लीग का हिस्सा होंगी। वहीं दूसरे दौरे (अप्रैल 2023 में) दोनों टीमें पांच-पांच मैचों की वन-डे और ट्वेंटी-20 सीरीज खेलेंगी।

मार्नस लाबुशेन बने विश्व के नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज

दुबई, ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन का टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन जारी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने लाबुशेन को शानदार बल्लेबाजी का इनाम देते हुये नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज घोषित किया है। लाबुशेन ने आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट बल्लेबाज रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। महज 20 टेस्ट मैच खेलने वाले लाबुशेन पहली बार टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे हैं। टेस्ट बल्लेबाज रैंकिंग में लाबुशेन 912 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष पर आ गये हैं, वहीं इंग्लैंड के कप्तान जो रूट 897 रेटिंग अंक के साथ दूसरे स्थान पर फिसल गये हैं। रैंकिंग में स्टीव स्मिथ तीसरे, केन विलियमसन चौथे तथा रोहित शर्मा पांचवें स्थान पर हैं।

सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल से लिया संन्यास

ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल को अलविदा कह दिया है। एगुएरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संन्यास की घोषणा करते हुये कहा कि मैंने फुटबॉल से संन्यास लेने का फैसला किया है। मेरे लिये यह फैसला लेना काफी मुश्किल था, लेकिन मेरे लिये अभी स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। एगुएरो पिछले कुछ समय से हृदय संबंधी बीमारी से जूझ रहे हैं। एगुएरो ने अर्जेंटीना के लिये वर्ष 2006 से 2021 तक 101 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 42 गोल किये हैं। उन्होंने क्लब स्तर पर एटलेटिको मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना के लिये फुटबॉल खेला है।

विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप

श्रीकांत रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बनें

ढाका, भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत ने बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। उन्होंने टूर्नामेंट का रजत पदक अपने नाम किया। ऐसा करने वाले वह पहले पुरुष भारतीय शटलर बन गये हैं। खितावी मुकाबले में श्रीकांत की भिड़ंत सिंगापुर के लोह किन येव से हुई, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। येव ने 21-15 और 22-20 से मैच अपने नाम किया।

पहले गेम में येव जीते

पूर्व वर्ल्ड नंबर बन भारतीय शटलर श्रीकांत ने पहले गेम में शानदार शुरुआत की और 9-7 की लीड बना ली। हालांकि, सिंगापुर के शटलर ने वापसी की पूरी कोशिश की और मुकाबला 11-11 से बराबरी पर ला दिया। यहां से दोनों के बीच एक-एक पाइंट के लिये संघर्ष देखने को मिला। 12-12, 13-13 तक बड़ी-बड़ी रैली और ढेर सारे स्मैश लगे। यहां से किन येव ने जो बढ़त बनाई तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने पहले 16-13 और फिर 20-15 से बढ़त बनाते हुये 21-15 से गेम अपने नाम किया।

श्रीकांत ने दी कड़ी टक्कर

दोनों ही शटलरों के बीच दूसरे गेम में

जबर्दस्त भिड़ंत देखने को मिली। एक वक्त स्कोर 4-4 से बराबरी पर था, लेकिन श्रीकांत ने दो पाइंट लेकर 6-4 से बढ़त बना ली। हालांकि, लोह ने वापसी करते हुये पहले 9-9 से स्कोर बराबर किया और फिर 12-9 की बढ़त बना ली। किदाम्बी ने लय में वापसी करते हुये 49 शॉट की रैली खेली, जिसे उन्होंने शानदार स्मैश लगाते हुये अपने नाम किया। इसके बाद 18-16 की बढ़त ली, लेकिन इसे बनाये नहीं रख सके। दोनों के बीच 20-20 वाली गेम पाइंट पर जोरदार टक्कर देखने को मिली, लेकिन लोह इस गेम को 22-20 से जीतने में कामयाब रहे और वर्ल्ड चैंपियन बन गये।

श्रीकांत का कॅरियर रिकॉर्ड

किदाम्बी श्रीकांत की इस समय वर्ल्ड में रैंकिंग 14वीं है। उन्होंने कॅरियर में अभी तक 398 मैच खेले हैं, जिनमें 256 में उन्हें जीत मिली है। इस दौरान उन्होंने 142 मैच गंवाए हैं। वर्ष 2021 में भारतीय शटलर श्रीकांत ने कुल 35 मैच खेले हैं, जिनमें से उन्हें 18 में जीत नसीब हुई है, वहीं 17 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर वर्ल्ड रैंकिंग में 22वें नंबर पर काविज लोह किन येव ने कॅरियर में कुल 212 मैच खेले और 138 जीते। येव को 74 मैचों में हार मिली है। सिंगापुर के शटलर ने वर्ष 2021 में 25 में से 18 मैच जीते हैं, वहीं 7 गंवाए हैं। श्रीकांत और येव के बीच यह दूसरी भिड़ंत थी। इससे पहले श्रीकांत राष्ट्रमंडल खेल-2018 में येव को हरा चुके हैं।

- **श्रीकांत वर्ल्ड बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर हैं।**
- **श्रीकांत से पहले प्रकाश पादुकोण ने वर्ष 1983 तथा बी साईं प्रणीत ने वर्ष 2019 में कांस्य पदक जीता है।**
- **इस वर्ष भारत के लक्ष्य सेन ने भी कांस्य पदक अपने नाम किया है।**
- **पी.वी. सिंधु विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय शटलर हैं।**
- **सिंधु ने विश्व चैंपियनशिप में एक स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य पदक जीते हैं।**

आंद्रे रूबलेव ने जीती मुबादला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप

आबुधाबी, रूस के युवा टेनिस खिलाड़ी आंद्रे रूबलेव ने आबुधाबी के इंटरनेशनल टेनिस सेंटर में आयोजित मुबादला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में रूबलेव ने पूर्व नंबर वन खिलाड़ी एंडी मरे को सीधे सेटों में 6-4, 7-6 से हराया। फाइनल मैच में मरे को जीत का दावेदार माना जा रहा था। मरे ने क्वॉर्टर फाइनर में डेन इवांस और सेमीफाइनल में राफेल नडाल को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। लेकिन फाइनल में मरे अपनी लय बरकरार नहीं रख पाये। टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग का खिताब ट्यूनिशिया की ओन्स जावेउर ने जीता। ओन्स ने फाइनल मुकाबले में वेलिंडा बेनकिक को 4-6, 6-3 से हराया।

कानितकर बने भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के कोच

मुंबई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने जनवरी 2022 में वेस्टइंडीज में आयोजित होने वाली आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के लिये पूर्व क्रिकेटर ऋषिकेश कानितकर को भारतीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है। कानितकर के अलावा पूर्व स्पिनर साईराज बहुतुले को टीम का गेंदबाजी कोच तथा मुनीष बाली को क्षेत्ररक्षण कोच नियुक्त किया है। कानितकर ने भारत के लिये 2 टेस्ट तथा 34 वन-डे मैच खेले हैं।

जोकोविच सातवीं बार बने आईटीएफ विश्व चैंपियन

लंदन, सर्विया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच सात बार आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले खिलाड़ी बन गये हैं। उन्होंने अमेरिका के पूर्व टेनिस खिलाड़ी पीट सम्प्रास (छह) का रिकॉर्ड तोड़ा है। वहीं, महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन (आईटीएफ) ने इसकी घोषणा की।

जोकोविच के लिये साल बेहतरीन रहा। उन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विम्बलडन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते। वे यूएस ओपन में रनर अप रहे और टोक्यो ओलिंपिक के सेमीफाइनल तक पहुंचे। अगर वह ये दोनों खिताब भी जीत लेते तो गोल्डन स्लैम अपने नाम कर लेते। अपने दमदार खेल के दम पर इस साल के अंत तक वे रैंकिंग में टॉप पर बने रहे और रिकॉर्ड सातवीं बार आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया।

बार्टी का शानदार प्रदर्शन

इस साल अपना पहला विम्बलडन खिताब जीतने वाली एश्ले बार्टी ने भी साल का अंत नंबर वन रैंकिंग के साथ किया। बार्टी को दूसरी बार आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल मिला। टोक्यो ओलिंपिक में भी बार्टी ने मिक्स्ड डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इससे पहले 2019 में भी बार्टी को आईटीएफ के खिताब से नवाजा गया था।

फेडरर और नडाल की बराबरी पर जोकोविच

जोकोविच ने अपने कॅरियर में कुल 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। वह फिलहाल राफेल नडाल और रोजर फेडरर के सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी पर हैं। उनकी फॉर्म को देखते हुये कहा जा सकता है कि वे अगले महीने होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया ने जीता लगातार नौवां डे-नाइट टेस्ट

एडिलेड, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने एशेज सीरीज में अपना शिकंजा कस लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में खेले गये सीरीज के दूसरे मैच में जीत कर अपनी बढ़त 2-0 कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड टेस्ट मैच को 275 रन से जीता। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुये पहली पारी में 473 रन बनाये। ऑस्ट्रेलिया के लिये मार्नस लाबुशेन ने 103, डेविड वॉर्नर ने 95 तथा स्टीव स्मिथ ने 93 रन बनाये। इनके अलावा एलेक्स कैरी ने भी 51 रनों का योगदान दिया।

पहली पारी में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज महज 12 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गये। इनके बाद डेविड मलान (80) और जो रूट (62) ने पारी को संभाला। इस जोड़ी के आउट होने के बाद इंग्लिश पारी बिखर गई और महज 236 रनों पर पारी सिमट गई।

पहली पारी में 237 रनों की बढ़त के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फॉलोऑन नहीं दिया। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट खोकर 230 रन बनाये और इंग्लैंड को 468 रनों का लक्ष्य दिया। दूसरी पारी में भी इंग्लिश बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने लयहीन नजर आये। इंग्लैंड के लिये जोस बटलर ने 207 गेंदें खेलकर मैच को ड्रॉ कराने की कोशिश की, लेकिन क्रिस वोक्स (44) को छोड़कर अन्य बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सके। इंग्लैंड की टीम 192 रन बनाकर ऑलआउट हो गई।

- **ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 9 डे-नाइट टेस्ट मैच खेले हैं और सभी जीते हैं।**
- **भारत और श्रीलंका ने 2-2 तथा इंग्लैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने 1-1 डे-नाइट टेस्ट मैच जीता है।**

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी

भारत ने जीता कांस्य पदक

ढाका, भारतीय हॉकी टीम ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में कांस्य पदक अपने नाम किया है। टूर्नामेंट में कांस्य पदक के लिये खेले गये मुकाबले में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 4-3 से हराया।

हरमनप्रीत ने किया पहला गोल

मैच में भारत की शुरुआत शानदार रही। भारत को पहले मिनट में ही पेनाल्टी कॉर्नर मिला, जिसे हरमनप्रीत ने गोल में तब्दील कर भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद पाकिस्तान ने भी पलटवार करते हुये मैच के 10वें मिनट में गोल कर दिया। पाकिस्तान के लिये यह गोल अफराज ने किया। दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों ने गोल करने के कई प्रयास किये, लेकिन असफल रहीं।

तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान का अटैक

तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने आक्रामक नीति को आगे बढ़ाया। मैच के 33वें मिनट में अब्दुल राणा ने पाकिस्तान के लिये दूसरा गोल दागा। तीसरे क्वार्टर के आखिरी क्षणों में सुमित ने शानदार मैदानी गोल कर भारत की वापसी कराई।

आखिरी क्वार्टर में भारत की जीत

मैच के चौथे और आखिरी क्वार्टर में बाजी भारत के हाथ लगी। आखिरी क्वार्टर में भारत के लिये वरुण कुमार और आकाशदीप सिंह ने गोल किया। वहीं पाकिस्तान के लिये अहमद नदीम ही गोल कर पाये।

दक्षिण कोरिया बना चैंपियन

एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दक्षिण कोरिया ने अपने नाम किया। टूर्नामेंट के फाइनल में दक्षिण कोरिया ने जापान को पेनाल्टी शूट आउट में 4-2 से हराया। मैच के चौथे और आखिरी क्वार्टर में जापान 3-1 से आगे थी, लेकिन दक्षिण कोरिया के जेंग जोंग ह्यून ने आखिरी पांच मिनट में दो गोल कर दक्षिण कोरिया को मैच में वापस ला दिया।

- **भारत और पाकिस्तान ने अब तक 2-2 बार जीती है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी।**
- **भारत ने वर्ष 2011 और 2016 तथा पाकिस्तान वर्ष 2012 और 2013 में बना है चैंपियन।**
- **वर्ष 2018 में भारत और पाकिस्तान संयुक्त विजेता बने थे।**

पाकिस्तान ने ट्वेंटी-20 सीरीज में वेस्टइंडीज को हराया

कराची, पाकिस्तान ने अपनी सरजमी पर खेली गई ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में वेस्टइंडीज को 3-0 से मात दी है। पाकिस्तान ने सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया। मैच में वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 3 विकेट खोकर 207 रन बनाये। वेस्टइंडीज के लिये निकोलस पूरन (64), शामारा ब्रूक्स (49) और ब्रैंडन किंग्स (43) ने उपयोगी पारियां खेलीं। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरे पाकिस्तान को सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान (87) और बाबर आजम (79) ने बेहतरीन शुरुआत दिलाते हुये पहले विकेट के लिये 158 रन जोड़े।

पाकिस्तान ने 18.5 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसी बीच सीरीज के दौरान वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने के बाद वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खेली जाने वाली वन-डे सीरीज स्थगित कर दी गई है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गुगल से साभार)

सामयिकी

भारत-वियतनाम रिश्ते सही दिशा में - राष्ट्रपति

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच आर्थिक संबंध ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न व्यवधानों के बावजूद सकारात्मक दिशा बनाए रखी है। दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है। वियतनाम के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच मजबूत रक्षा सहयोग क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि में योगदान देगा। वियतनाम की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वुओंग डिंह हू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि समकालीन समय में भारत और वियतनाम के बीच नेतृत्व स्तर पर उत्कृष्ट संबंध हैं। हमारे लोग महात्मा गांधी और राष्ट्रपति हो ची मिन्ह के आदर्शों का अनुसरण करते हैं। आज हमारी द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी में व्यापक क्षेत्र शामिल हैं- राजनीतिक संबंध से लेकर व्यापार एवं निवेश संबंध, ऊर्जा सहयोग, विकास साझेदारी, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग और लोगों के बीच संबंध।

प्रधानमंत्री का प्रयागराज दौरा

आत्मनिर्भर भारत अभियान की चैंपियन हैं महिला स्वयं सहायता समूह की बहनें : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रयागराज का दौरा किया और महिलाओं को विशेष रूप से जमीनी स्तर पर सशक्त

- **प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालय बनने से, उज्ज्वला योजना के तहत गरीब से गरीब बहनों को गैस कनेक्शन की सुविधा मिलने से, घर में ही नल से जल आने से, बहनों के जीवन में सुविधा भी आ रही है और उनकी गरिमा में भी वृद्धि हुई है।**

बनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के बैंक खातों में 1,000 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की, जिससे एसएचजी की लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ मिलेगा। धनराशि का यह हस्तांतरण दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत किया जा रहा है, जिसमें 80,000 एसएचजी, सामुदायिक निवेश कोष (सीआईएफ) के अंतर्गत 1.10 लाख रुपये प्रति एसएचजी और 60,000 एसएचजी, चक्रीय निधि (रिवॉल्विंग फंड) के रूप में 15,000 रुपये प्रति एसएचजी प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 20,000 व्यवसाय प्रतिनिधि-सखियों (वीसी-सखियों) के खातों में पहले महीने के मानदेय के रूप में 4,000 रुपये हस्तांतरित करके वीसी-सखियों को प्रोत्साहन प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 20 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की। प्रधानमंत्री ने पूरक पोषण निर्माण की 202 इकाइयों की आधारशिला रखी।

उन्होंने कहा कि प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृशक्ति की प्रतीक मां गंगा-यमुना-सरस्वती के संगम की धरती रही है। उन्होंने कहा कि आज ये तीर्थ नगरी नारी-शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बन रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक ऐसी व्यवस्था रही कि घर और घर की संपत्ति को केवल पुरुषों का ही अधिकार समझा जाने लगा। घर है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। खेत है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। नौकरी, दुकान पर किसका हक? पुरुषों का। दशकों से, घर और संपत्ति को केवल पुरुषों का अधिकार माना जाता था। आज हमारी सरकार की योजनाएं, इस असमानता को भी दूर कर रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिये जा रहे हैं, वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के ही नाम से बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात के बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र के संबंध में अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल ही थी। बेटियां भी चाहती थीं कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिलें। इसलिए, बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है, ये सब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार का जिक्र भी किया।

फ्रांस

भारत को और राफेल देने को तैयार

भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई बैठक में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के अपने गहरे रिश्तों को और मजबूती देने

- **मेक इन इंडिया के तहत बड़ी फ्रांसीसी रक्षा कंपनियों के भारत में संयुक्त भागीदारी के तहत रक्षा उत्पादन करने की संभावनाओं पर बातचीत हुई।**

पर चर्चा की। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मामलों की मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने सीमा पार से जारी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर भी बातचीत की। भारत के साथ सीमा पर चीन के उकसावे वाली कार्रवाई का भी मुद्दा उठा। राजनाथ सिंह से मुलाकात से पहले फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता का जिक्र किया। उन्होंने भारत के नजरिये का समर्थन करते हुए कहा कि आवाजाही की स्वतंत्रता के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया जाए, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने सुरक्षा चुनौतियों के लिहाज से भारत को जरूरत पड़ने पर और राफेल लड़ाकू विमान देने की पेशकश भी की।

एक कार्यक्रम के दौरान पार्ले ने कहा कि भारत को 36 में से 33 राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की जा चुकी है। भारतीय वायुसेना राफेल को लेकर बहुत संतुष्ट है।

कोरोना की चुनौतियों के बावजूद इन विमानों की आपूर्ति किए जाने को लेकर वह काफी खुश है। दो रणनीतिक साझेदारों द्वारा एक जैसे राफेल विमान का उपयोग किया जाना हमारी वास्तविक और मजबूत आपसी ताकत को दर्शाता है।

चिली में

गेब्रियल बोरिश ने राष्ट्रपति चुनाव में दर्ज की एकतरफा जीत

चिली में वामपंथी गेब्रियल बोरिश ने राष्ट्रपति चुनाव में 56 प्रतिशत मत हासिल किए और दक्षिणपंथी नेता जोस एंतोनियो

- **चिली में वामपंथी गेब्रियल बोरिश ने राष्ट्रपति चुनाव में 56 प्रतिशत मत हासिल किए।**
- **उन्होंने दक्षिणपंथी नेता जोस एंतोनियो को मात देकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की।**
- **गेब्रियल ने गरीबी से निपटने के लिए समावेशी सरकार के गठन के लिए काफी मेहनत की।**

को मात देकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ग्रेबियल ने असमानता और गरीबी से निपटने के लिए युवा नेतृत्व वाली समावेशी सरकार के गठन के लिए कई महीनों तक मेहनत की है। उनका कहना है कि असमानता और गरीबी दशकों पहले

जनरल ऑगस्तो पिनोशे की तानाशाही द्वारा थोपे गए एक मुश्त बाजार मॉडल का अस्वीकार्य कमजोर विन्दु है।

उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 56 प्रतिशत मत हासिल कर एकतरफा जीत हासिल की। 2012 में मतदान अनिवार्य होने के बाद से किसी भी नेता को मिला यह सबसे अधिक समर्थन है। 35 साल की उम्र में चिली के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले वह सबसे युवा नेता हैं। समर्थकों की भारी भीड़ के बीच गेब्रियल एक मंच पर पहुंचे और वहां से उन्होंने राष्ट्रभाषा 'मैपुचे' में हजारों युवा समर्थकों के लिए एक उत्साहजनक विजयी भाषण दिया।

बोरिश ने कहा, 'हम एक ऐसी पीढ़ी हैं जो सार्वजनिक जीवन में पली-बढ़ी है और मांग करती है कि हमारे अधिकारों का सम्मान अधिकारों के रूप में किया जाए न कि वस्तुओं या व्यवसाय की तरह। हम जानते हैं कि अमीरों और गरीबों के लिए न्याय जारी रहेगा..... साथ ही अब हम सुनिश्चित करेंगे कि चिली के गरीबों को असमानता की कीमत न चुकानी पड़े।' उन्होंने चिली की महिलाओं की भी हौसला-अफजाई की और वादा किया कि वे उनकी सरकार में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगी, जिससे कि 'समाज की सभी तरह की पितृसत्तात्मक सोच को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने में मदद मिलेगी।'

रूस ने सुरक्षा समझौते के मसौदे में

अमेरिका-नाटो के सामने रखीं सख्त शर्तें

रूस ने नाटो के साथ होने वाले सुरक्षा समझौता के लिए मसौदा पेश किया जिसमें यूक्रेन और अन्य पड़ोसी देशों को नाटो में

- **रूस ने पड़ोसी देश पर हमले की योजना से इंकार किया है, पर पश्चिमी देशों से मांग की है कि वे कानूनी गारंटी दें कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे और साझेदार देशों में हथियारों की तैनाती नहीं करेंगे।**

शामिल होने से रोकने और यूरोप में सैनिकों और हथियारों पर रोक की शर्तें शामिल हैं।

रूस की ओर से सुरक्षा समझौता का मसौदा अमेरिका और उसके साझेदारों को दिया गया था। इसमें अमेरिकी और रूसी युद्धपोतों को भी एक दूसरे पर हमले की जद से दूर रखने का प्रस्ताव किया गया है। समझौते के मसौदे को ऐसे समय प्रकाशित किया गया है जब रूस द्वारा यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा करने को लेकर यूक्रेन और पश्चिमी देशों में हमले की आशंका के मद्देनजर तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई

रेयाबकोव ने कहा कि रूस का तनाव अमेरिका और उसके नाटो साझेदारों के साथ 'खतरनाक विंदु' पर पहुंच चुका है। उन्होंने रेखांकित किया कि अमेरिकी साझेदारों द्वारा रूस की सीमा के नजदीक तैनाती और अभ्यास 'अस्वीकार्य' और उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है।

रेयाबकोव ने मॉस्को में संवाददाताओं से कहा कि उनके देश ने अमेरिका से तत्काल प्रस्तावित मसौदे पर जिनेवा में वार्ता शुरू करने का प्रस्ताव किया है। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि नाटो के 30 सदस्य देशों ने स्पष्ट कर दिया है कि रूस को तनाव कम करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, हम विश्वास बहाली के कदमों को मजबूत करने के लिए काम करने को तैयार हैं।"

पोलैंड में मीडिया स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हुआ प्रदर्शन

पोलैंड की दक्षिणपंथी सरकार द्वारा निशाना बनाए जा रहे अमेरिकी स्वामित्व वाले एक टेलीविजन चैनल के बचाव में और मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समूचे देश में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों में बुजुर्ग भी शामिल थे, जिन्होंने दशकों पहले देश के साम्यवादी शासन का विरोध किया था और जो इस बात से चिंतित हैं कि जिस लोकतंत्र की स्थापना में उन्होंने मदद की, वह अब खत्म होता जा रहा है। कई नागरिक मानते हैं कि पोलैंड की जनवादी दक्षिणपंथी सरकार देश को पश्चिम सभ्यता से दूर कर रही है और अदालतों पर राजनीतिक नियंत्रण लगाने तथा आलोचनात्मक मीडिया को चुप कराने के प्रयासों के साथ तुर्की या रूस से करीब समझे जाने वाले एक सत्तावादी मॉडल को अपना रही है। संसद ने डिस्कवरी इंक को पोलैंड के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क टीवीएन में अपने नियंत्रण वाले हिस्से को बेचने के लिए मजबूर करने संबंधी एक विधेयक पारित किया था, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन किए गए।

ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने

तनाव के बीच किया सैन्य अभ्यास

तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ईरान के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने देश के दक्षिण में एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। यह जानकारी सरकारी टीवी चैनल ने दी। जानकारी के अनुसार बल का एयरोस्पेस विभाग, जमीनी सैनिक और नौसैनिक बल पांच दिवसीय अभ्यास में शामिल हुए जिसमें समुद्री बलों को रणनीतिक होर्मुज जलडमरूमध्य में युद्धाभ्यास करने के लिए तैयार किया। जलडमरूमध्य दुनियाभर में तेल के 20 प्रतिशत व्यापार का एक प्रवेश द्वार है।

यह अभ्यास विश्व शक्तियों के साथ तेहरान के बिखर चुके परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए वियना में वार्ता के विफल होने के कुछ दिनों बाद हो रहा है। ईरान अपनी परमाणु प्रगति में तेजी लाया है, क्योंकि समझौते पर लौटने के लिए बातचीत में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष जारी है जिससे इजराइल और अन्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी चिंतित हैं।

इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की बार-बार धमकी दी है।

एक शीर्ष गार्ड कमांडर जनरल घोलमाली रशीद ने ईरान के खिलाफ किसी भी इजराइली सैन्य कार्रवाई के लिए कड़ी प्रतिक्रिया की कसम खाई है।

अर्ध-सरकारी 'मेहर' समाचार एजेंसी ने उनके हवाले से कहा कि ईरानी सेना "सभी ठिकानों, केंद्रों, रास्तों और स्थान पर बिना किसी देरी के मुंहतोड़ कार्रवाई" शुरू करेगी।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

अपनों को सुरक्षित रखने में क्या मजबूरी, मास्क पहनना और वैक्सीन बहुत जरूरी।

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन

सुमन

suman.nhp.gov.in

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

मध्यप्रदेश शासन

आदर सम्मान के साथ
मुफ्त उपचार
सुमन के साथ
मिलेंगी खुशियाँ अपार

- ऐम्बुलेंस सेवा - 108
- कम से कम 4 प्रसव पूर्व जाँच सेवा यूएसजी सहित
- डिलीवरी नार्मल या ऑपरेशन (सी-सेक्शन) से
- माँ के लिए लैब टेस्ट, दवाएं (गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के 6 महीने बाद तक) और शिशु के लिए (1 साल तक)
- आदर सम्मान के साथ देखभाल
- शिकायत निवारण सुविधा (टोल-फ्री नंबर 104)

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन "सुमन" अभियान
के अंतर्गत निःशुल्क सुविधाओं का लाभ उठाएं।

अगर कोई असुविधा हो,
तो कॉल करें - **104**

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी

M.P. Madhyam/103055/R-46370/2021

स्वामी "मध्यप्रदेश माध्यम" की ओर से प्रकाशक, मुद्रक डॉ. सुदाम खाड़े, मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित एवं डी.वी. कार्प द्वारा दैनिक भास्कर, प्लाट नंबर-10, सेक्टर-बी, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित। सम्पादक - पुष्पेन्द्र पाल सिंह।